उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका

(भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम)

उद्घोषणा

(DISCLAIMER)

भारत सरकार द्वारा पारित नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के दृष्टिगत पुलिस कार्मिको हेतु उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका को एक सहायक पुस्तिका के रुप में प्रकाशित किया गया है। इस हस्तपुस्तिका का अन्य कोई भी विधिक उपयोग मान्य नहीं है और न ही यह हस्तपुस्तिका किसी विधि की व्याख्या को विधिक रुप से प्रमाणित किये जाने का दावा प्रस्तुत करती है। इस हस्तपुस्तिका में वर्णित प्रत्येक संहिता के विधिक, विस्तृत, गहन, मान्य एवं प्रमाणिक अध्ययन के लिए मूल संहिता से सन्दर्भ ग्रहण किया जाना सर्वोचित रहेगा।

नोटः इस पुस्तिका का कोई भी भाग उत्तराखण्ड पुलिस की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से निर्मित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

सन्देश

भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों से सम्बन्धित तीन प्रमुख अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किया गया है, जो कि क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। उक्त पारित अधिनियमों को 01 जुलाई, 2024 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, कानूनी प्रावधानों में पारदर्शिता लाने तथा तकनीक व फोरेन्सिक की सहायता से जांच की गुणवत्ता में उन्नति के लिए तथा विभिन्न प्रक्रियाओं में समय सीमा निर्धारित करने के लिए उक्त अधिनियम पारित किये गये हैं, ताकि आपराधिक मामले में दोषसिद्धि दर में सुधार हो सके और विहित समय सीमा के तहत पीड़ित को न्याय मिल सके।

भारत सरकार द्वारा पारित उक्त अधिनियमों के उद्देशयों की प्राप्ति के लिए पुलिस कार्मियों का इन कानूनों की बारीकियों को समझने तथा कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सहायक पुस्तिका के रूप में उत्तराखण्ड पुलिस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। **उत्तराखण्ड पुलिस हस्त पुस्तिका में उक्त तीनों अधिनियमों को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया गया है।**

(i) भाग-क में उक्त अधिनियमों में जोड़ी गयी नयी धाराओं को वर्णित किया गया है।

(ii) भाग-ख में हटाई गयी धाराओं को वर्णित किया गया है।

(iii) भाग-ग में उन धाराओं को वर्णित किया गया है जो संशोधन के साथ प्रावधानित किये गये हैं।

(iv) भाग-घ में पुराने तथा नये अधिनियम के बीच धाराओं के तुलनात्मक विवरण के साथ ही हटाई गयी तथा संशोधित धाराओं को दर्शाते हुए, उल्लेख किया गया है।

पुलिस कर्मियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रकाशित विधि से मामले की पुष्टि करते हुए उक्त विधियों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड पुलिस हस्त पुस्तिका के प्रकाशन में सहायक अभियोजन अधिकारी जावेद अहमद तथा उत्तराखण्ड पुलिस टीम के सदस्य प्रतिसार निरीक्षक अमित कुमार, उप निरीक्षक अध्यापक संदीप रावत, उप निरीक्षक अध्यापक भास्कर थपलियाल, उप निरीक्षक अध्यापक कृष्णा जयाड़ा, उप निरीक्षक अध्यापक ललिता तोमर, उप निरीक्षक अध्यापक रंजना प्रसाद, हे0 कानि0 विरेन्द्र सिंह बिष्ट, कानि0 निशांत वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आभार प्रकट करते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि उत्तराखण्ड पुलिस हस्त पुस्तिका इन नये कानूनों को समझने तथा इनके बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड

अनुक्रमणिका

भारतीय न्याय संहिता 2023 1–61

भागक्ष–क : भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोडी गयी नयी धाराऐं 3–5

भाग–ख : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के वह प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं 6–8

भाग–ग : भारतीय दण्ड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं 9–13

भाग–घ : भारतीय दण्ड संहिता 1860 व भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण 14–61

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 62–108

भाग–क : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोडी गयी नयी धाराऐं 64–65

भाग–ख : दण्ड प्रक्रिया संहिता के वह प्रावधान जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं 66

भाग–ग : दण्ड प्रक्रिया संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं 67–73

भाग–घ : दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण 74–108

प्रथम अनुसूची 109–213

द्वितीय अनुसूची 214–275

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 276–300

भाग–क : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जोडी गयी नयी धाराऐं 278

भाग–ख : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के वह प्रावधान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधानित नहीं हैं 279

भाग–ग : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधानित किये गये हैं 280–81

भाग–घ : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण 282–296

अनुसूची 297–300

भारतीय न्याय संहिता
2023

भारतीय दण्ड संहिता 1860 व भारतीय न्याय संहिता 2023 का तुलनात्मक अध्ययन

भाग –क

भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

भाग –ख

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के वह प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

भाग – ग

भारतीय दण्ड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

भाग – घ

भारतीय दण्ड संहिता 1860 व भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

भाग 'क'

भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

क्र0स0	धारा	टिप्पणी
1	धारा 2(3)	बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। *(बालक से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति से है)*
2	धारा 48	भारत के बाहर भारत में किये गये अपराध का दुष्प्रेरण *(साइबर अपराधों, आतंकवाद से सम्बन्धित अपराध व अन्य आर्थिक अपराध को ध्यान में रखकर)*
3	धारा 69	प्रवन्चनापूर्ण साधनों (शादी का झासा, नौकरी, प्रमोशन आदि का झासा देकर) का प्रयोग करके मैथुन कारित करना जो बलात्कार के अपराध में न आता हो। *(10 वर्ष की सजा और जुर्माना)*
4	धारा 95	अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित करना। *(सजा – न्यूनतम 03 वर्ष, जो 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना, यदि वह अपराध कारित किया जाता है तो उस अपराध के लिए प्रावधानित दण्ड से भी ऐसे दण्डित किया जायेगा कि मानों उसने वह अपराध स्वयं किया हो)*
5	धारा 103 (2)	**मोब लिंचिंग** – पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म, स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य *मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डनीय होगा।*
	धारा 117 (4)	मोब लिंचिंग में घोर उपहति होने पर *(07 वर्ष तक की सजा और जुर्माना)*
6	धारा 106 (2)	हिट एण्ड रन केस। *(दस वर्ष तक की सजा और जुर्माना)* टिप्पणी – जो कोई, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात् इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना, निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
7	धारा 111	संगठित अपराध। *(यदि संगठित अपराध के परिणाम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना*

		जो 10 लाख से कम नहीं होगा अन्य स्थिति में सजा न्यूनतम 05 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना जो 05 लाख से कम नहीं होगा) *टिप्पणी –**"संगठित अपराध सिंडिकेट"** से दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत् विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। संगठित अपराध के अन्तर्गत निम्न अपराध सम्मिलित है जैसे व्यपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है।* ***सतत विधि विरूद्ध क्रिया कलाप** से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कृत्य अभिप्रेत है जो 03 या अधिक वर्ष के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध है जो किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध के सम्बन्ध में आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववृत्ति अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय में दाखिल किये गये हैं, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।*
8	धारा 112	संगठित तुच्छ अपराध। *(सजा न्यूनतम 01 वर्ष जो 07 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना)* *टिप्पणी –छोटे संगठित अपराध - जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से, चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अप्राधिकृत रूप से विक्रय अप्राधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नपत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है।*
9	धारा 113	**आतंकवाद** – जो कोई भारत की एकता, अखण्डता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या ऐसी सम्भावना के आशय से या आतंक फैलाने के आशय से बमों, विस्फोटकों इत्यादि का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या सम्पत्ति इत्यादि की क्षति कारित करता है। *(यदि ऐसे अपराध के परिणाम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना अन्य स्थिति में न्यूनतम 05 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना)*
10	धारा 152	**भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को प्रभावित करने वाले कार्य** – जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक माध्यम से या अन्यथा

		अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रिया कलापों को करता है या प्रयास करता है जिससे भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालता है। *(आजीवन कारावास या 07 वर्ष तक की सजा और जुर्माना)*
11	धारा 226	किसी लोक सेवक को विवश करने या विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास। *(01 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय)* *टिप्पणी – विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयास।* *यद्यपि 309 IPC को नवीन संहिता में समाप्त कर दिया गया है किन्तु कतिपय व्यक्ति लोक सेवक से अपनी अनुचित माँगो को मनवाने के लिए आत्म हत्या का प्रयत्न करते हैं जिससे डरकर सरकारी सेवक अनुचित माँगो को मान ले अतः इस कृत्य को रोकने के लिए इस नवीन धारा को जोड़ा गया है।*
12	धारा 303 (2) परन्तुक	भारतीय न्याय संहिता के परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि जहां चोरी की गयी सम्पत्ति का मूल्य पांच हजार रूपये से कम है और व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है, चोरी की गयी सम्पत्ति के वापस करने पर या सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दण्डनीय किया जायेगा।
13	धारा 304 –	स्नेचिंग। *(03 वर्ष तक की सजा और जुर्माना)* *टिप्पणी –झपटमारी - (1) चोरी "झपटमारी" है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है।* *(2) जो कोई झपटमारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से (जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी) दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।*
14	धारा 324 (3)	रिष्टि द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की सम्पत्ति सहित किसी सम्पत्ति की हानि या क्षति *(01 वर्ष तक के दोनो में से किसी भांति के कारावास या जुर्माना या दोनो)*
15	धारा 324 (5)	रिष्टि द्वारा एक लाख रूपये या उससे अधिक की राशि की हानि या नुकसान *(05 वर्ष तक के दोनों भांति के कारावास या जुर्माना या दोनो)*
16	धारा – 358	निरसन और व्यावृत्ति

भाग ' ख '

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के वह प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

भारतीय दण्ड संहिता 1860		भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा	शीर्षक	
13	"क्वीन की परिभाषा" **(निरसित)**	नई संहिता में परिभाषित नहीं है।
14	"सरकार का सेवक"	
15	"ब्रिटिश इण्डिया" की परिभाषा **(निरसित)**	
16	"गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया" की परिभाषा **(निरसित)**	
18	"भारत"	
50	"धारा"	
53 क	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना	
56	यूरोपियों तथा अमरीकियों को कठोर श्रम कारावास का दण्डादेश दस वर्ष से अधिक किन्तु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दण्डादेश के सम्बन्ध में परन्तुक **(निरसित)**	
58	निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएँ **(निरसित)**	
59	कारावास के बदले निर्वासन दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी, 1956 से **(निरसित)**	
61	सम्पत्ति के समपहण का दण्डादेश भारतीय दण्ड संहिता के समपहण का दण्डादेश भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 (1921 का 16) की धारा 4 द्वारा **(निरसित)**	
62	मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दण्डनीय अपराधियों की बाबत सम्पत्ति का समपहण भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 (1921 का 16) की धारा 4 द्वारा **(निरसित)**	
124 क	राजद्रोह	**संहिता में राजद्रोह का प्रावधान नहीं है। (नई धारा 152)**
138 क	पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**

अध्याय–9 (लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में)		
161	वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण का लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए लिया जाना **(निरसित)**	
162	लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना **(निरसित)**	
163	लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना**(निरसित)**	
164	धारा 162 या 163 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दण्ड **(निरसित)**	
165	लोक-सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से सम्पृक्त व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है **(निरसित)**	
165 क	धारा 161 या धारा 165 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड **(निरसित)**	
216 ख	धारा 212, 216 और धारा 216-क में "संश्रय" की परिभाषा **(निरसित)**	
226	निर्वासन से विधि-विरुद्ध वापसी दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1 जनवरी, 1956 से) **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**
अध्याय 13 बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में		
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण	
264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग	
265	खोटे बाँट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	
266	खोटे बाँट या माप को कब्जे में रखना	
267	खोटे बाँट या माप का बनाना या बेचना	
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न	
310	ठग	
311	दण्ड	
377	प्रकृति विरुद्ध अपराध (नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में मा0 उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 15, 19, व 21 का उल्लघन माना है, जिसके तहत वर्तमान अधिनियम में इस अपराध को सम्पाप्त कर दिया गया है)	
478	व्यापार चिह्न **(निरसित)**	**संहिता में**

480	मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना **(निरसित)**	**प्रावधान नहीं है।**
490	समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग कर्मकार (निरसन) अधिनियम, 1925 (1925 का 3) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा **(निरसित)**	
492	दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है **(निरसित)**	
497	जारकर्म (जोसफ साइन बनाम भारत संघ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लघन माना है, जिसके तहत वर्तमान अधिनियम में इस अपराध को सम्पाप्त कर दिया गया है)	

<u>नोट –</u>

1 – भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान समय – समय पर यथासंशोधित निरसित किये जा चुके थे, जिससे सम्बन्धित प्रावधान नई संहिता में प्रावधानित नहीं हैं, जो निम्नवत हैं –
धारा 13, 15, 16, 56, 58, 59, 61, 62, 138 क, 161 से 165 क तक, 216 ख, 226, 478, 480, 490, 492.

2 – भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान नई संहिता में प्रावधानित नहीं हैं, जो निम्नवत हैं –
धारा 14, 18, 50, 53 क, 124 क, 236, धारा 264 से धारा 267 तक, धारा 309, धारा 310, धारा 311, धारा 377, धारा 497.

भाग ' ग '

भारतीय दण्ड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

क्र0स0	B.N.S. की धारा	टिप्पणी
1	धारा 2(10)	"लिंग" की परिभाषा में संशोधन कर ट्रान्सजेन्डर को सम्मिलित किया गया है, ट्रान्सजेन्डर का वही अर्थ होगा जो ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 2 (ट) में दी गयी है।
2	धारा 4	"दण्ड" BNS में "सामुदायिक सेवा" को दण्ड के रूप में प्रावधानित किया गया है, जो एक नयी तरह की सजा है। सामुदायिक सेवा का दण्ड निम्न मामलों में दिया जा सकता है- धारा 202- लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रुप से व्यापार में लगा है, धारा-209- उदघोषणा के जवाब मे गैरहाजिर होना, धारा-226- विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न, धारा-303(2)- 5000 से कम मूल्य की चोरी के मामले में, धारा-355- मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, धारा-356(2)- मानहानि
3	धारा 27, 107	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 89, 305 में विकृत्तचित व्यक्ति की जगह BNS की धारा 27, 107 में विक्षिप्त व्यक्ति कर दिया गया है।
4	धारा 70 (2)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 D A व धारा 376 D B (गैंग रेप) में क्रमशः 16 वर्ष व 12 वर्ष की जगह BNS की धारा 70(2) में 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप करने पर – मत्यु दण्ड तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
5	धारा 73	न्यायालय की बिना अनुमति के न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक *(महिलाओं से सम्बन्धित अपराध धारा – 64 से 71 BNS तक केमामले में) (02 वर्ष तक की सजा और जुर्माना)*
6	धारा 96	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 क अप्राप्तव्य लड़की का उपापन की जगह BNS की धारा 96 में बालक का उपापन किया गया है। (लिंग विभेद को समाप्त किया है)
7	धारा 98 व 99	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 372 व 373 में वेश्यावृत्ति आदि के

क्र0स0	B.N.S. की धारा	टिप्पणी
		प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का बेचना या खरीदना की जगह BNS की धारा 98, 99 में बालक शब्द का प्रयोग किया गया है
8	धारा 116	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 घोर उपहति के आठवें खण्ड में 20 दिन की जगह BNS की धारा 116 के आठवें खण्ड में 15 दिन कर दिया गया है।
9	धारा 117(3)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 घोर उपहति में 07 वर्ष तक की सजा थी, जबकि BNS की धारा 117 (3) में घोर उपहति केअपराध के करने में किसी व्यक्ति का स्थायी विकलांगीकरण हो जाता है तो आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय बनाया गया है।
10	धारा 141	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 ख विदेश से *लड़की* का आयात करना की जगह BNS की धारा 141 में विदेश से *बालक या बालिका* का आयात करना कर दिया गया है।
11	धारा 153	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 125 में एशियाई शक्ति की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 विदेशी राज्य स्थापित किया गया है।
12	धारा 249	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 212 अपराधी को संश्रय देना के स्पष्टीकरण में पति – पत्नी की जगह BNS की धारा 249 के स्पष्टीकरण में **स्पाउस** शब्द कर दिया गया है।
13	धारा 268	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229 *जूरी या ऐसेसर* के प्रतिरूपण की जगह BNS की धारा 268 में *ऐसेसर* का प्रतिरूपण कर दिया गया है। भारत में जूरी पद्धति लागू नहीं है।
14	धारा 295	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 293 में ***तरूण व्यक्ति*** (20 वर्ष से कम की आयु का) को अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय की जगह BNS की धारा 295 में ***बालक** (18 वर्ष से कम आयु का)* को अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय कर दिया गया है।
15	धारा 305	भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 में *निवास–गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि* में चोरी के दण्ड का प्रावधान किया गया है। टिप्पणी – निवास गृह में चोरी में यातायात के साधन, पूजा स्थल आदि में की गयी चोरी को सम्मिलित किया गया है।
16	धारा 308	भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में उद्दापन करने पर, 07 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों भांति के दण्ड से दण्डनीय बनाया गया है जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के तहत

क्र0स0	B.N.S. की धारा	टिप्पणी
		उद्दापन को 03 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोंनो से दण्डनीय बनाया गया था।
17	धारा 313	भारतीय न्याय संहिता की धारा 313 में *चोरों की टोली* के साथ *लुटेरों की टोली* का होने के लिए भी दण्ड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 401 में मात्र चोरों की टोली का होना दण्डनीय बनाया गया था।
18	धारा 317(1)	भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (1) में चुराई हुई सम्पत्ति में छल से प्राप्त सम्पत्ति को भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 410 में छल से प्राप्त सम्पत्ति सम्मिलित नहीं थी।
19	धारा 327	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 437 में तल्लायुक्त जलयान के अतिरिक्त BNS की धारा 327 में रेल, वायुयान को भी सम्मिलित किया गया है।
20	धारा 340(1)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 470 में *"कूटरचना"* की परिभाषा में संशोधन कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 340 (1) में *"इलैक्ट्रानिक दस्तावेजों के कूटरचना"* को भी सम्मिलित किया गया है।
21	नोट	कतिपय धाराओं में सजा / जुर्माना बढ़ा दिया गया है, जिसका विवरण अलग से दी गयी निम्नवत तालिका में उदाहरणस्वरूप उल्लिखित है।

सजा / जुर्माने में हुए संशोधन से सम्बन्धित प्रावधान

क्र0सं0	भारतीय दण्ड संहिता 1860	भारतीय न्याय संहिता 2023
1	**धारा-117** – लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण **सजा - 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा-57** – लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण **सजा - 07 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना**
2	**धारा-373** – वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को खरीदना के अपराध **सजा - 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना**	**धारा-99** – वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को खरीदना के अपराध **सजा - 07 वर्ष से कम नहीं किन्तु 14 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना**

3	**धारा-303-** आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड के अपराध **सजा – मृत्युदण्ड**	**धारा-104-** आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड के अपराध **सजा– मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास**
4	**धारा-304-** हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध **पैरा – 1 – सजा – आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना** **पैरा – 2 – सजा – 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा-105-** हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध **पैरा – 1 – सजा – आजीवन कारावास या 05 वर्ष से कम का नही जो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माना** **पैरा – 2 – सजा – 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना**
5	**धारा-304A-** उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराध **सजा - 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा-106(1)-** उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराध **सजा - 05 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना**
6	**धारा-343-** 03 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध **सजा- 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा- 127(3)-** 03 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध **सजा- 03 वर्ष तक का कारावास या 10000/- रूपये तका का जुर्माना या दोनों**
7	**धारा-344-** 10 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध **सजा- 03 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना**	**धारा-127(4) -** 10 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध **सजा- 05 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 10000/- से कम का नहीं होगा**
8	**धारा-406** – आपराधिक न्यासभंग **सजा- 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा-316(2)** – आपराधिक न्यासभंग **सजा- 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**
9	**धारा-418** – इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है	**धारा-318(3)** – इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है

	सजा- 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	**सजा- 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**
10	**धारा-323-** स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड **सजा- 01 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों**	**धारा-115(2)-** स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड **सजा- 01 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 10000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों**
11	**धारा-148-** घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करने के लिए दण्ड **सजा- 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा-191(3)-** घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करने के लिए दण्ड **सजा- 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**
12	**धारा-182-** इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोकसेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे **सजा- छः माह तक का कारावास या जुर्माना जो 1000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों**	**धारा-217-** इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोकसेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे **सजा- 01 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 10000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों**
13	**धारा 426** – रिष्टि के लिए दण्ड **सजा- तीन माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा 324(2)** – रिष्टि के लिए दण्ड **सजा- छः माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**
14	**धारा–427**– 50 रूपये तक की सम्पत्ति की रिष्टि **सजा- 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा–427**– 20000/- रूपये से लेकर 100000/- से कम तक की सम्पत्ति की रिष्टि **सजा- 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**
15	**धारा 428** – 10 रुपये के मूल्य के जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने की रिष्टि **सजा- 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	**धारा 325** – किसी जीव जन्तु या ढोर की रिष्टि **सजा- 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**

भाग ' घ '

भारतीय दण्ड संहिता 1860 व भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

<table>
<tr><th colspan="2">भारतीय दण्ड संहिता 1860</th><th colspan="3">भारतीय न्याय संहिता 2023</th></tr>
<tr><th>धारा</th><th>शीर्षक</th><th colspan="2">धारा</th><th>शीर्षक</th></tr>
<tr><td colspan="2">अध्याय–1(प्रस्तावना)</td><td colspan="3">अध्याय–1(प्रस्तावना)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार</td><td colspan="2" rowspan="5">1</td><td rowspan="5">संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ व लागू होना
(पुरानी धारा 1 से धारा 5 तक)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड</td></tr>
<tr><td>4</td><td>राज्यक्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना</td></tr>
<tr><td colspan="2">अध्याय–2(साधारण स्पष्टीकरण)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना</td><td rowspan="2">3</td><td>(1)</td><td>संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना</td></tr>
<tr><td>7</td><td>एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव</td><td>(2)</td><td>एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव</td></tr>
<tr><td>8</td><td>"लिंग"</td><td colspan="2">2 (10)</td><td>"लिंग" (संशोधित)***</td></tr>
<tr><td>9</td><td>"वचन" (संख्या)</td><td colspan="2">2 (22)</td><td>"वचन" (संख्या)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td>"पुरुष"</td><td colspan="2">2 (19)</td><td>"पुरुष"</td></tr>
<tr><td>"स्त्री"</td><td colspan="2">2 (35)</td><td>"स्त्री"</td></tr>
<tr><td>11</td><td>"व्यक्ति"</td><td colspan="2">2 (26)</td><td>"व्यक्ति"</td></tr>
<tr><td>12</td><td>"लोक"</td><td colspan="2">2 (27)</td><td>"लोक"</td></tr>
<tr><td>13</td><td>"क्वीन की परिभाषा" (निरसित)</td><td colspan="3" rowspan="2">नई संहिता में परिभाषित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>"सरकार का सेवक"</td></tr>
</table>

15	"ब्रिटिश इण्डिया" की परिभाषा **(निरसित)**	**नई संहिता में परिभाषित नहीं है।**	
16	"गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया" की परिभाषा **(निरसित)**		
17	"सरकार"	2 (12)	"सरकार"
18	"भारत"	**नई संहिता में परिभाषित नहीं है।**	
19	"न्यायाधीश"	2 (16)	"न्यायाधीश"
20	"न्यायालय"	2 (5)	"न्यायालय"
21	"लोक सेवक"	2 (28)	"लोक सेवक"
22	"जंगम सम्पत्ति"	2 (21)	"जंगम सम्पत्ति"
23	"सदोष अभिलाभ" "सदोष हानि" "सदोष अभिलाभ प्राप्त करना व सदोष हानि उठाना"	2 (36)	"सदोष अभिलाभ"
		2 (37)	"सदोष हानि"
		2 (38)	"सदोष अभिलाभ प्राप्त करना व सदोष हानि उठाना"
24	"बेईमानी से"	2 (7)	"बेईमानी से"
25	"कपटपूर्ण"	2 (9)	"कपटपूर्ण"
26	"विश्वास करने का कारण"	2 (29)	"विश्वास करने का कारण"
27	"पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति"	3 (3)	"पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति" (नोट–पत्नी की जगह स्पाउस कर दिया गया) (संशोधित)***
28	"कूटकरण"	2 (4)	"कूटकरण"
29	"दस्तावेज"	2 (8)	"दस्तावेज"
29क	"इलैक्ट्रानिक अभिलेख"		"इलैक्ट्रानिक अभिलेख" (नोट – एक ही धारा में दोनों परिभाषित कर दिये गये हैं)
30	"मूल्यवान प्रतिभूति"	2 (31)	"मूल्यवान प्रतिभूति"
31	"वसीयत"	2 (34)	"वसीयत"
32	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आता है	3 (4)	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आता है

33	"कार्य", "लोप"	2 (1)	"कार्य"
		2 (25)	"लोप"
34	सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य	3 (5)	सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य
35	जब कि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है	3 (6)	जब कि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है
36	अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम	3 (7)	अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम
37	किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना	3 (8)	किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना
38	आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे	3 (9)	आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे
39	"स्वेच्छया"	2 (33)	"स्वेच्छया"
40	"अपराध"	2 (24)	"अपराध"
41	"विशेष विधि"	2 (30)	"विशेष विधि"
42	"स्थानीय विधि"	2 (18)	"स्थानीय विधि"
43	"अवैध" "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध"	2 (15)	"अवैध" "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध"
44	"क्षति"	2 (14)	"क्षति"
45	"जीवन"	2 (17)	"जीवन"
46	"मृत्यु"	2 (6)	"मृत्यु"
47	"जीवजन्तु"	2 (2)	"जीवजन्तु"
48	"जलयान"	2 (32)	"जलयान"
49	"वर्ष", "मास"	2 (20)	"वर्ष", "मास"
50	"धारा"	**नई संहिता में परिभाषित नहीं है।**	
51	"शपथ"	2 (23)	"शपथ"
52	"सद्भावपूर्वक"	2 (11)	"सद्भावपूर्वक"

52 क	"संश्रय"	2 (13)	"संश्रय"
अध्याय –3 (दंडो के विषय में)		**अध्याय – 2 (दंडो के विषय में)**	
53	"दण्ड"	4	"दण्ड" (संशोधित)***
53 क	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
54	मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण	5	संहिता के तहत दिया गया कोई भी दण्ड
55	आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण		
55 क	"समुचित" सरकार की परिभाषा		स्पष्टीकरण –"समुचित" सरकार की परिभाषा
56	यूरोपियों तथा अमरीकियों को कठोर श्रम कारावास का दण्डादेश दस वर्ष से अधिक किन्तु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दण्डादेश के सम्बन्ध में परन्तुक **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
57	दण्डाविधियों की भिन्नें	6	दण्डाविधियों की भिन्नें
58	निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएँ **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
59	कारावास के बदले निर्वासन दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी, 1956 से **(निरसित)**		
60	दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा	7	दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा
61	सम्पत्ति के समपहरण का दण्डादेश भारतीय दण्ड संहिता के समपहरण	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	

	का दण्डादेश भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 (1921 का 16) की धारा 4 द्वारा **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
62	मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दण्डनीय अपराधियों की बाबत सम्पत्ति का समपहरण भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 (1921 का 16) की धारा 4 द्वारा **(निरसित)**		
63	जुर्माने की रकम	8	जुर्माने की रकम जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम नोट – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 63 से 70 तक का प्रावधान धारा 8 में समाहित कर दिया गया है।
64	जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश		
65	जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि		
66	जुर्माना न देने पर किस भाँति का कारावास दिया जाए		
67	जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो		
68	जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना		
69	जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान		
70	जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उदग्रहणीय होना		
71	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि	9	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि
72	कई अपराधों में से एक के दोषी	10	कई अपराधों में से एक के दोषी

	व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है		व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है
73	एकांत परिरोध	11	एकांत परिरोध
74	एकांत परिरोध की अवधि	12	एकांत परिरोध की अवधि
75	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड	13	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड
अध्याय– 4 (साधारण अपवाद)		**अध्याय– 3 (साधारण अपवाद)**	
76	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	14	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
77	न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य	15	न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य
78	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य	16	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य
79	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य	17	विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
80	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना	18	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना
81	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है	19	कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है
82	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	20	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
83	सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष	21	सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष

	से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य		से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य
84	विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य	22	विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य
85	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है	23	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है
86	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है	24	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है
87	सम्मति से किया गया कार्य जिसके मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो	25	सम्मति से किया गया कार्य जिसके मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो
88	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है	26	किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है
89	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य	27	संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य (संशोधित)***
90	सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है	28	सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है
91	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है	29	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है
92	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक किया गया कार्य	30	सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक किया गया कार्य

93	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचन	31	सद्भावपूर्वक दी गई संसूचन
94	वह कार्य जिसको करने के लिए व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है	32	वह कार्य जिसको करने के लिए व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है
95	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य	33	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में		**प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में**	
96	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें	34	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें
97	शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार	35	शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
98	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो	36	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो
99	कार्य, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है	37	कार्य, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है
100	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है	38	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है
101	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है	39	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है
102	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना	40	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
103	कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है	41	कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है
104	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है	42	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है
105	संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के	43	संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के

	अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना		अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना
106	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है	44	घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है
अध्याय– 5 (दुष्प्रेरण के विषय में)		**अध्याय– 4 (दुष्प्रेरण, अपराधिक षडयन्त्र के विषय में)**	
107	किसी बात का दुष्प्रेरण	45	किसी बात का दुष्प्रेरण
108	दुष्प्रेरक	46	दुष्प्रेरक
108 क	भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण	47	भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण
		48	भारत से बाहर भारत में किये गये अपराध का दुष्प्रेरण (नई धारा)*
109	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, और जहाँ कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है	49	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, और जहाँ कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है
110	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है	50	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है
111	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है	51	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है
112	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलित दण्ड से दण्डनीय है	52	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलित दण्ड से दण्डनीय है
113	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो	53	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो

114	अपराध किये जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति	54	अपराध किये जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति
115	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण-यदि अपराध नहीं किया जाता	55	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण-यदि अपराध नहीं किया जाता
116	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण-यदि अपराध न किया जाए	56	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण-यदि अपराध न किया जाए
117	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण	57	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण
118	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना	58	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
119	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक-सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है	59	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक-सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है
120	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना	60	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
अध्याय– 5 क (आपराधिक षडयंत्र)		**अध्याय– 4 (आपराधिक षडयंत्र)**	
120 क	आपराधिक षडयन्त्र की परिभाषा	61 (1)	आपराधिक षडयन्त्र की परिभाषा
120 ख	आपराधिक षडयन्त्र का दण्ड	61 (2)	आपराधिक षडयन्त्र का दण्ड
अध्याय– 6 (राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में)		**अध्याय– 7 (राज्य के विरूद्धअपराधों के विषय में)**	
121	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना	147	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना
121 क	धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षडयन्त्र	148	धारा 147 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षडयन्त्र

122	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध संग्रह करना	149	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध संग्रह करना
123	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना	150	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना
124	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना	151	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना
124 क	राजद्रोह	**संहिता में राजद्रोह का प्रावधान नहीं है। (नई धारा 152)**	
125	भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना	153	भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना (संशोधित)***
126	भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना	154	भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना
127	धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पति प्राप्त करना	155	धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पति प्राप्त करना
128	लोक-सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना	156	लोक-सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना
129	उपेक्षा से लोक-सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना	157	उपेक्षा से लोक-सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना
130	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना	158	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना
अध्याय– 7 (सेना, नौसेना और वायु सेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में)		**अध्याय – 8 (सेना, नौसेना और वायु सेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में)**	
131	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी	159	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी

	सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना			सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना
132	विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए	160		विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए
133	सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जबकि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण	161		सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जबकि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण
134	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए	162		ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए
135	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण	163		सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण
136	अभित्याजक को संश्रय देना	164		अभित्याजक को संश्रय देना
137	मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक	165		मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक
138	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण	166		सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण
138 क	पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**		
139	कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति	167		कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
140	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना	168		सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
अध्याय– 8 (लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में)		**अध्याय– 11 (लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में)**		
141	विधि-विरुद्ध जमाव	189	(1)	विधि-विरुद्ध जमाव

142	विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना	189	(2)	विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना
143	दण्ड			दण्ड
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधि-विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना	189 (4)		घातक आयुध से सज्जित होकर विधि-विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना
145	किसी विधि-विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके विखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना	189 (3)		किसी विधि-विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके विखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना
146	बल्वा करना	191	(1)	बल्वा करना
147	बल्वा करने के लिए दण्ड		(2)	बल्वा करने के लिए दण्ड
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना		(3)	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना
149	विधि-विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गए अपराध का दोषी	190		विधि-विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गए अपराध का दोषी
150	विधि-विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता	189 (6)		विधि-विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता
151	पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को विखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना	189 (5)		पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को विखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना
152	लोक सेवक जब बल्वा इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधिक करना	195		लोक सेवक जब बल्वा इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधिक करना
153	बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना - यदि बल्वा	192		बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना - यदि

	किया जाए-यदि बल्वा न किया जाए			बल्वा किया जाए-यदि बल्वा न किया जाए
153 क	धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का सम्प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करता	196		धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का सम्प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करता
153 क क	किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना	196		किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना
153 ख	राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान	197		राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
154	उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधि-विरुद्ध जमाव किया गया है	193	(1)	उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधि-विरुद्ध जमाव किया गया है
155	उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है		(2)	उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है
156	उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है		(3)	उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है
157	विधि-विरुद्ध जमाव के लिये भाड़े पर लाए गये व्यक्तियों को संश्रय देना	189 (7)		विधि-विरुद्ध जमाव के लिये भाड़े पर लाए गये व्यक्तियों को संश्रय देना
158	विधि-विरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना	189 (8& 9)		विधि-विरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना
159	दंगा	194 (1)		दंगा

160	दंगा करने के लिए दण्ड	194 (2)	दंगा करने के लिए दण्ड
अध्याय– 9 (लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में)		**वर्तमान संहिता में प्रावधान नहीं है**	
161	वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण का लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए लिया जाना **(निरसित)**		
162	लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना **(निरसित)**		
163	लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना**(निरसित)**		
164	धारा 162 या 163 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दण्ड **(निरसित)**		
165	लोक-सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से सम्पृक्त व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है **(निरसित)**		
165 क	धारा 161 या धारा 165 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड **(निरसित)**		
166	लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है	198	लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है
166 क	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है	199	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है
166 ख	पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड	200	पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड
167	लोक सेवक, जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज	201	लोक सेवक, जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज

	रचता है		रचता है
168	लोक सेवक, जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है	202	लोक सेवक, जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है
169	लोक सेवक, जो विधि विरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है	203	लोक सेवक, जो विधि विरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है
170	लोक सेवक का प्रतिरूपण	204	लोक सेवक का प्रतिरूपण
171	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना	205	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना
अध्याय– 9 क (निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में)		**अध्याय– 9 (निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में)**	
171 क	"अभ्यर्थी" "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित	169	"अभ्यर्थी" "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित
171 ख	रिश्वत	170	रिश्वत
171 ग	निर्वाचनों में असम्यक असर डालना	171	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना
171 घ	निर्वाचनों में प्रतिरूपण	172	निर्वाचनों में प्रतिरूपण
171 ङ	रिश्वत के लिए दण्ड	173	रिश्वत के लिए दण्ड
171 च	निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड	174	निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
171 छ	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन	175	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन
171 ज	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय	176	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय
171 झ	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता	177	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
अध्याय – 10 (लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में)		**अध्याय – 13 (लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में)**	
172	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना	206	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना

173	समन की तामीली का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना	207	समन की तामीली का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
174	लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना	208	लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना
174 क	1974 के अधिनियम, 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी	209	2023 के भा0 ना0 सु0 संहिता की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी
175	दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने का लोप	210	दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने का लोप
176	सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप	211	सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप
177	मिथ्या इत्तिला देना	212	मिथ्या इत्तिला देना
178	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाये	213	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाये
179	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इन्कार करना	214	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इन्कार करना
180	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार	215	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार
181	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिये प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन	216	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिये प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन
182	इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण	217	इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण

	शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे		शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे
183	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध	218	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध
184	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना	219	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना
185	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना	220	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना
186	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना	221	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना
187	लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो	222	लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो
188	लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा	223	लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा
189	लोक सेवक को क्षति करने की धमकी	224	लोक सेवक को क्षति करने की धमकी
190	लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी	225	लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी
अध्याय– 11 (मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में)		**अध्याय– 14 (मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में)**	
191	मिथ्या साक्ष्य देना	227	मिथ्या साक्ष्य देना
192	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना	228	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
193	मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड	229	मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड

194	पैरा 1	मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	230	(1)	मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना
	पैरा 2	यदि निर्दोष व्यक्ति तद्द्वारा दोषसिद्धि किया जाए और उसे फाँसी की जाए		(2)	यदि निर्दोष व्यक्ति तद्द्वारा दोषसिद्धि किया जाए और उसे फाँसी की जाए
195		आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	231		आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना
195 क		मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना अथवा उत्प्रेरित करना या प्रलोभन देना	232		मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना अथवा उत्प्रेरित करना या प्रलोभन देना
196		उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है	233		उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
197		मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना	234		मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना
198		प्रमाण-पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना	235		प्रमाण-पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना
199		ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन	236		ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन
200		ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना	237		ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना
201		अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना	238		अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना
202		इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप	239		इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप
203		किए गए अपराध के विषय में	240		किए गए अपराध के विषय में

	मिथ्या इत्तिला देना		मिथ्या इत्तिला देना
204	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना	241	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
205	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण	242	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण
206	सम्पति को समपहृण किये जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किये जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना	243	सम्पति को समपहृण किये जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किये जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
207	सम्पति पर उसके समपहृण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा	244	सम्पति पर उसके समपहृण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा
208	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना	245	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना
209	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना	246	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
210	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना	247	ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
211	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप	248	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप
212	अपराधी को संश्रय देना	249	अपराधी को संश्रय देना (संशोधित)***
213	अपराधी के दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना	250	अपराधी के दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
214	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का	251	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का

	प्रत्यावर्तन		प्रत्यावर्तन
215	चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिये उपहार लेना	252	चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिये उपहार लेना
216	ऐसी अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है	253	ऐसी अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है
216 क	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति	254	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति
216 ख	धारा 212, 216 और धारा 216 क में "संश्रय" की परिभाषा **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहृण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा	255	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहृण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा
218	किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहृण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना	256	किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहृण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना
219	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना	257	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी	258	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी
221	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय	259	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय

	लोप		लोप
222	दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप	260	दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप
223	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना	261	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना
224	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा	262	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा	263	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
225 क	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना	264	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना
225 ख	अन्यथा अनुबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना	265	अन्यथा अनुबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना
226	निर्वासन से विधि-विरुद्ध वापसी दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1 जनवरी, 1956 से) **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
227	दण्ड के परिहार की शर्त की अतिक्रमण	266	दण्ड के परिहार की शर्त की अतिक्रमण
228	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान	267	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान

	या उसके कार्य में विघ्न		या उसके कार्य में विघ्न
228 क	कतिपय अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान की प्रकटीकरण	72	कतिपय अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान की प्रकटीकरण
	बिना अनुमति के न्यायालय कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक	73	बिना अनुमति के न्यायालय कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक
229	जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण	268	असेसर का प्रतिरूपण (जूरी शब्द हटा दिया गया है) (संशोधित)***
229 क	जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने पर असफलता	269	जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने पर असफलता
अध्याय– 12 (सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में)		**अध्याय–10 (सिक्कों, केरेन्सी नोट सरकारी स्टाम्पों व बैंक नोट से सम्बन्धित अपराधों के विषय में)**	
230	"सिक्का" की परिभाषा	178	"सिक्का" की परिभाषा, सिक्के का कूटकरण, भारतीय सिक्के का कूटकरण
231	सिक्के का कूटकरण		
232	भारतीय सिक्के का कूटकरण		
233	सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना	181	सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
234	भारतीय सिक्के के कूटकरण लिए उपकरण बनाना या बेचना		भारतीय सिक्के के कूटकरण लिए उपकरण बनाना या बेचना
235	सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना	181	सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण	**नई संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
237	कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात	179	कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात
238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात		भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात

239	सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था	179	सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
240	उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था	180	उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
241	किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था		किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था
242	कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था		कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
243	भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था		भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
244	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है	187	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है
245	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना	188	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना
246	कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	178	कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
247	कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना		कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
248	इस आशय से किसी सिक्के का		इस आशय से किसी सिक्के का

	रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए		रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए
249	इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार सिक्के के रूप में चल जाए		इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार सिक्के के रूप में चल जाए
250	ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है		ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है
251	भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है		भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है
252	ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया	178	ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया
253	ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था वह उसके कब्जे में आया		ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था वह उसके कब्जे में आया
254	सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिनका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था		सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिनका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण		सरकारी स्टाम्प का कूटकरण
256	सरकारी स्टाम्प कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना	181	सरकारी स्टाम्प कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना
257	सरकारी स्टाम्प कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना		सरकारी स्टाम्प कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना

258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय	179	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय
259	सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना	180	सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना
260	किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना	179	किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना
261	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है	183	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
262	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है	184	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है
263	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना	185	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना
263क	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध	186	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
अध्याय 13 बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में			
264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
265	खोटे बाँट या माप का कपटपूर्वक उपयोग		
266	खोटे बाँट या माप को कब्जे में रखना		
267	खोटे बाँट या माप का बनाना या बेचना		

अध्याय– 14 लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में		अध्याय– 15 (लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में)	
268	लोक न्यूसेंस	270	लोक न्यूसेंस
269	उपेक्षापूर्ण कार्य जिसके लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो	271	उपेक्षापूर्ण कार्य जिसके लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो
270	परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य	272	परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य
271	क्वारन्टीन के नियम की अवज्ञा	273	क्वारन्टीन के नियम की अवज्ञा
272	विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का अपमिश्रण	274	विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
273	अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय	275	अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
274	औषधियों का अपमिश्रण	276	औषधियों का अपमिश्रण
275	अपमिश्रित औषधियों का विक्रय	277	अपमिश्रित औषधियों का विक्रय
276	औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिती के तौर पर विक्रय	278	औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिती के तौर पर विक्रय
277	लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना	279	लोक जल-स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
278	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनना	280	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनना
279	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना	281	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना
280	जलयान का उतावलेपन से चलाना	282	जलयान का उतावलेपन से चलाना
281	भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन	283	भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन
282	अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहरण	284	अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहरण

283	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा	285	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
284	विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	286	विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
285	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	287	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	288	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण
287	मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	289	मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
288	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	290	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
289	जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	291	जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
290	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड	292	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड
291	न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना	293	न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना
292	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि	294	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि
293	तरूण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि	295	बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि (संशोधित)***
294	अश्लील कार्य और गाने	296	अश्लील कार्य और गाने
294 क	लाटरी कार्यालय रखना	297	लाटरी कार्यालय रखना
अध्याय– 15 **धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में**		**अध्याय –16** **धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में**	
295	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना	298	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना

295 क	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गये हों	299	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गये हों
296	धार्मिक जमाव में विघ्न करना	300	धार्मिक जमाव में विघ्न करना
297	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना	301	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना	302	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना
अध्याय– 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में)		**अध्याय– 06 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में)**	
299	आपराधिक मानव वध	100	आपराधिक मानव वध
300	हत्या	101	हत्या
301	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध	102	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध
302	हत्या के लिए दण्ड	103	हत्या के लिए दण्ड
303	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड	104	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड
304	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड	105	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड
304 क	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	106	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
304 ख	दहेज मृत्यु	80	दहेज मृत्यु
305	शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण	107	शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण (संशोधित)***

306	आत्महत्या का दुष्प्रेरण	108	आत्महत्या का दुष्प्रेरण
307	हत्या करने का प्रयत्न	109	हत्या करने का प्रयत्न
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न	110	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
310	ठग		
311	दण्ड		
312	गर्भपात कारित करना	88	गर्भपात कारित करना
313	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना	89	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना
314	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु	90	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु
315	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य	91	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य
316	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना	92	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना
317	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग	93	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग
318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना	94	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना
उपहति के विषय में		**उपहति के विषय में**	
319	उपहति	114	उपहति
320	घोर उपहति	116	घोर उपहति (संशोधित)***
321	स्वेच्छया उपहति कारित करना	115 (1)	स्वेच्छया उपहति कारित करना

322	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	117 (1)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड	115 (2)	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना	118	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड	117 (2)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड (117 (3) नई धारा जोड़ी गयी है)संशोधित ***
326	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	118	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326 क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	124 (1)	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326 ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना	124 (2)	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना
327	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	119	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
328	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना	123	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना
329	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने केलिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	119	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने केलिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
330	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	120	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना

331	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश कर के सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	121		संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश कर के सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना			लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
333	लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना			लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
334	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना	122		प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना
335	प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना			प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो	125		कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो
337	ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए			ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए			ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में		**सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में**		
339	सदोष अवरोध	126		सदोष अवरोध
341	सदोष अवरोध के लिए दण्ड			सदोष अवरोध के लिए दण्ड
340	सदोष परिरोध	127	(1)	सदोष परिरोध
342	सदोष परिरोध के लिए दण्ड		(2)	सदोष परिरोध के लिए दण्ड
343	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध		(3)	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध

344	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	127	(4)	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
345	ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है		(5)	ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है
346	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध		(6)	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध
347	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध		(7)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध
348	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध		(8)	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध
आपराधिक बल और हमले के विषय में		**आपराधिक बल और हमले के विषय में**		
349	बल	128		बल
350	आपराधिक बल	129		आपराधिक बल
351	हमला	130		हमला
352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड	131		गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड
353	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	132		लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	74		स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354 क	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड	75		लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड
354 ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	76		विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

354 ग	दृश्यरतिकता	77		दृश्यरतिकता
354 घ	पीछा करना	78		पीछा करना
355	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	133		गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
356	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	134		किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
357	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयलों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	135		किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयलों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
358	गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	136		गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालत्श्रम के विषय में
व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालत्श्रम के विषय में		**व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालत्श्रम के विषय में**		
359	व्यपहरण	137	(1)	व्यपहरण
360	भारत में व्यपहरण		(a)	भारत में व्यपहरण
361	विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण		(b)	विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण
363	व्यपहरण के लिए दण्ड		(2)	व्यपहरण के लिए दण्ड
362	अपहरण	138		अपहरण
363 क	भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण	139		भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	140	(1)	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण
364 क	मुक्ति-धन इत्यादि, के लिए व्यपहरण		(2)	मुक्ति-धन इत्यादि, के लिए व्यपहरण

365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण	140	(3)	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण
367	व्यक्ति की ओर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण		(4)	व्यक्ति की ओर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण
366	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना, या उत्प्रेरित करना	87		विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना, या उत्प्रेरित करना
366 क	अप्राप्तव्य लड़की का उपापन	96		बालक का उपापन (संशोधित)***
366 ख	विदेश से ***लड़की*** का आयात करना	141		विदेश से ***लड़की या लड़के*** का आयात करना (संशोधित)***
368	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना	142		व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
369	दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण	97		दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
370	व्यक्ति का दुर्व्यापार	143		व्यक्ति का दुर्व्यापार
370 क	ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण	144		ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण
371	दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना	145		दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना
372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवव्य को बेचना	98		वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना (संशोधित)***
373	वेश्वावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना	99		वेश्वावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए बालक का खरीदना (संशोधित)***
374	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम	146		विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम

यौन अपराध के विषय में		अध्याय – 5 महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध (यौन अपराध के विषय में)	
375	बलात्संग	63	बलात्संग
376	बलात्संग के लिए दण्ड	64	बलात्संग के लिए दण्ड
376 (3)	सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग	65 (1)	सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग
376 क	पीडिता की मृत्यु या लगातार विकृत्तशील दशा कारित करने के लिए दण्ड	66	पीडिता की मृत्यु या लगातार विकृत्तशील दशा कारित करने के लिए दण्ड
376 क ख	बारह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्संग के लिए दण्ड	65 (2)	बारह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्संग के लिए दण्ड
376 ख	पति द्वारा पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान सम्भोग	67	पति द्वारा पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान सम्भोग
376 ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा सम्भोग	68	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा सम्भोग
376 घ	सामूहिक बलात्कार	70 (2)	सामूहिक बलात्कार, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए दण्ड (संशोधित)***
376 घ क	16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए दण्ड		
376 घ ख	बारह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्संग सामूहिक दुष्कर्म के लिए दण्ड		
376 ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिये दण्ड	71	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिये दण्ड
प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में			
377	प्रकृति विरुद्ध अपराध	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
अध्याय – 17 (सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में)		**अध्याय – 17 (सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में)**	
378	चोरी	303 (1)	चोरी
379	चोरी के लिए दण्ड	303 (2)	चोरी के लिए दण्ड
380	निवास गृह आदि में चोरी	305	निवास गृह आदि में चोरी

			(संशोधन) ***
381	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी	306	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी
382	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी	307	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी
उद्दापन के विषय में		**उद्दापन के विषय में**	
383	उद्दापन	308 (1)	उद्दापन
384	उद्दापन के लिए दण्ड	308 (2)	उद्दापन के लिए दण्ड ***(संशोधन)******
385	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना	308 (3)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना
386	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन	308 (5)	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन
387	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना	308 (4)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना
388	मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन	308 (6)	मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन
389	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना	308 (7)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना
लूट और डकैती के विषय में		**लूट और डकैती के विषय में**	
390	लूट	309 (1)	लूट
391	डकैती	310 (1)	डकैती
392	लूट के लिए दण्ड	309 (4)	लूट के लिए दण्ड
393	लूट करने का प्रयत्न	309 (5)	लूट करने का प्रयत्न
394	लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना	309 (6)	लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना
395	डकैती के लिये दण्ड	310 (2)	डकैती के लिये दण्ड

396	हत्या सहित डकैती	310 (3)	हत्या सहित डकैती
397	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती	311	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
398	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न	312	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
399	डकैती करने के लिए तैयारी करना	310 (4)	डकैती करने के लिए तैयारी करना
400	डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड	310 (6)	डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड
401	चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड	313	चोरों या **लुटेरों** की टोली का होने के लिए दण्ड (संशोधित)***
402	डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना	310 (5)	डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना
सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में		**सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में**	
403	सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग	314	सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
404	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी	315	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी
आपराधिक न्यासभंग के विषय में		**आपराधिक न्यासभंग के विषय में**	
405	आपराधिक न्यासभंग	316 (1)	आपराधिक न्यासभंग
406	आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड	316 (2)	आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड
407	वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यास-भंग	316 (3)	वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यास-भंग
408	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास-भंग	316 (4)	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास-भंग
409	लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास-भंग	316 (5)	लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास-भंग
चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में		**चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में**	
410	चुराई हुई सम्पत्ति	317 (1)	चुराई हुई सम्पत्ति **(संशोधित)*****

411	चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना	317 (2)	चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
412	ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है	317 (3)	ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है
413	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना	317 (4)	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना
414	चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने में सहायता करना	317 (5)	चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने में सहायता करना
छल		**छल**	
415	छल	318 (1)	छल
416	प्रतिरूपण द्वारा छल	319 (1)	प्रतिरूपण द्वारा छल
417	छल के लिए दण्ड	318 (2)	छल के लिए दण्ड
418	इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है	318 (3)	इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है
419	प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड	319 (2)	प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड
420	छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना	318 (4)	छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना
421	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना	320	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना
422	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना	321	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
423	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक	322	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक

	निष्पादन			निष्पादन
424	सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना	323		सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना
	रिष्टि के विषय में			**रिष्टि के विषय में**
425	रिष्टि	324 (1)		रिष्टि
426	रिष्टि के लिए दण्ड	324 (2)		रिष्टि के लिए दण्ड
427	रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है	324 (4)		रिष्टि जिससे ***बीस हजार या अधिक की सम्पत्ति जो एक लाख से कम हो*** का नुकसान होता है
428	दस रुपये के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	325		किसी जीवजन्तु या ढोर की रिष्टि के लिए दण्ड
429	किसी मूल्य के ढोर, आदि की या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीवजन्तुको वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि			
430	सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि	326	a	सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि
431	लोक सड़क, पुल, नदी या जलसारणी को क्षति पहुँचाकर रिष्टि		b	लोक सड़क, पुल, नदी या जलसारणी को क्षति पहुँचाकर रिष्टि
432	लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि		c	लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
433	किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि		d	किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमिचिह्न को नष्ट या हटाने आदि द्वारा रिष्टि		e	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमिचिह्न को नष्ट या हटाने आदि द्वारा रिष्टि

435	सौ रूपये का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	326	f	***कृषि उपज सहित किसी सम्पत्ति को*** नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
436	गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि		g	गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
437	तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि	327 (1)		***तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान, रेल, वायुयान*** को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि (संशोधित)***
438	धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दण्ड	327 (2)		धारा 327 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दण्ड
439	चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड	328		चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड
440	मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि	324 (6)		मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि
आपराधिक अतिचार के विषय में		**आपराधिक अतिचार के विषय में**		
441	आपराधिक अतिचार	329 (1)		आपराधिक अतिचार
442	गृह-अतिचार	329 (2)		गृह-अतिचार
443	प्रच्छन्न गृह-अतिचार	330 (1)		प्रच्छन्न गृह-अतिचार
444	रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार	331 (2)		रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार
445	गृह-भेदन	330 (2)		गृह-भेदन
446	रात्री गृह-भेदन	331 (2)		रात्री गृह-भेदन
447	आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड	329 (3)		आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड
448	गृह-अतिचार के लिए दण्ड	329 (4)		गृह-अतिचार के लिए दण्ड
449	मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह- अतिचार	332 (a)		मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह- अतिचार

450	आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार	332 (b)	आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
451	कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार	332 (c)	कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
452	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चातगृह- अतिचार	333	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चातगृह- अतिचार
453	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड	331 (1)	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड
454	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन	331 (3)	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
455	उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन	331 (5)	उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
456	रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन के लिए दण्ड	331 (2)	रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन के लिए दण्ड
457	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन	331 (4)	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन
458	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री- गृहभेदन	331 (6)	उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री-गृहभेदन
459	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो	331 (7)	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
460	रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो	331 (8)	रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो
461	ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना	334 (1)	ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना

462	उसी अपराध के लिए दण्ड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है	334 (2)	उसी अपराध के लिए दण्ड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है
अध्याय– 18 (दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराधों के विषय में)		**अध्याय– 18 (दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराधों के विषय में)**	
463	कूटरचना	336 (1)	कूटरचना
464	मिथ्या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचना	335	मिथ्या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचना
465	कूटरचना के लिए दण्ड	336 (2)	कूटरचना के लिए दण्ड
466	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना	337	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना
467	मूल्यवान प्रतिभूति, बिल, इत्यादि की कूटरचना	338	मूल्यवान प्रतिभूति, बिल, इत्यादि की कूटरचना
468	छल के प्रयोजन से कूटरचना	336 (3)	छल के प्रयोजन से कूटरचना
469	ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूटरचना	336 (4)	ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूटरचना
470	कूटरचित (दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख)	340 (1)	कूटरचित (दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख) (संशोधित)***
471	कूटरचित (दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख असली के रूप में उपयोग में लाना)	340 (2)	कूटरचित (दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख असली के रूप में उपयोग में लाना)
472	धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि को बनाना या कब्जे में रखना	341 (1)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि को बनाना या कब्जे में रखना
473	अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना	341 (2)	अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
474	धारा 466 या 467 में वर्णित	339	धारा 337 या 338 में वर्णित

	दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना		दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
475	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना	342 (1)	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
476	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधि-प्रमाणीकरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना	342 (2)	धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधि-प्रमाणीकरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
477	विल (वसीयत),दत्तकग्रहण-प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द,नष्ट, आदि करना	343	विल (वसीयत),दत्तकग्रहण-प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द,नष्ट, आदि करना
477 क	लेखा का मिथ्याकरण	344	लेखा का मिथ्याकरण
सम्पत्ति-चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में		**सम्पत्ति-चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में**	
478	व्यापार चिह्न **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
479	सम्पत्ति-चिह्न	345 (1)	सम्पत्ति-चिह्न
480	मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
481	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना	345 (2)	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना
482	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करने के लिए दण्ड	345 (3)	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करने के लिए दण्ड
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण	347 (1)	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण

484	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण	347 (2)	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
485	सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा	348	सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
486	कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय	349	कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय
487	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है	350 (1)	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है
488	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड	350 (2)	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड
489	क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना	346	क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में		**अध्याय – 10 (करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में)**	
489 क	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण	178	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
489 ख	कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना	179	कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
489 ग	कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंकों नोटों को कब्जे में रखना	180	कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंकों नोटों को कब्जे में रखना
489 घ	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना	181	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
489 ङ	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग	182	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग

अध्याय– 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में		अध्याय– 19 (आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में)	
490	समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग कर्मकार (निरसन) अधिनियम, 1925 (1925 का 3) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
491	असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्तिकरने की संविदा का भंग	357	असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्तिकरने की संविदा का भंग
492	दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है **(निरसित)**	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
अध्याय– 20 विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में		**अध्याय – 5 महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध (विवाह सम्बन्धी अपराध)**	
493	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास	81	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास
494	पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना	82	पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना
495	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है	82 (2)	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है
496	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना	83	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना
497	जारकर्म	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
498	विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना	84	विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना

अध्याय– 20 क पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में		अध्याय – 5 महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध (पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरता)	
498 क	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना	85	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना
	स्पष्टीकरण – क्रूरता परिभाषित	86	क्रूरता की परिभाषा
अध्याय– 21 मानहानि के विषय में		**अध्याय– 19 आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में (मानहानि के विषय में)**	
499	मानहानि	356 (1)	मानहानि
500	मानहानि के लिए दण्ड	356 (2)	मानहानि के लिए दण्ड
501	मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना	356 (3)	मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना
502	मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना	356 (4)	मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना
अध्याय– 22 (आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में)		**अध्याय– 19 (आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में)**	
503	आपराधिक अभित्रास	351 (1)	आपराधिक अभित्रास
504	लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान	352	लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान
505	लोक रिष्टिकारक वक्तव्य	353	लोक रिष्टिकारक वक्तव्य
506	आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड	351 (2), (3)	आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड
507	अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास	351 (4)	अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास
508	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य	354	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य

509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	79	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
510	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार	355	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार
अध्याय– 23 (अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में)		**अध्याय– 4 (दुष्प्रेरण, अपराधिक षडयन्त्र के विषय में)**	
511	आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड	62	आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड

नोट – जिन मुख्य धाराओं में संशोधन किया गया है उन्हे सूची में *** से चिन्हित किया गया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या **"भाग – ग"** में दिया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का तुलनात्मक अध्ययन

भाग – क

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोडी गयी नयी धाराऐं

भाग – ख

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के वह प्रावधान जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

भाग – ग

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

भाग – घ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

भाग-क

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 2 (1) (क)	**ऑडियो – विडियो इलैक्ट्रानिक-** इसके अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रैसिंग के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य के लिए इलैक्ट्रानिक संसूचना का पारेषण व अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने वाली युक्ति आते हैं।
2	धारा 2 (1) (ख)	**जमानत-** किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा शर्तों के अधीन अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को वन्धपत्र या जमानत पत्र पर अभिरक्षा से छोड़ा जाना अभिप्रेत है।
3	धारा 2 (1) (घ)	**जमानत बन्धपत्र-** से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है।
4	धारा 2 (1) (ङ)	**बन्धपत्र-** से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंधपत्र या वचनबंध अभिप्रेत है।
5	धारा 2 (1) (झ)	इलैक्ट्रानिक संसूचना
6	धारा 82 (2)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 82 (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतः निवास करता है, को तुरन्त जानकारी देगा।
7	धारा 86	**उद्घोषित व्यक्ति की सम्पत्ति की पहचान व कुर्की** – न्यायालय, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे उपर के किसी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होंने पर अध्याय 8 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से सम्बन्धित सम्पत्ति की पहचॉन, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या सम्बन्धित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया का आरम्भ करेगा।
8	धारा 105	श्रव्य – दृष्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। (टिप्पणी – विवेचना के दौरान सर्च और सीज़र तथा वारंट के

		साथ सीजर की समस्त कार्यवाही वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की जाएगी)
9	धारा 107	**सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी** टिप्पणी – यदि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति किसी अपराधी क्रिया कलाप से अर्जित की गई है तो ऐसे संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन कर सकता है ऐसा आवेदन पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात सक्षम न्यायालय में किया जाएगा।
10	धारा 172	पुलिस की विधिपूर्ण निर्देशों के पालन हेतु व्यक्तियों का बाध्य होना।
11	धारा 336	कुछ मामलों में लोक सेवक, विशेषज्ञ व पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। (टिप्पणी – यदि किसी मामले में किसी लोकसेवक विशेषज्ञों या पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किसी दस्तावेज या रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में साबित किया जाना है तो ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर या साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाने पर या अत्यधिक विलंब होने पर ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट के संबंध में उसके उत्तरजीवी अधिकारी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया जा सकेगा)
12	धारा 356	उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण व निर्णय।
13	धारा 398	साक्षी संरक्षण स्कीम।
14	धारा 472	मृत्यु की सजा के मामले में दया याचिका।
15	धारा 530	विचारण व अन्य कार्यवाही इलैक्ट्रानिक मोड में हो सकेंगी।

भाग – ख

दण्ड प्रक्रिया संहिता के वह प्रावधान जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 8	महानगर क्षेत्र
2	धारा 10	सहायक न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना
3	धारा 16	महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय
4	धारा 17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
5	धारा 18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट
6	धारा 19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
7	धारा 27	किशोरों के मामले में अधिकारिता
8	धारा 144 क	आयुद्ध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति
9	धारा 153	बाटों और मापों का निरीक्षण
10	धारा 355	महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय
11	धारा 404	महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना

भाग- ग

दण्ड प्रक्रिया संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

क्र0सं0	BNSS धारा	विवरण
1	धारा 20	अभियोजन निदेशालय – इस संहिता में राज्य स्तर और प्रत्येक जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य अभियोजन निदेशालय – निदेशक अभियोजन और उप निदेशक अभियोजन राज्य निदेशालय में निदेशक या उप निदेशक के पद की योग्यता – कम से कम 15 वर्ष अधिवक्ता रहा हो या सेशन जज हो या रह चुका हो। जिला अभियोजन निदेशालय – उप निदेशक और सहायक निदेशक जिला निदेशालय में उप निदेशक या सहायक निदेशक के पद की योग्यता – कम से कम 07 वर्ष अधिवक्ता रहा हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट 'प्रथम श्रेणी' हो।
2	धारा 35 (7)	नई संहिता में खण्ड (7) जोड़ी गयी है। ऐसे किसी मामले में जिसमें 03 वर्ष से कम कारावास की सजा हो किसी अशक्त व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे किसी पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से निम्न न हो। (यद्यपि धारा 35 के उपबंध के अनुसार 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है किंतु धारा 35(7) के अनुसार 3 वर्ष से कम की कारावास की सजा वाले अपराध में यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक हो तो विवेचक को ठोस प्रमाण के साथ पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना चाहिए कि अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है। ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी की आवश्यकता साबित की जा सके)
3	धारा 37	प्रत्येक थाने पर व जिले में स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्ष में विहित प्राधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो सहायक उप निरीक्षक के पद से निम्न नहीं होगा, ऐसा विहित प्राधिकारी नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं के अनुरक्षण के लिए दायित्वाधीन होगा।

		(प्रत्येक जिले के कंट्रोल रूम में एक टेलीफोन नंबर स्थापित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने थाने के पदाविहित अधिकारी एवं जिले के कंट्रोल रूम का (जिले के पदाविहित अधिकारी का नंबर) ज्ञात होना चाहिए, जब भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा को तत्काल पदाविहित अधिकारी को गिरफ्तारी के आधारों, के संबंध में सूचित करेगा। इसका अंकन सूचना मेमो मे भी कर दिया जाये)
4	धारा 40	नई संहिता में धारा 40 के अनुसार जब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब किये बिना 06 घण्टे भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जायेगा या भिजवायेगा।
5	धारा 43	धारा 43 में नया खण्ड (3) जोड़ा गया है। पुलिस अधिकारी अपराध की गम्भीरता व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभ्यस्ततः अपराधी, अभिरक्षा से फरार होने वाले अपराधी या ऐसा अपराधी जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, हत्या, बलात्कार आदि उल्लिखित अपराध कारित किया हो, को गिरफ्तारी के समय या न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत करते समय हथकड़ी लगा सकता है। (पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर तथा थानाध्यक्ष अपने अधीनस्थ प्रत्येक अधिकारियों /कर्मचारियों को धारा 43 (गिरफ्तारी कैसे की जायेगी) के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाने के नियमों के संबंध में समुचित रूप से अवगत कराएं ताकि प्रत्येक कर्मचारी को ज्ञात हो कि उन्हें किन-किन धाराओं में अभियुक्त की गिरफ्तारी में हथकड़ी लगाना है)
6	धारा 48	गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त व्यक्ति के रिश्तेदारों और नातेदारों के अतिरिक्त धारा 37 के तहत थाने पर व जिला नियंत्रण कक्ष में नियुक्त विहित प्राधिकारी को भी दी जायेगी।
7	धारा 63	समन इलैक्ट्रानिक रूप में भी हो सकता है।
8	धारा 64	समन की तामील ऐसे इलैक्ट्रानिक संसूचना के साधनों द्वारा भी करायी जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।
9	धारा 64 (परन्तुक)	पुलिस थाना या न्यायालय का रजिट्रार पता, ई – मेल पता, फोन नम्बर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबन्धित करे, की प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर रखेगा।

10	धारा 82 (2)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 82 (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधरणतः निवास करता है, को तुरन्त जानकारी देगा। (टिप्पणी – जब वारंट की तामील अन्य जिले में की जाए तो गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की सूचना (गिरफ्तारी के आधार, वह स्थान जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है) अपने जिले के पदाविहित अधिकारी को देने के साथ ही उस जिले के पदाविहित अधिकारी को भी देगा जिस जिले में गिरफ्तारी की गई है को भी देगा इसका अंकन सूचना मेमो में भी कर दिया जाये)
11	धारा 84	फरार व्यक्तियों की उदघोषणा – दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में कतिपय धाराओं में ही किसी फरार अभियुक्त को उदघोषित अपराधी की उदघोषणा की जा सकती थी। वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऐसे अपराध जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हैं, में ही किसी अभियुक्त को उदघोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है।
12	धारा 157	इस धारा के तहत की जाने वाली कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र या 90 दिन के अन्दर पूरी की जायेगी जो कारणों को उल्लिखित करते हुए 120 दिन तक बढायी जा सकती है।
13	धारा 173 (1)	संज्ञेय अपराध की इत्तिला – संज्ञेय अपराध के किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक इत्तिला, उस क्षेत्र पर विचार किये बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी (जीरो F.I.R. को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है)
14	धारा 173 (1) (ii)	संज्ञेय अपराध की सूचना – संज्ञेय अपराध की सूचना इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है (E–F.I.R.) ऐसी संसूचना जो इलैक्ट्रानिक माध्यम से दी जायेगी उस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर 03 दिन के अन्दर कराये जाऐंगे।
15	धारा 173 (3)	धारा 175 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे मामले जिसमें किसी ऐसे अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है जो 03 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो थाने का

		भारसाधक अधिकारी ऐसे किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक से निम्न पद का न हो, से पूर्व अनुमति प्राप्त कर मामले में प्रारम्भिक जांच यह सुनिश्चित करने हेतु कर सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। ऐसी प्रारम्भिक जांच 14 दिन के अन्दर की जाऐगी। यदि मामले में जांच के दौरान प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अन्वेषण की अग्रेतर कार्यवाही की जाऐगी। (जांच किस अपराध में होगी यह अपराध की गम्भीरता एवं प्रकृति पर निर्भर करेगा)
16	धारा 174 (1) (ii)	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155 (1) के अनुसार जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अन्दर असंज्ञेय अपराध किये जाने की इत्तला दी जाती है तब वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 174 (1) (2) के अनुसार थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
17	धारा 175	संज्ञेय मामले में अन्वेषण में पुलिस अधिकारी की शक्ति –धारा 175 खण्ड (1) में परन्तुक जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक मामले की गम्भीरता और प्रकृति को देखते हुए मामले में अन्वेषण किसी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधीकारी से करा सकते हैं। (टिप्पणी – परंतु के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एस0ओ0पी0 का निर्माण कर ऐसे अपराधों की सूची जारी की जा सकती है जिन मामलों में C.O. ही विवेचना करेंगे, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक समय समय पर मामलों की प्रकृति एवं गंभीरता पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि किस मामले की विवेचना C.O. द्वारा ही की जाए।
18	धारा 175 (4)	संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरूद्ध उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये किसी कृत्य के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर अन्वेषण का आदेश दे सकता है, किन्तु ऐसा आदेश देने से पूर्व मजिस्ट्रेट – 1 – ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले से सम्बन्धित तथ्यों व परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या और

		2 – ऐसा लोक सेवक जिस पर आरोप है, के द्वारा आरोप के सम्बन्ध में किये गये दावे पर विचार करेगा।
19	धारा 176 (2)	धारा 176 खण्ड (1) परन्तुक के उपखण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में आगे कोई अन्वेषण कार्यवाही न करने के बावत सूचना दैनिक डायरी के साथ मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप में करेगा।
20	धारा 176 (3)	ऐसे अपराध किये जाने की सूचना जो 07 वर्ष या उससे के अधिक के कारावास से दण्डनीय है, प्राप्त होने पर थाने का भारसाधक अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण करने व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने हेतु फोरेन्सिक विशेषज्ञ को साथ ले जाऐगा और उक्त समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाऐगी। (इस संहिता के प्रवर्तन से 05 वर्ष के अन्दर उक्त के लागू होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा)
21	धारा 179 (1) परन्तुक (ii)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 (1) परन्तुक (2) के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। (टिप्पणी –1. यदि उक्त संबंध में कोई महिला 2. 15 वर्ष से कम उम्र का बच्चा 3. 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से थाने में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाना चाहता है तो उनकी लिखित सहमति ली जानी चाहिये
22	धारा 183	नई संहिता के तहत महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के मामले में पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित की जाऐगी यदि महिला मजिस्ट्रेट न होने पर पुरूष मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जाता है तो किसी महिला की उपस्थिति में लिया जाऐगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये गये किसी साक्षी का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाऐगा।
23	धारा 185	**पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी-** पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान की जाने वाली तलाशी का मोबाइल फोन/श्रव्यदृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। ऐसे अभिलेख की प्रतियां तत्काल, किन्तु 48 घण्टों के पश्चात न हो,

		निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जायेंगी। जिस स्थान की तलाशी ली गयी है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जायेगी।
24	धारा 187	**जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया-** इस सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं- **1- पुलिस रिमाण्ड के सम्बन्ध में-** 60 दिन या 90 दिन जैसी स्थिति हो, में से पहले 40 दिन या 60 दिन के दौरान पुलिस रिमाण्ड ली जा सकती है पुलिस रिमाण्ड कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी। पूर्व में प्रथम 15 दिवस तक ही पुलिस रिमाण्ड दिये जाने का प्राविधान था। **2- डिफॉल्ट बेल के सम्बन्ध में- (I)** मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के सम्बन्ध में हो जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दण्डनीय है तथा अन्य अपराध के सम्बन्ध में 60 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा।
25	धारा 193 (2)	भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 व 10 से सम्बन्धित मामले में अन्वेषण की कार्यवाही 60 दिन में पूरी की जाऐगी।
26	धारा 193 (i) (झ)	इलैक्ट्रानिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम। (टिप्पणी – इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का उल्लेख आरोप पत्र में किया जाएगा)
27	धारा 193(3) (ii)	मामले के अन्वेषण में हुई प्रगति के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता / पीड़ित को 90 दिन के अन्दर सूचना दी जाऐगी। (टिप्पणी – उक्त प्रोविज़न के संबंध में अभिप्राय है कि 90 दिन के अंदर विवेचना में हुई प्रगति के संबंध में पीड़िता या वादी को अवगत कराया जाएगा)
28	धारा 193 (9)	विचारण के दौरान किसी मामले में अग्रेतर अन्वेषण न्यायालय के अनुमति से किया जाऐगा और ऐसा अग्रेतर अन्वेषण अनुमति की तिथि से 90 दिन के अन्दर पूरी की जाऐगी और ऐसी अवधि विचारण न्यायालय की अनुमति से बढायी जा सकेगी। (टिप्पणी – (1) अग्रेतर अन्वेषण के लिए सम्बंधित न्यायालय से

		अनुमति प्राप्त करनी होगी। (2) अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र में ऐसे तथ्य इंगित करने होंगे ताकि न्यायालय को यह स्पष्ट हो जाए कि मामले में अग्रेतर विवेचना की आवश्यकता है। (3) अनुमति प्राप्त होने पर अग्रिम विवेचना 90 दिन में पूर्ण करनी होगी अन्यथा न्यायालय से अधिक समय की अपेक्षा की जाएगी।
29	धारा 195 (1) परन्तुक (2)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 195 (1) परन्तुक ((2) के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति (महिला, 15 वर्ष से कम आयु का या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति) पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।
30	धारा 202	धारा 202 में पत्र आदि के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से किये गये अपराध के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।
31	धारा 230	धारा 230 में प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित दस्तावेज को अभियुक्त के साथ – साथ पीड़िता या उसके अधिवक्ता को दी जाऐगी।
32	धारा 349	नमूना हस्ताक्षर व नमूना हस्तलेख के अतिरिक्त वॉयस सैम्पल को सम्मिलित किया गया है। लिखित कारणों के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से गिरफ्तार किये बिना नमूना हस्ताक्षर व नमूना हस्तलेख, वॉयस सैम्पल देने का आदेश कर सकता है।
33	धारा 360	वाद वापसी के मामले में वादी का सुना जाना आवश्यक है।
34	धारा 497	कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश – सम्पत्ति के व्ययन किये जाने के दौरान सम्पूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी, वीड़ियोग्राफी की जाऐगी।
35	धारा 497 (2)	न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 14 दिन के अन्दर न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त सम्पत्ति का एक विवरण तैयार करेगा जो ऐसे प्रारूप में होगा जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे । ऐसी सम्पत्तियों का फोटोग्राफी / वीड़ियोग्राफी किया जाऐगा, जो साक्ष्यों में उपयोग में लाया जाऐगा। ऐसी सम्पत्तियों का विवरण, फोटोग्राफी/वीड़ियोग्राफी तैयार कर लेने के पश्चात 30 दिन के अन्दर ऐसी सम्पत्तियों के व्ययन का आदेश देगा।

भाग – घ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
अध्याय – 1 (प्रारम्भिक)		**अध्याय – 1 (प्रस्तावना)**	
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	परिभाषाएं	2	परिभाषाएं **(कुछ नई परिभाषाऐं जोडी गयी हैं)*****
3	निर्देशों का अर्थ लगाना	3	निर्देशों का अर्थ लगाना
4	भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण	4	भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण
5	व्यावृत्ति	5	व्यावृत्ति
अध्याय 2 (दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन)		**अध्याय 2 (दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन)**	
6	दण्ड न्यायालयों के वर्ग	6	दण्ड न्यायालयों के वर्ग
7	प्रादेशिक खण्ड	7	प्रादेशिक खण्ड
8	महानगर क्षेत्र	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
9	सेशन न्यायालय	8	सेशन न्यायालय
10	सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
11	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	9	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
12	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि	10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि
13	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
14	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	12	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
15	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	13	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
6	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट		

18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना		
20	कार्यपालक मजिस्ट्रेट	**14**	कार्यपालक मजिस्ट्रेट
21	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट	**15**	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
22	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	**16**	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
23	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	**17**	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
24	लोक अभियोजक	**18**	लोक अभियोजक
25	सहायक लोक अभियोजक	**19**	सहायक लोक अभियोजक
25 क	अभियोजन निदेशालय	**20**	अभियोजन निदेशालय **(संशोधन)*****
अध्याय 3 (न्यायालयों की शक्ति)		**अध्याय 3 (न्यायालयों की शक्ति)**	
26	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं	**21**	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
28	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे	**22**	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे
29	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे	**23**	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे
30	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश	**24**	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश
31	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश	**25**	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश
32	शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग	**26**	शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग
33	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ	**27**	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ
34	शक्तियों को वापस लेना	**28**	शक्तियों को वापस लेना
35	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना	**29**	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना

अध्याय 4 क वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ		अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ	
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ	30	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ
ख-मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता			
37	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी	31	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी
38	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है	32	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है
39	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना	33	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना
40	ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य	34	ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य
अध्याय 5(व्यक्तियों की गिरफ्तारी)		**अध्याय 5(व्यक्तियों की गिरफ्तारी)**	
41	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी	35 (1)	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी **(संशोधन)*****
41 क	पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना	35 (3)	पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना
41 ख	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य	36	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
41 ग	जिले में नियंत्रण कक्ष	37	जिले में नियंत्रण कक्ष **(संशोधन)*****
41 घ	गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार	38	गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी	39	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
43	प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया	40	प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया **(संशोधन)*****
44	मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी	41	मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
45	सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी	42	सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी

	से संरक्षण		से संरक्षण
46	गिरफ्तारी कैसे की जाएगी	**43**	गिरफ्तारी कैसे की जाएगी **(संशोधन)***
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है	**44**	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है
48	अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना	**45**	अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना
49	अनावश्यक अवरोध न करना	**46**	अनावश्यक अवरोध न करना
50	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना	**47**	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना
50 क	गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता	**48**	गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता **(संशोधन)***
51	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी	**49**	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी
52	आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति	**50**	आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति
53	पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा	**51**	पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा
53 क	बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा	**52**	बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा
54	गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा	**53**	गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा
54 क	गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त	**54**	गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त
55	जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया	**55**	जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया

55 क	गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा	**56**	गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
56	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना	**57**	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना
57	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घण्टे से अधिक निरुद्ध न किया जाना	**58**	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घण्टे से अधिक निरुद्ध न किया जाना
58	पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना	**59**	पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना
59	पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन	**60**	पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन
60	निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति	**61**	निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति
60 क	गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना	**62**	गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना
अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं – क (समन)		**अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं – क (समन)**	
61	समन का प्रारूप	**63**	समन का प्रारूप **(संशोधन)*****
62	समन की तामील कैसे की जाए	**64**	समन की तामील कैसे की जाए **(संशोधन)*****
63	निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील	**65**	निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील
64	जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील	**66**	जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील
65	जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया	**67**	जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया
66	सरकारी सेवक पर तामील	**68**	सरकारी सेवक पर तामील
67	स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील	**69**	स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील
68	ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत	**70**	ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत
69	साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील	**71**	साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील **(संशोधन)*****

ख गिरफ्तारी का वारन्ट		**ख गिरफ्तारी का वारन्ट**	
70	गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि	**72**	गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि
71	प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति	**73**	प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
72	वारण्ट किसको निदिष्ट होंगे	**74**	वारण्ट किसको निदिष्ट होंगे
73	वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे	**75**	वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे
74	पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट	**76**	पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट
75	वारण्ट के सार की सूचना	**77**	वारण्ट के सार की सूचना
76	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना	**78**	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना
77	वारण्ट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है	**79**	वारण्ट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है
78	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट	**80**	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट
79	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट	**81**	अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट
80	जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया	**82**	जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया **संशोधन** ***
81	उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए	**83**	उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए
ग-उद्घोषणा और कुर्की		**ग-उद्घोषणा और कुर्की**	
82	फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा	**84**	फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा **(संशोधन)*****
83	फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की	**85**	फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की
84	कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ	**87**	कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ
85	कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना	**88**	कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना

86	कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील	**89**	कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील
घ- आदेशिकाओं सम्बन्धी अन्य नियम		**घ- आदेशिकाओं सम्बन्धी अन्य नियम**	
87	समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना	**90**	समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना
88	हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति	**91**	हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति
89	हाजिरी का बन्धपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी	**92**	हाजिरी का बन्धपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी
90	इस अध्याय के उपबन्धों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लान होना	**93**	इस अध्याय के उपबन्धों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लान होना
अध्याय 7 चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं क-पेश करने के लिए समन		**अध्याय 7 चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं क-पेश करने के लिए समन**	
91	दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन	**94**	दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन
92	पत्रों और तारों के सम्बन्ध में प्रक्रिया	**95**	पत्रों और तारों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
ख-तलाशी-वारण्ट		**ख-तलाशी-वारण्ट**	
93	तलाशी-वारण्ट कब जारी किया जा सकता है	**96**	तलाशी-वारण्ट कब जारी किया जा सकता है
94	उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है	**97**	उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है
95	कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारण्ट जारी करने की शक्ति	**98**	कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारण्ट जारी करने की शक्ति
96	समपहृण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन	**99**	समपहृण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन
97	सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी	**100**	सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी

98	अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति	**101**	अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति
ग-तलाशी सम्बन्धी साधारण उपबन्ध		**ग-तलाशी सम्बन्धी साधारण उपबन्ध**	
99	तलाशी-वारण्टों का निदेशन आदि	**102**	तलाशी-वारण्टों का निदेशन आदि
100	बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे	**103**	बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे
101	अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन	**104**	अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन
घ-प्रकीर्ण		**घ-प्रकीर्ण**	
102	कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति	**106**	कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
103	मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है	**108**	मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है
104	पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति	**109**	पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति
105	आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था	**110**	आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था
अध्याय 7-क कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की और समपहण के लिए प्रक्रिया		**अध्याय 8 – कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की और समपहण के लिए प्रक्रिया**	
105 क	परिभाषाएं	**111**	परिभाषाएं
105 ख	व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता	**114**	व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता
105 ग	सम्पत्ति की कुर्की या समपहण के आदेशों के सम्बन्ध में सहायता	**115**	सम्पत्ति की कुर्की या समपहण के आदेशों के सम्बन्ध में सहायता
105 घ	विधिविरुद्धतया अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना	**116**	विधिविरुद्धतया अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना
105 ङ	सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की	**117**	सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की
105 च	इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत सम्पत्ति का प्रबन्ध	**118**	इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत सम्पत्ति का प्रबन्ध
105 छ	सम्पत्ति के समपहण की सूचना	**119**	सम्पत्ति के समपहण की सूचना
105 ज	कतिपय मामलों में सम्पत्ति का समपहण	**120**	कतिपय मामलों में सम्पत्ति का समपहण

105 झ	समपहृण के बदले जुर्माना	**121**	समपहृण के बदले जुर्माना
105 ञ	कुछ अन्तरणों का अकृत और शून्य होना	**122**	कुछ अन्तरणों का अकृत और शून्य होना
105 ट	अनुरोध-पत्र की बाबत प्रक्रिया	**123**	अनुरोध-पत्र की बाबत प्रक्रिया
105 ठ	इस अध्याय का लागू होना	**124**	इस अध्याय का लागू होना
अध्याय 8 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति		**अध्याय 9 – परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति**	
106	दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	**125**	दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
107	अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	**126**	अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
108	राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति	**127**	कुछ मामलों को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
109	संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति	**128**	संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
110	आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति	**129**	आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
111	आदेश का दिया जाना	**130**	आदेश का दिया जाना
112	न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया	**131**	न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया
113	ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है	**132**	ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है
114	समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी	**133**	समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी
115	वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति	**134**	वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति
116	इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच	**135**	इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच
117	प्रतिभूति देने का आदेश	**136**	प्रतिभूति देने का आदेश
118	उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है	**137**	उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है
119	जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ	**138**	जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ
120	बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं	**139**	बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं

121	प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति	**140**	प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति
122	प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास	**141**	प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास
123	प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति	**142**	प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति
124	बन्धपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति	**143**	बन्धपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति
अध्याय 9 पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश		**अध्याय 10 – पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश**	
125	पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश	**144**	पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश
126	प्रक्रिया	**145**	प्रक्रिया
127	भत्ते में परिवर्तन	**146**	भत्ते में परिवर्तन
128	भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे, जैसी भी स्थिति हो के आदेश का प्रवर्तन	**147**	भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे, जैसी भी स्थिति हो के आदेश का प्रवर्तन
अध्याय 10. लोक व्यवस्था और प्रशान्ति बनाए रखना क-विधिविरुद्ध जमाव		**अध्याय 11. लोक व्यवस्था और प्रशान्ति बनाए रखना क-विधिविरुद्ध जमाव**	
129	सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना	**148**	सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना
130	जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग	**149**	जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग
131	जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति	**150**	जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति
132	पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण	**151**	पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण
ख-लोक न्यूसेन्स		**ख-लोक न्यूसेन्स**	
133	न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश	**152**	न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश
134	आदेश की तामील या अधिसूचना	**153**	आदेश की तामील या अधिसूचना

135	जिस व्यक्ति को आदेश सम्बोधित है, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा	154	जिस व्यक्ति को आदेश सम्बोधित है, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा
136	उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम	155	उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम
137	जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है, वहाँ प्रक्रिया	156	जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है, वहाँ प्रक्रिया
138	जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है, वहाँ प्रक्रिया	157	जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है, वहाँ प्रक्रिया **(संशोधन)*****
139	स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति	158	स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
140	मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति	168	मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति
141	आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम	160	आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम
142	जांच के लम्बित रहने तक व्यादेश	161	जांच के लम्बित रहने तक व्यादेश
143	मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है	162	मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है
ग- न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामले		**ग- न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामले**	
144	न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति	163	न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति
144 क	आयुध सहित जुलूस या सामूहिक क्वायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
घ-स्थावर सम्पत्ति के बारे में विवाद		**घ-स्थावर सम्पत्ति के बारे में विवाद**	
145	जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है, वहां प्रक्रिया	164	जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है, वहां प्रक्रिया
146	विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने	165	विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने

	की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति		की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
147	भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद	**166**	भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद
148	स्थानीय जांच	**167**	स्थानीय जांच
अध्याय 11 – पुलिस का निवारक कार्य		**अध्याय 12 – पुलिस का निवारक कार्य**	
149	पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना	**168**	पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना
150	संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला	**169**	संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला
151	संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी	**170**	संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी
152	लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण	**171**	लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण
153	बाटों और मापों का निरीक्षण	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
अध्याय 12 पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां		**अध्याय 13 – पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां**	
154	संज्ञेय मामलों में इत्तिला	**173**	संज्ञेय मामलों में इत्तिला **(संशोधन)*****
155	असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण	**174**	असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण **(संशोधन)*****
156	संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति	**175**	संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति **(संशोधन)*****
157	अन्वेषण के लिए प्रक्रिया	**176**	अन्वेषण के लिए प्रक्रिया **(संशोधन)*****
158	रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी	**177**	रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी
159	अन्वेषण या प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति	**178**	अन्वेषण या प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति
160	साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति	**179**	साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति **संशोधन** ***

161	पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा	**180**	पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा
162	पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : कथनों का साक्ष्य में उपयोग	**181**	पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : कथनों का साक्ष्य में उपयोग
163	कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना	**182**	कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना
164	संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना	**183**	संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना **(संशोधन)*****
164 क	बलात्संग के शिकार हुये व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा	**184**	बलात्संग के शिकार हुये व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा
165	पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी	**185**	पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी **संशोधन** ***
166	पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट-जारी करने की अपेक्षा कर सकता है	**186**	पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट-जारी करने की अपेक्षा कर सकता है
166 क	भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र	**112**	भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र
166 ख	भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र	**113**	भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र
167	जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया	**187**	जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया **संशोधन** ***
168	अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट	**188**	अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट
169	जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना	**189**	जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना
170	जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना	**190**	जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना
171	परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न	**191**	परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न

	किया जाना		किया जाना
172	अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी	**192**	अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट	**193**	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट **(संशोधन)*****
174	आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना	**194**	आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना
175	व्यक्तियों को समन करने की शक्ति	**195**	व्यक्तियों को समन करने की शक्ति **(संशोधन)*****
176	मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच	**196**	मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच
अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता		**अध्याय 14 जांचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता**	
177	जांच और विचारण का मामूली स्थान	**197**	जांच और विचारण का मामूली स्थान
178	जांच या विचारण का स्थान	**198**	जांच या विचारण का स्थान
179	अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला	**199**	अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला
180	जहां कार्य अन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान	**200**	जहां कार्य अन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान
181	कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान	**201**	कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान
182	पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध	**202**	पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध **(संशोधन)*****
183	यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध	**203**	यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध
184	एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान	**204**	एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान
185	विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति	**205**	विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति
186	सन्देह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा	**206**	सन्देह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा
187	स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए	**207**	स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए

	अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति		अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति
188	भारत से बाहर किया गया अपराध	**208**	भारत से बाहर किया गया अपराध
189	भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना	**209**	भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना
अध्याय 14 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें		**अध्याय 15 – कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें**	
190	मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान	**210**	मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
191	अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण	**211**	अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण
192	मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना	**212**	मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना
193	अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान	**213**	अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान
194	अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण	**214**	अपर सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण **(संशोधन)*****
195	लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से सम्बन्धित अपराधों के लिए, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन	**215**	लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से सम्बन्धित अपराधों के लिए, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन
195 क	साक्षियों के लिए धमकी इत्यादि के मामलें में प्रक्रिया	**216**	साक्षियों के लिए धमकी इत्यादि के मामलें में प्रक्रिया
196	राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के लिए अभियोजन	**217**	राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के लिए अभियोजन
197	न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन	**218**	न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन
198	विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन	**219**	विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन **(संशोधन)*****
198 क	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराधों का अभियोजन	**220**	भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन
198 ख	अपराध का संज्ञान	**221**	अपराध का संज्ञान

199	मानहानि के लिए अभियोजन	**222**	मानहानि के लिए अभियोजन
अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद		**अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद**	
200	परिवादी की परीक्षा	**223**	परिवादी की परीक्षा
201	ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है	**224**	ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है
202	आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना	**225**	आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना
203	परिवाद का खारिज किया जाना	**226**	परिवाद का खारिज किया जाना
अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना		**अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना**	
204	आदेशिका का जारी किया जाना	**227**	आदेशिका का जारी किया जाना
205	मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना	**228**	मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना
206	छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन	**229**	छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन **(संशोधन)*****
207	अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना	**230**	अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना **(संशोधन)*****
208	सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना	**231**	सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना
209	जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना	**232**	जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना
210	परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण	**233**	परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण
अध्याय 17 आरोप (क – आरोपों के प्रारूप)		**अध्याय 18 आरोप (क – आरोपों के प्रारूप)**	
211	आरोप की अन्तर्वस्तु	**234**	आरोप की अन्तर्वस्तु
212	समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां	**235**	समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां

213	कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए	**236**	कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए
214	आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है	**237**	आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है
215	गलतियों का प्रभाव	**238**	गलतियों का प्रभाव
216	न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है	**239**	न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है
217	जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुन: बुलाया जाना	**240**	जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुन: बुलाया जाना
ख-आरोपों का संयोजन		**ख-आरोपों का संयोजन**	
218	सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप	**241**	सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप
219	एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा	**242**	एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा
220	एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण	**243**	एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण
221	जहां इस बारे में संदेह है कि कौनसा अपराध किया गया है	**244**	जहां इस बारे में संदेह है कि कौनसा अपराध किया गया है
222	अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है	**245**	अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है
223	किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा	**246**	किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा
224	कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना	**247**	कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना
अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण		**अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण**	
225	विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना	**248**	विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना
226	अभियोजन के मामले के कथन का	**249**	अभियोजन के मामले के कथन का

	आरम्भ		आरम्भ
227	उन्मोचन	**250**	उन्मोचन **(संशोधन)*****
228	आरोप विरचित करना	**251**	आरोप विरचित करना
229	दोषी होने के अभिवचन	**252**	दोषी होने के अभिवचन
230	अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख	**253**	अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख
231	अभियोजन के लिए साक्ष्य	**254**	अभियोजन के लिए साक्ष्य
232	दोषमुक्ति	**255**	दोषमुक्ति
233	प्रतिरक्षा आरम्भ करना	**256**	प्रतिरक्षा आरम्भ करना
234	बहस	**257**	बहस
235	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय	**258**	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय
236	पूर्व दोषसिद्धि	**259**	पूर्व दोषसिद्धि
237	धारा 199 (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया	**260**	धारा 222 (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया
अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट-मामलों का विचारण क-पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले		**अध्याय 20 – मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट-मामलों का विचारण क-पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले**	
238	धारा 207 का अनुपालन	**261**	धारा 230 का अनुपालन
239	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा	**262**	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा
240	आरोप विरचित करना	**263**	आरोप विरचित करना
241	दोषी होने के अभिवाक पर दोषसिद्धि	**264**	दोषी होने के अभिवाक पर दोषसिद्धि
242	अभियोजन के लिए साक्ष्य	**265**	अभियोजन के लिए साक्ष्य
243	प्रतिरक्षा का साक्ष्य	**266**	प्रतिरक्षा का साक्ष्य
ख-पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले		**ख-पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले**	
244	अभियोजन का साक्ष्य	**267**	अभियोजन का साक्ष्य
245	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा	**268**	अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा
246	प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता	**269**	प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता
247	प्रतिरक्षा का साक्ष्य	**270**	प्रतिरक्षा का साक्ष्य

ग-विचारण की समाप्ति		ग-विचारण की समाप्ति	
248	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	271	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
249	परिवादी की अनुपस्थिति	272	परिवादी की अनुपस्थिति
250	उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर	273	उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर **(संशोधन)*****
अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण		**अध्याय 21 – मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण**	
251	अभियोग का सारांश बताया जाना	274	अभियोग का सारांश बताया जाना
252	दोषी होने के अभिवाक पर दोषसिद्धि.	275	दोषी होने के अभिवाक पर दोषसिद्धि
253	छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक पर दोषसिद्धि	276	छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक पर दोषसिद्धि
254	प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए	277	प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए
255	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	278	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
256	परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु	279	परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु
257	परिवाद को वापस लेना	280	परिवाद को वापस लेना
258	कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति	281	कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति
259	समन-मामलों को वारण्ट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्तिं	282	समन-मामलों को वारण्ट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्तिं
अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण		**अध्याय 22 – संक्षिप्त विचारण**	
260	संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति	283	संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति **(संशोधन)*****
261	द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण	284	द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण
262	संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया	285	संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया
263	संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख	286	संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख
264	संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय	287	संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय
265	अभिलेख और निर्णय की भाषा	288	अभिलेख और निर्णय की भाषा

अध्याय 21क. अभिवाक सौदेबाजी		अध्याय 23 – अभिवाक सौदेबाजी	
265 क	अध्याय का लागू होना	**289**	अध्याय का लागू होना
265 ख	अभिवाक सौदेबाजी के लिए आवेदन	**290**	अभिवाक सौदेबाजी के लिए आवेदन
265 ग	पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारे के लिए मार्गनिर्देश	**291**	पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारे के लिए मार्गनिर्देश
265 घ	पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारा की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी	**292**	पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारा की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी
265 ङ	मामले का निस्तारण	**293**	मामले का निस्तारण
265 च	न्यायालय का निर्णय	**294**	न्यायालय का निर्णय
265 छ	निर्णय की अन्तिमता	**295**	निर्णय की अन्तिमता
265 ज	अभिवाक सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति	**296**	अभिवाक सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति
265 झ	अभियुक्त द्वारा भुगती गयी निरोध की अवधि का मुजरा अधिरोपित कारावास के दण्ड के विरुद्ध किया जाएगा	**297**	अभियुक्त द्वारा भुगती गयी निरोध की अवधि का मुजरा अधिरोपित कारावास के दण्ड के विरुद्ध किया जाएगा
265 ञ	व्यावृत्ति	**298**	व्यावृत्ति
265 ट	अभियुक्त के कथनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा	**299**	अभियुक्त के कथनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा
265 ठ	अध्याय का लागू न होना	**300**	अध्याय का लागू न होना
अध्याय 22 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी		**अध्याय 24 – कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी**	
266	परि भाषाएं	**301**	परिभाषाएं
267	बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति	**302**	बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति
268	धारा 267 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति	**303**	धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति
269	कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना	**304**	कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना

270	बन्दी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना	**305**	बन्दी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना
271	कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति	**306**	कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति
अध्याय 23 जांचों और विचारणों में साक्ष्य क-साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग		**अध्याय 25 – जांचों और विचारणों में साक्ष्य क-साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग**	
272	न्यायालयों की भाषा	**307**	न्यायालयों की भाषा
273	साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना	**308**	साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना
274	समन-मामलों और जांचों में अभिलेख	**309**	समन-मामलों और जांचों में अभिलेख
275	वारण्ट-मामलों में अभिलेख	**310**	वारण्ट-मामलों में अभिलेख
276	सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख	**311**	सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख
277	साक्ष्य के अभिलेख की भाषा	**312**	साक्ष्य के अभिलेख की भाषा
278	जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया	**313**	जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया
279	अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना	**314**	अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना
280	साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां	**315**	साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां
281	अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख	**316**	अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख **(संशोधन)*****
282	दुभाषिया ठीक-ठीक भाषान्तर करने के लिए आबद्ध होगा	**317**	दुभाषिया ठीक-ठीक भाषान्तर करने के लिए आबद्ध होगा
283	उच्च न्यायालय में अभिलेख	**318**	उच्च न्यायालय में अभिलेख
ख-साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन		**ख-साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन**	
284	कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा	**319**	कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा
285	कमीशन किसको जारी किया जाएगा	**320**	कमीशन किसको जारी किया जाएगा
286	कमीशनों का निष्पादन	**321**	कमीशनों का निष्पादन

287	पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे	**322**	पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे
288	कमीशन का लौटाया जाना	**323**	कमीशन का लौटाया जाना
289	कार्यवाही का स्थगन	**324**	कार्यवाही का स्थगन
290	विदेशी कमीशनों का निष्पादन	**325**	विदेशी कमीशनों का निष्पादन
291	चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य	**326**	चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य
291 क	मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट	**327**	मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट
292	टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य	**328**	टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य
293	कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट	**329**	कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट
294	कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना	**330**	कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना
295	लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र	**331**	लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र
296	शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य	**332**	शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य
297	प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा	**333**	प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा
298	पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए	**334**	पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए
299	अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख	**335**	अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख
अध्याय 24 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबन्ध		**अध्याय 26 – जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबन्ध**	
300	एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना	**337**	एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
301	लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी	**338**	लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी
302	अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा	**339**	अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा
303	जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार	**340**	जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार
304	कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता	**341**	कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता

305	प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है	**342**	प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है
306	सह-अपराधी को क्षमा-दान	**343**	सह-अपराधी को क्षमा-दान
307	क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति	**344**	क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति
308	क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण	**345**	क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण
309	कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति	**346**	कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति
310	स्थानीय निरीक्षण	**347**	स्थानीय निरीक्षण
311	आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति	**348**	आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति
311 क	नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिये किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति	**349**	नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिये किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति **(संशोधन)***
312	परिवादियों और साक्षियों के व्यय	**350**	परिवादियों और साक्षियों के व्यय
313	अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति	**351**	अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति
314	मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन	**352**	मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन
315	अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना	**353**	अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना
316	प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना	**354**	प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना
317	कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबन्ध	**355**	कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबन्ध
318	प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है	**357**	प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है
319	अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति	**358**	अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति
320	अपराधों का शमन	**359**	अपराधों का शमन
321	अभियोजन वापस लेना	**360**	अभियोजन वापस लेना **(संशोधन)***
322	जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट	**361**	जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट

	नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया		नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया
323	प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए	**362**	प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए
324	सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण	**363**	सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण
325	प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता	**364**	प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता
326	भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी	**365**	भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी
327	न्यायालयों का खुला होना	**366**	न्यायालयों का खुला होना
अध्याय 25 विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध		**अध्याय 27 – विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध** (संशोधन)***	
328	अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया	**367**	अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया
329	न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया	**368**	न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया
330	अन्वेषण या विचारण के लम्बित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना	**369**	अन्वेषण या विचारण के लम्बित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना
331	जांच या विचारण को पुनः चालू करना	**370**	जांच या विचारण को पुनः चालू करना
332	मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया	**371**	मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया
333	जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ-चित्त रहा है	**372**	जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ-चित्त रहा है
334	चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय	**373**	चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय
335	ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध	**374**	ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध

	किया जाना		किया जाना
336	भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति	**375**	भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति
337	जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बन्दी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया	**376**	जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बन्दी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया
338	जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया	**377**	जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया
339	नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए पागल का सौंपा जाना	**378**	नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए पागल का सौंपा जाना
अध्याय 26 न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध		**अध्याय 28 – न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध**	
340	धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया	**379**	धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया
341	अपील	**380**	अपील
342	खर्चे का आदेश देने की शक्ति	**381**	खर्चे का आदेश देने की शक्ति
343	जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे, वहां प्रक्रिया	**382**	जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे, वहां प्रक्रिया
344	मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया	**383**	मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया
345	अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया	**384**	अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया
346	जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया	**385**	जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया
347	रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा	**386**	रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा
348	माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन	**387**	माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन
349	उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी	**388**	उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी
350	समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया	**389**	समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया

351	धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें	**390**	धारा 383, 384, 388 और 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें
352	कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना	**391**	कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना
अध्याय 27 निर्णय		**अध्याय 29 – निर्णय**	
353	निर्णय	**392**	निर्णय
354	निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु	**393**	निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु
355	महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
356	पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश	**394**	पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश
357	प्रतिकर देने का आदेश	**395**	प्रतिकर देने का आदेश
357 क	पीड़ित प्रतिकर स्कीम	**396**	पीड़ित प्रतिकर स्कीम
357 ख	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 क या धारा 376 घ के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त	**396 (7)**	भारतीय न्याय संहिता की धारा 65, 70 या धारा 124 के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त **(संशोधन)*****
357 ग	पीड़ितों का उपचार	**397**	पीड़ितों का उपचार
358	निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर	**399**	निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर
359	असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश	**400**	असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश
360	सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश	**401**	सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश
361	कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना	**402**	कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना
362	न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना	**403**	न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना
363	अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना	**404**	अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना
364	निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा	**405**	निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा
365	सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और	**406**	सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और

	दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना		दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना
अध्याय 28 मृत्यु दण्डादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना		**अध्याय 30 – मृत्यु दण्डादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना**	
366	सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना	**407**	सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना
367	अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति	**408**	अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति
368	दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति	**409**	दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
369	नए दण्डादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना	**410**	नए दण्डादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना
370	मतभेद की दशा में प्रक्रिया	**411**	मतभेद की दशा में प्रक्रिया
371	उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया	**412**	उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया
अध्याय 29 अपीलें		**अध्याय 31 – अपीलें**	
372	जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना	**413**	जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना
373	परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील	**414**	परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील
374	दोषसिद्धि से अपील	**415**	दोषसिद्धि से अपील
375	कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना	**416**	कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना
376	छोटे मामलों में अपील न होना	**417**	छोटे मामलों में अपील न होना (संशोधन)***

377	राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील	**418**	राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील
378	दोषमुक्ति की दशा में अपील	**419**	दोषमुक्ति की दशा में अपील
379	कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील	**420**	कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील
380	कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार	**421**	कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार
381	सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी	**422**	सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी
382	अपील की अर्जी	**423**	अपील की अर्जी
383	जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया	**424**	जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया
384	अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना	**425**	अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना
385	संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया	**426**	संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया
386	अपील न्यायालय की शक्तियाँ	**427**	अपील न्यायालय की शक्तियाँ
387	अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय	**428**	अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय
388	अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना	**429**	अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना
389	अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन-अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना	**230**	अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन-अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना
390	दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी	**431**	दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी
391	अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा	**432**	अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा
392	जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों वहाँ प्रक्रिया	**433**	जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों वहाँ प्रक्रिया
393	अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना	**434**	अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना

394	अपीलों का उपशमन	**435**	अपीलों का उपशमन
अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण		**अध्याय 32 – निर्देश और पुनरीक्षण**	
395	उच्च न्यायालय को निर्देश	**436**	उच्च न्यायालय को निर्देश
396	उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा	**437**	उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा
397	पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना	**438**	पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना
398	जांच करने का आदेश देने की शक्ति	**439**	जांच करने का आदेश देने की शक्ति
399	सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ	**440**	सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ
400	अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति	**441**	अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति
401	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ	**442**	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ
402	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति	**443**	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति
403	पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प	**444**	पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प
404	महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
405	उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना	**445**	उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना
अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अन्तरण		**अध्याय 33 – आपराधिक मामलों का अन्तरण**	
406	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति	**446**	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
407	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति	**447**	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
408	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति	**448**	मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति

409	सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना	**449**	सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना
410	न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना	**450**	न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना
411	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना	**451**	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना
412	कारणों का अभिलिखित किया जाना	**452**	कारणों का अभिलिखित किया जाना
अध्याय 32 दण्डादेशों का निष्पादन, निलम्बन, परिहार और लघुकरण (क-मृत्यु दण्डादेश)		**अध्याय 32 – दण्डादेशों का निष्पादन, निलम्बन, परिहार और लघुकरण (क-मृत्यु दण्डादेश)**	
413	धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन	**453**	धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन
414	उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन	**454**	उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन
415	उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना	**455**	उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना
416	गर्भवती स्त्री को मृत्यु दण्ड का मुल्तवी किया जाना	**456**	गर्भवती स्त्री को मृत्यु दण्ड का मुल्तवी किया जाना
ख-कारावास		**ख-कारावास**	
417	कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति	**457**	कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति
418	कारावास के दण्डादेश का निष्पादन	**458**	कारावास के दण्डादेश का निष्पादन
419	निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन	**459**	निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन
420	वारण्ट किसको सौंपा जाएगा	**460**	वारण्ट किसको सौंपा जाएगा
ग-जुर्माने का उद्ग्रहण		**ग-जुर्माने का उद्ग्रहण**	
421	जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारण्ट	**461**	जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारण्ट
422	ऐसे वारण्ट का प्रभाव	**462**	ऐसे वारण्ट का प्रभाव
423	जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी	**463**	जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी

	किया गया वारण्ट		किया गया वारण्ट
424	कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलम्बन	**464**	कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलम्बन
घ-निष्पादन के बारे में साधारण उपबन्ध		**घ-निष्पादन के बारे में साधारण उपबन्ध**	
425	वारण्ट कौन जारी कर सकेगा	**465**	वारण्ट कौन जारी कर सकेगा
426	निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा	**466**	निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा
427	ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है	**467**	ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है
428	अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना	**468**	अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना
429	व्यावृत्ति	**469**	व्यावृत्ति
430	दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना	**470**	दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना
431	जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना	**471**	जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना
ड-दण्डादेशों का निलम्बन, परिहार और लघुकरण		**ड-दण्डादेशों का निलम्बन, परिहार और लघुकरण**	
432	दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति	**473**	दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति
433	दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति	**474**	दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति
433 क	कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन	**475**	कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन
434	मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति	**476**	मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति
435	कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना	**477**	कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना

अध्याय 33 जमानत और बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध		अध्याय 35 – जमानत और बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध	
436	किन मामलों में जमानत ली जाएगी	**478**	किन मामलों में जमानत ली जाएगी
436 क	अधिकतम अवधि जिसके लिये विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है	**479**	अधिकतम अवधि जिसके लिये विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है
437	अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी	**480**	अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी
437 क	अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत	**481**	अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत
438	गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निदेश	**482**	गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निदेश
439	जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां	**483**	जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां
440	बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना	**484**	बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना
441	अभियुक्त और प्रतिभूओं का बन्धपत्र	**485**	अभियुक्त और प्रतिभूओं का बन्धपत्र
441 क	प्रतिभुओं द्वारा घोषणा	**486**	प्रतिभुओं द्वारा घोषणा
442	अभिरक्षा से उन्मोचन	**487**	अभिरक्षा से उन्मोचन
443	जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति	**488**	जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति
444	प्रतिभूओं का उन्मोचन	**489**	प्रतिभूओं का उन्मोचन
445	मुचलके के बजाय निक्षेप	**490**	मुचलके के बजाय निक्षेप
446	प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहृत कर लिया जाता है	**491**	प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहृत कर लिया जाता है
446 क	बन्धपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण	**492**	बन्धपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण
447	प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहृण हो जाने की दशा में प्रक्रिया	**493**	प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहृण हो जाने की दशा में प्रक्रिया

448	अवयस्क से अपेक्षित बन्धपत्र	494	अवयस्क से अपेक्षित बन्धपत्र
449	धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील	495	धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील
450	कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति	496	कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति
अध्याय 34 सम्पत्ति का व्ययन		**अध्याय 36 – सम्पत्ति का व्ययन**	
451	कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश	497	कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश **(संशोधन)*****
452	विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश	498	विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश
453	अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय	499	अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय
454	धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील	500	धारा 498 या 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील
455	अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना	501	अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना
456	स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति	502	स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति
457	सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया	503	सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया
458	जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां प्रक्रिया	504	जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां प्रक्रिया
459	विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति	505	विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति
अध्याय 35 अनियमित कार्यवाहियां		**अध्याय 37 – अनियमित कार्यवाहियां**	
460	वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती	506	वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती
461	वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है	507	वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है
462	गलत स्थान में कार्यवाही	508	गलत स्थान में कार्यवाही
463	धारा 164 या धारा 281 के उपबन्धों का अननुपालन	509	धारा 183 या धारा 316 के उपबन्धों का अननुपालन

464	आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव	**510**	आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव
465	निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा	**511**	निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा
466	त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना	**512**	त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना
अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा		**अध्याय 38 – कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा**	
467	परिभाषा	**513**	परिभाषा
468	परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन	**514**	परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन
469	परिसीमा-काल का प्रारम्भ	**515**	परिसीमा-काल का प्रारम्भ
470	कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन	**516**	कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन
471	जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो, उस तारीख का अपवर्जन	**517**	जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो, उस तारीख का अपवर्जन
472	चालू रहने वाला अपराध	**518**	चालू रहने वाला अपराध
473	कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण	**519**	कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण
अध्याय 37 प्रकीर्ण		**अध्याय 39 – प्रकीर्ण**	
474	उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण	**520**	उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण
475	सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना	**521**	सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना
476	प्रारूप	**522**	प्रारूप
477	उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति	**523**	उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति
478	कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति	**524**	कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति
479	वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है	**525**	वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है

480	विधि-व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना	**526**	विधि-व्यवसाय करने वाले **अधिवक्ता** का कुछ न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना
481	विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना	**527**	विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना
482	उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति	**528**	उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति
483	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरन्तर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य	**529**	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरन्तर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य
484	निरसन और व्यावृत्तियाँ	**531**	निरसन और व्यावृत्तियाँ

नोट – जिन मुख्य धाराओं में संशोधन किया गया है उन्हे सूची में *** से चिन्हित किया गया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या **"भाग – ग"** में दिया गया है।

प्रथम अनुसूची

अपराधों का वर्गीकरण

स्पष्टीकरण नोट. - (1) भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराधों के बारे में, उस धारा के सामने की, जिसका संख्यांक प्रथम स्तम्भ में दिया हुआ है, द्वितीय और तृतीय स्तम्भों की प्रविष्टियां भारतीय न्याय संहिता की अपराध की परिभाषा के और उसके लिए विहित दण्ड के रूप में आशयित नहीं हैं, वरन् धारा का सारांश बताने के लिए ही आशयित हैं।

(2) इस अनुसूची में : (i) "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" और "कोई मजिस्ट्रेट" पदों के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट भी हैं, उसके अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट न आता है; (ii) "संज्ञेय" शब्द "कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा" के लिए है; और (iii) "असंज्ञेय" शब्द "कोई पुलिस अधिका वारण्ट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा" के लिए है।

1.- भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
49	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाता है और जहां उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है	वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
50	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के	वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित

	आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है		या असंज्ञेय	अजमानतीय	अपराध विचारणीय है
51	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, परन्तुक के अधीन रहते हुए	वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशयित अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
52	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड के लिए दायी है	वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है
53	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न है	वही दण्ड जो किए गए अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
54	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरक अपराध किए जाते समय उपस्थित है	वही दण्ड जो किए गए अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
55	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का	07 वर्ष के लिए कारावास और	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है	अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित

	दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध कारित नहीं किया जाता है	जुर्माना	या असंज्ञेय		अपराध विचारणीय है
	यदि अपहानि करने वाला कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है	14 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
56	कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परणामस्वरूप अपराध कारित नहीं किया जाता है	उस दीर्घतम अवधि के एक-चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
	यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए उपबन्धित है, या जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
57	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध	कारावास, जो 07 वर्ष तक की हो	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित

	किए जाने का दुष्प्रेरण	सकेगी और जुर्माना	या असंज्ञेय	अजमानतीय	अपराध विचारणीय है
58(क)	मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
58(ख)	यदि अपराध नहीं किया जाता है	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	जमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
59(क)	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्त्तव्य है यदि अपराध कर दिया जाता है	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित हैया जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
59(ख)	यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है	10 वर्ष के लिए कारावास	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है

59(ग)	यदि अपराध नहीं किया जाता है	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	जमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
60(क)	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है
60(ख)	यदि अपराध नहीं किया जाता है	उस दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	जमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है

61(2) (क)	मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र	वहीं, जो उस अपराध के, जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के लिए है	इसके अनुसार कि अपराध, जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि वह अपराध जो षड्यन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है जमानतीय है या अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण, जो षड्यन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है, विचारणीय है
61(2) (ख)	कोई अन्य आपराधिक षडयंत्र	06 मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
62	आजीवन कारावास , या कारावास से दण्डनीय अपराध को कारित करने का प्रयत्न करना और ऐसे प्रयत्न में अपराध कारित करने की दशा में कोई कार्य करना	आजीवन कारावास के आधे, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे से अनधिक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों	इसके अनुसार कि वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा प्रयत्न किया गया अपराध विचारणीय है
64 (1)	बलात्संग	कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		और जुर्माना			
64 (2)	किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या किसी जेल,प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में किसी व्यक्ति या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है,न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में के किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग	कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल से होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

65 (1)	सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग का अपराध कारित करने वाला व्यक्ति	ऐसी अवधि का कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
65 (2)	बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग का अपराध कारित करने वाला व्यक्ति	कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माने से या मृत्युदंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

66	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति, जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है	कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माने से या मृत्युदंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
67	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	कम से कम 2 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय (केवल पीडिता के परिवाद पर)	जमानतीय	सेशन न्यायालय
68	प्राधिकार, आदि में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।	कम से कम 05 वर्ष के लिए कठोर कारावास सेकिन्तु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माना			
69	प्रवंचनापूर्ण उपायों, आदि का उपयोग करके मैथुन करना	कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
70(1)	सामुहिक बलात्संग।	कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
70 (2)	18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माने से या मृत्युदंड			
71	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
72 (1)	कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण	02 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
73	न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन	02 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
74	महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या बल का प्रयोग	01 वर्ष के लिए कारावास, जो 05 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
75 (2)	उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii)या खंड (iii) में	03 वर्ष का कठोर कारावास या	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड	जुर्माना या दोनों			
75(3)	उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड	01 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
76	विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	कम से कम 03 वर्ष के लिए कारावास, किन्तु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय।	सेशन न्यायालय
77	दृश्यरतिकता	कम से कम 01 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 03 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
	द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि	कम से कम 03 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

78(2)	पीछा करना	03 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि	05 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
79	महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंग-विक्षेप करना, आदि	03 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
80(2)	दहेज मृत्यु	कम से कम 07 वर्ष के लिए कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
81	पुरुष द्वारा महिला को, जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

82(1)	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
82(2)	उस व्यक्ति से, जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है, पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर वही अपराध	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
83	किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि वह तद्वारा विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, कपटपूर्ण आशय से विवाह का कर्म करना	07 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
84	विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
85	किसी विवाहित महिला के प्रति क्रूरता करने के लिए दण्ड	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

			रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा या यदि कोई ऐसा नातेदार नहीं है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, दी गई है		
87	किसी महिला को विवाह, आदि करने के लिए विवश करने के लिए उसे व्यपहत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
88	गर्भपात कारित करना	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि महिला स्पन्दनगर्भा हो	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
89	महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना	आजीवन कारावास, या 10	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना			
90 (1)	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
90 (2)	यदि वह कार्य महिला की सम्मति के बिना किया जाता है	आजीवन कारावास या यथा उपरोक्त	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
91	बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य	10 वर्ष के लिए करावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
92	ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात् बालक की मृत्यु कारित करना	10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
93	बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम	07 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	आयु के बालक का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग				
94	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
95	अपराध कारित करने के लिए किसी बच्चे को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना	कम से कम 03 वर्ष का कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानती	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि अपराध कारित किया जाए	वही जो कारित किये गये अपराध के लिए है	संज्ञेय	अजमानतीय	न्यायालय द्वारा, कारित किया गया अपराध विचारणीय है
96	बालक का उपापन	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
97	दस वर्ष से कम आयु के किसी बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उस बालक	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	का व्यपहरण या अपहरण				
98	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
99	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना	कम से कम 07 वर्ष का कारावास, किंतु जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
103(1)	हत्या	मृत्यु, या आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
103(2)	पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
104	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या	मृत्यु या आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

105	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु आदि कारित करने के आशय से किया जाए	आजीवन कारावास से, या कारावास से जिसकी अवधि 05 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु, आदि कारित करने के किसी आशय के बिना, किया जाए	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने से	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
106 (1)	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	05 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	02 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
106(2)	यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी	10 वर्ष के लिए कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	व्यक्ति की मृत्यु कारित करना और निकलकर भागना	जुर्माना			
107	बालक या विकृत चित व्यक्ति, आदि को आत्महत्या का दुष्प्रेरण	मृत्यु, या आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
108	आत्महत्या का दुष्प्रेरण	10 वर्ष के लिए करावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
109 (1)	हत्या का प्रयत्न	10 वर्ष के लिए करावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए	आजीवन कारावास या यथाउपरोक्त	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
109 (2)	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या का प्रयत्न, यदि उपहति कारित हुई हो	मृत्यु या आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		होगा			
110	आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित होती है	07 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
111(2)(क)	संगठित अपराध, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
111(2)(ख)	किसी अन्य दशा में	कारावास, जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

111(3)	संगठित अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षडयंत्र करना या आशयपूर्वक उसे सुकर बनाना	कारावास, जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
111(4)	संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना	कारावास, जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
111(5)	आशयपूर्वक किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध कारित किया है, संश्रय देना या छिपाना	कारावास, जो 03 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माना, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा			
111(6)	संगठित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त कोई सम्पत्ति धारण करना	कारावास, जो 03 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना, जो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
111(7)	संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य की ओर से संपत्ति धारण करना	कारावास जो 03 वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो 10 वर्ष तक के लिए हो सकेगा और जुर्माना जो 01 लाख रुपये से कम का नहीं होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
112	छोटे संगठित अपराध	कारावास, जो 01 वर्ष से कम नहीं	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		होगा, किंतु जो 07 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना			
113(2)(क)	आतंकवादी कार्य, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
113(2)(ख)	किसी अन्य दशा में	कारावास, जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
113(3)	आंतकवादी कार्य किये जाने का प्रयत्न,षड्यंत्र, दुष्प्रेरण करना या जानबूझकर उसे सुकर बनाना	कारावास, जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
113(4)	आंतकवादी कार्य कारित करने के लिए कैम्प, प्रशिक्षण आदि आयोजित करना	कारावास, जो 05 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना			
113(5)	आंतकवादी संगठन का सदस्य होना, जो आतंकवादी कार्य में अंतविर्लित है	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
113(6)	किसी व्यक्ति को, जिसने आतंकवादी कार्य कारित किया है, संश्रय देना या छिपाना	कारावास, जो 03 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
113(7)	आंतकवादी कार्य से व्युत्पन्न या प्राप्त कोई संपत्ति धारण करना	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
115 (2)	स्वेच्छया उपहति कारित करना	01 वर्ष के लिए कारावास या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
117(2)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	07 वर्ष के लिए कारावास और	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

		जुर्माना।			
117(3)	यदि उपहति के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता या सतत् शिथिल अवस्था होती है	कठोर कारावास, जो, 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल से होगा	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
117 (4)	5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, घोर उपहति कारित करना	07 वर्ष के लिए कारावास ओर जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
118 (1)	खरतनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना	03 वर्ष के लिए कारावास या बीस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
118 (2)	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना [धारा 122 (2) में यथा उपबंधित के सिवाय]	आजीवन कारावास या कारावास, जो 01 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 10	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना			
119 (1)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
119(2)	उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
120 (1)	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने आदि के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
120 (2)	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति प्रत्यार्वन कराने, के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
121 (1)	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए	05 वर्ष के लिए कारावास या	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	स्वेच्छया उपहति कारित करना	जुर्माना या दोनों			
121 (2)	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	कम से कम 01 वर्ष के कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
122 (1)	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना	01 मास के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
122 (2)	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न खते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर घोर उपहति कारित करना	05 वर्ष के लिए कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
123	अपराध करने के आशय से विष, आदि द्वारा उपहति	10 वर्ष के लिए कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	कारित करना	जुर्माना			
124 (1)	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
124 (2)	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना	05 वर्ष के लिए कारवार, किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
125	कार्य, जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो	03 मास के लिए कारावास या 2,500 रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
125 (क)	जहां उपहति कारित की गई है	06 मास के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

125 (ख)	जहां घोर उपहति कारित की गई है	03 वर्ष का कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
126 (2)	किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना	01 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
127 (2)	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध।	01 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय।	जमानतीय।	कोई मजिस्ट्रेट।
127 (3)	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	03 वर्ष के लिए कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
127 (4)	10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	05 वर्ष के लिए कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

127 (5)	किसी व्यक्ति को यह जानते हुए सदोष परिरोध में रखना कि उसको छोड़ने के लिए रिट जारी की गई है	किसी अन्य धारा के अधीन किसी अवधि के लिए कारावास के अतिरिक्त, 02 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
127 (6)	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध	उस दण्ड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह दायी हो, 03 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
127 (7)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिये मजबूर करने, आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
127 (8)	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या सम्पत्ति, आदि को प्रत्यावर्तित करने के लिए विवश करने के प्रयोजन	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	के लिए सदोष परिरोध				
131	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल	03 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
132	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
133	गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा, किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
134	किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
135	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का	01 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रुपए का	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	प्रयोग	जुर्माना, या दोनों			
136	गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	01 मास के लिए सादा कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
137(2)	व्यपहरण	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
139 (1)	भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का अपहरण	कठोर कारावास, जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास के लिए हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
139 (2)	भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक को विकलांग करना	कारावास, जो 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन तक हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

140 (1)	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
140 (2)	फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण	मृत्यु या आजीवन करावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
140 (3)	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
140 (4)	किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि के अधीन करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
141	विदेश से बालिका या बालक का आयात करना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
142	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में	व्यपहरण या अपहरण के लिए	संज्ञेय	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या

	रखना	दंड			अपहरण विचारणीय है
143(2)	व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम 07 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
143(3)	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार	कम से कम कम 10 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
143(4)	किसी बालक का दुर्व्यापार	कम से कम कम 10 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

143(5)	एक से अधिक बालकों का दुर्व्यापार	कम से कम 14 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
143(6)	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर बालक के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
143(7)	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का बालक से दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

144 (1)	ऐसे किसी बालक का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है	कम से कम 05 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
144 (2)	ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है	कम से कम 03 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो 07 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
145	दासों का आभ्यासित व्यौहार करना	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
146	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम	01 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
147	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	दुष्प्रेरण करना				
148	राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को करने के लिए षड्यन्त्र	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
149	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
150	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
151	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

152	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य	आजीवन कारावास या 07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
153	भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना	आजीवन कारावास और जुर्माना, या 07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
154	भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, और कतिपय सम्पत्ति का समपहरण	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
155	धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, और कतिपय सम्पत्ति का समपहरण	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
156	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना	कारावास और जुर्माना			
157	उपेक्षा से लोक सेवक का राजकैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना	03 वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
158	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय दोना	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
159	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
160	विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए	मृत्यु या आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माना			
161	आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर, जब वह आफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
162	ऐसै हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाता है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
163	आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
164	अभित्याजक को संश्रय देना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
165	मास्टर या भारसाधक व्यक्ति की उपेक्षा से वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक	3,000 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
166	आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता	02 वर्ष के लिए कारावास या	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	के कार्य का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणास्वरूप वह अपराध किया जाता है	जुर्माना, या दोनों			
168	सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना	03 माह के लिए कारावास, या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
173	रिश्वत	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
174	निर्वाचन में असम्यक् असर डालना या प्रतिरूपण करना	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
175	निर्वाचन के सिसिले में मिथ्या कथन	जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
176	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय	10,000 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

177	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता	5000 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
178	सिक्कों, सरकारी स्टांपों, करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
179	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग करना	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
180	कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना	07 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
181	लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना, क्रय, विक्रय करना या कब्जे में रखना	आजीवन कारवास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

182 (1)	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग	300 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
182 (2)	मुद्रक का नाम और पता बताने से इन्कार पर	600 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
183	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना, या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
184	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
185	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छीलकर मिटाना	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
186	बनावटी स्टाम्प	200 रुपए का जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

187	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना, जो विधि द्वारा नियत है	07 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
188	टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना	07 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
189 (2)	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
189 (3)	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
189 (4)	किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधि- विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
189 (5)	पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	पश्चात्, उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना				
189 (6)	विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, वचनबद्ध करना, या नियोजित करना	वही, जो ऐसे जमाव के सदस्य के लिए और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए है	संज्ञेय	इसके अनुसार कि वह अपराध जमानतीय है या अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है
189 (7)	विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
189 (8)	विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
189 (9)	आयुध सहित जाना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
190	विधि-विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी	वहीं, जो उस अपराध के लिए है	इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय	इसके अनुसार कि वह अपराध जमानतीय है या जमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है

191 (2)	बलवा	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
191 (3)	घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना	05 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
192	बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाता है	01 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि बलवा नहीं किया जाता है	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
193 (1)	बल्वे, आदि की इत्तिला का भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना	दस हजार रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
193 (2)	जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जिसकी ओर से बलवा होता है, उस व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना	जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

193 (3)	जिस स्वामी या अधिभोगी: के फायदे के लिए बलवा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना	जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
194 (2)	दंगा करना	01 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
195 (1)	लोक सेवक जब बल्वे आदि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, जो कम से कम 25,000 रुपए होगा, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
195 (2)	लोक सेवक, जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब हमले की धमकी देना या काम में बाधा डालने का प्रयत्न करना	01 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

196 (1)	धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहाद्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
196 (2)	पूजा के स्थान, आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन	05 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
197 (1)	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
197 (2)	यदि सार्वजनिक पूजा स्थल आदि पर किया जाए	05 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
198	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करता है	01 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

199	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है	कम से कम 06 मास के लिए कठोर कारावास, जो 02 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
200	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना	01 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
201	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
202	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता ह	01 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
203	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है	02 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों और यदि सम्पत्ति क्रय कर ली गई है तो उसका अधिहरण	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

204	लोक सेवक का प्रतिरूपण	कारावास, जो कम से कम 06 माह का होगा, किन्तु जो 03 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
205	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना	03 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
206 (क)	लोक सेवक से समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना	01 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
206 (ख)	यदि वह समन या सूचना न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करती है	06 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जंर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
207 (क)	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना	01 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

		जुर्माना, या दोनों			
207 (ख)	यदि समन, आदि न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करते हैं	06 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
208 (क)	लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना	01 मास के लिए सादा कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
208 (ख)	यदि आदेश न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी, आदि अपेक्षित करता है	06 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
209	इस संहिता की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिरी	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों या समुदाय सेवा	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	किसी ऐसे मामले में, जहां किसी व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित करते हुए इस संहिता की धारा	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	84 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की गई है				
210 (क)	दस्तावेज पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी दस्तावेज पेश करने का साशय लोप	01 मास के लिए सादा कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट
210 (ख)	यदि उस दस्तावेज का न्यायालय में पेश किया जाना या परिदत्त किया जाना अपेक्षित है	06 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट

211 (क)	सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप	01 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
211 (ख)	यदि अपेक्षित सूचना या इत्तिला अपराध किए जाने, आदि के विषय में है	06 मास के लिए सादा कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
211 (ग)	यदि सूचना या इत्तिला इस संहिता की धारा 394 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है	06 मास के लिए सादा कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
212 (क)	लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या इत्तिला देना	06 मास के लिए सादा कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
212 (ख)	यदि अपेक्षित इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में हो	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
213	शपथ से इन्कार करना जब लोक सेवक द्वारा वह शपथ	06 मास के लिए सादा कारावास, या	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 28 के उपबन्धों के अधीन

	लेने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाता है	5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों			रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट
214	सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से बाध्य होते हुए प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना	06 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है; या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट
215	लोक सेवक से किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना जब वह वैसा करने के लिए वैध रूप से अपेक्षित है	03 मास के लिए सादा कारावास, या 3,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है;

					या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट
216	लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य के रूप में ऐसा कथन करना जो मिथ्या है	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
217	किसी लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति या क्षोभ करने के लिए करे	01 वर्ष के लिए कारावास, या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
218	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध	06 मास के लिए कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
219	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना	01 मास के लिए कारावास, या 5000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

220	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए आमंत्रित सम्पत्ति के लिए अवैध क्रय या बोली लगाना	01 मास के लिए कारावास, या 200 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
221	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना	03 मास के लिए कारावास, या 2,500 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
222 (क)	लोक सेवक की सहायता करने का लोप जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो	01 मास के लिए सादा कारावास, या 2,500 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
222 (ख)	ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना	06 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
223 (क)	लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक	06 मास के लिए सादा कारावास, या 2,500 रुपए का	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करे	जुर्माना, या दोनों			
223 (ख)	यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम आदि को संकट या बलवा या दंगा कारित करें	01 वर्ष के लिए स कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
224	लोक सेवक को क्षति की धमकी	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
225	लोक सेवक को सुरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए क्षति की धमकी	01 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
226	विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या प्रयोग करने में प्रतिरोध के लिए आत्महत्या करने का प्रयास	01 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों या सामुदायिक सेवा	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
229 (1)	न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	07 वर्ष के लिए कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

229 (2)	किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	03 वर्ष के लिए कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
230 (1)	किसी व्यक्ति को मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
230 (2)	यदि निर्दोष व्यक्ति उसके द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है	मृत्यु या यथा उपर्युक्त	असंज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
231	आजीवन कारावास या 07 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना	वही, जो उस अपराध के लिए है	असंज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
232 (1)	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना	07 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध

					विचारणीय है
232 (2)	यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और मृत्यु या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है	वही जो उस अपराध के लिए है	संज्ञेय	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है
233	उस साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में काम में लाना जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना ज्ञात है	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है	असंज्ञेय	इसके अनुसार कि ऐसा साक्ष्य देने का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय है	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध विचारणीय है
234	किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है	असंज्ञेय	जमानतीय	जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है
235	प्रमाणपत्र को जिसका तात्विक बात के संबंध में मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है	असंज्ञेय	जमानतीय	जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है

236	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है	असंज्ञेय	जमानतीय	जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है
237	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना	वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है	असंज्ञेय	जमानतीय	जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है
238 (क)	किए गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए उस अपराध के बारे में मिथ्या इत्तिला देना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	इसके अनुसार कि ऐसा अपराध जिसकी बाबत साक्ष्य का विलोपन हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
238 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
238 (ग)	यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या	असंज्ञेय	जमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है

		जुर्माना, या दोनों			
239	इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप	06 मास के लिए कारावास हो या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
240	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
241	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको छिपाना या नष्ट करना	03 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
242	वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई कार्य या कार्यवाही करने या जमानतदार या प्रतिभू बनने के प्रयोजन के लिए छद्म प्रतिरूपण	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
243	सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या दण्डादेश के अधीन जुर्माना चुकाने या डिक्री के निष्पादन में अभिगृहीत किए	03 वर्ष के लिए कारावास, या ना 5,000 रुपए जुम या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, आदि				
244	सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या दण्डादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में लिए जाने से निवारित करने के लिए उस पर अधिकार के बिना दावा करना या उस पर किसी अधिकार के बारे में प्रवंचना करना	02 वर्ष के लिए कारवास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
245	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना या डिक्री का तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित किया जाना सहन करना	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
246	न्यायालय में मिथ्या दावा	02 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

247	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित करवाना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
248 (क)	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप	05 वर्ष के लिए कारावास या 2 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
248 (ख)	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष, या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
249 (क)	अपराधी को संश्रय देना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है	05 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
249 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

249 (ग)	यदि 01 वर्ष और न कि 10 वर्ष के लिए, कारावास से दण्डनीय है	उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का, और उस भांति का, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
250 (क)	अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
250 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
250 (ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है	उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए जुर्माना, या दोनों के लिए उपबंधित है	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

251 (क)	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
251 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
251 (ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध या जुर्माना, या दोनों के लिए उपबंधित है	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
252	अपराधी को पकड़वाए बिना उस जंगम सम्पत्ति को वापस कराने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, जिससे कोई व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया गया है	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

253 (क)	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
253 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	जुर्माना सहित या रहित, 03 वर्ष के लिए कारावास	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
253 (ग)	यदि 01 वर्ष के लिए और न कि दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	न उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का कारावास, जो उस अपराध या जुर्माना, या दोनों के लिए उपबन्धित है	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
254	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना	07 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
255	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा				
256	किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
257	किसी न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा ऐसा आदेश, रिपोर्ट, आदि भ्रष्टतापूर्वक दिया जाना और सुनाया जाना, जो विधि के प्रतिकूल है	07 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
258	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी	07 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
259 (क)	अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि अपराध	07 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना सहित या रहित	इसके अनुसार कि ऐसा अपराध, जिसकी बाबत ऐसा लोप हुआ है संज्ञेय है, या असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	मृत्यु से दण्डनीय है				
259 (ख)	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है	03 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना सहित या रहित	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
259 (ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है।	02 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना सहित या रहित	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
260 (क)	न्यायालय के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दण्डादेश के अधीन है	आजीवन कारावास या 14 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना सहित या रहित	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
260 (ख)	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दण्डादेश के अधीन है	07 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना सहित या रहित	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
260 (ग)	यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास के दण्डादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	किया गया है				
261	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध में से निकल भागना सहन करना	02 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
262	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
263 (क)	किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्वक अभिरक्षा से उसे छुड़ाना	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
263 (ख)	यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध से आरोपित हो	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
263 (ग)	यदि मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध से आरोपित है	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
263 (घ)	यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से	7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	दण्डादिष्ट है				
263 (ङ)	यदि मृत्यु दण्डादेश के अधीन है	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
264	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक को पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना- (क) जब लोप या सहन करना साशय है	03 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	(ख) जब लोप या सहन करना उपेक्षापूर्वक है	02 वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
265	उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है, विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
266	दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण	मूल दण्डादेश का दण्ड, या यदि दण्ड	संज्ञेय	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध

		का भाग भोग लिया गया है, तो अवशिष्ट भाग			विचारणीय है
267	न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न	06 मास के लिए सादा कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है; या यदि किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, कोई मजिस्ट्रेट
268	निर्धारक का प्रतिरूपण	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
269	जमानत पर या बंधतपत्र पर छोड़े गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता	01 वर्ष के लिये कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
271	उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है	06 मास के लिए कारावास, या	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य है	जुर्माना, या दोनों			
272	परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य है	02 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
273	किसी करन्तीन के नियम को जानते हुए अवज्ञा	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
274	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण, जिससे वह अपायकर बन जाए	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
275	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनो	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
276	विक्रय के लिए आशयित औषधीय या भेषजीय निर्मिति	01 वर्ष के लिए कारावास, या	असंज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह हानिकर हो जाए	5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों			
277	अपमिश्रित औषधियों का विक्रय	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
278	ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
279	लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
280	वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना	1,000 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
281	लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना	06 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

		जुर्माना, या दोनों			
282	जलयान का उतावलेपन से चलाना	06 मास के लिए कारावास, या दस हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
283	भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन	07 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माने से, जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
284	अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहरण	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
285	किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन-पथ में संकट या बाधा कारित करना	5,000 रुपए का जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
286	विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

287	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	06 मास के लिए कारावास या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
288	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
289	मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
290	किसी भवन निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सन्निर्माण, आदि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
291	जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	06 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

292	अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड	1,000 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
293	न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना	06 मास के लिए एका कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
294 (2)	अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय आदि	प्रथम दोषसिद्धि पर 02 वर्ष के लिए कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, 05 वर्ष के लिए कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
295	बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि	प्रथम दोषसिद्धि पर 03 वर्ष के लिए कारावास और 2,000 रुपए का	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

		जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, 07 वर्ष के लिए कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना			
296	अश्लील कार्य और गाने	03 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
297 (1)	लाटरी कार्यालय रखना	06 मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
297 (2)	लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन	5,000 रुपए का जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
298	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को अपवित्र, आदि करना	02 वर्ष के लिए से कारवास, या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

299	विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय।	अजमानतीय।	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
300	धार्मिक जमाव में विघ्न करना	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
301	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
302	धार्मिक भावानाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से, शब्द, आदि उच्चारित करना	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
303 (2)	चोरी	कठोर कारावास, जिसकी अवधि 01 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक हो	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

		सकेगी और जुर्माना			
	उन मामलों में, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है	चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे समुदाय सेवा से दंडित किया जायेगा	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
304 (2)	झपटमारी	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
305	निवासगृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल, आदि में चोरी	07 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
306	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या नियोक्ता के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी	01 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
307	चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी	10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

308 (2)	उद्दापन	07 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308 (3)	उद्दापन करने के लिए क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
308 (4)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308 (5)	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
308 (6)	उद्दापन करने के लिए मृत्यु, आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर किसी व्यक्ति को भय में डालना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

308 (7)	मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
309 (4)	लूट	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए	14 वर्ष के लिए कठोर कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
309 (5)	लूट करने का प्रयत्न	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
309 (6)	उपहति कारित करना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
310 (2)	डकैती	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

310 (3)	हत्या सहित डकैती	मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
310 (4)	डकैती करने के लिए तैयारी करना	10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
310 (5)	डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना	07 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
310 (6)	अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त व्यक्तियों की टोली का होना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
311	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती	07 वर्ष से अनाधिक के लिए कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
312	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न	07 वर्ष से अनाधिक के लिए कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

313	अभ्यासतः चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती-टोली का होना फिरती	07 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय।	अजमानतीय।	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
314	जंगम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेना	कारावास से, जिसकी अवधि 06 मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 02 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
315	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी	03 वर्ष का कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित लिपिक या व्यक्ति द्वारा कारित	07 वर्ष के लिए कारावास	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
316 (2)	आपराधिक न्यासभंग	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
316 (3)	वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग	07 वर्ष के लिए कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		जुर्माना			
316 (4)	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
316 (5)	लोक सेवक द्वारा या बैंककार, व्यापारी या अभिकर्ता, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
317 (2)	चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
317 (3)	चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई थी, बेईमानी से प्राप्त करना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
317 (4)	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
317 (5)	चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है	03 वर्ष के लिए कारावास या	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना	जुर्माना या दोनों			
318 (2)	छल	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
318 (3)	उस व्यक्ति से छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
318 (4)	छल और बेईमानी से संपत्ति के परिदान के लिए उत्प्रेरित करना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
319 (2)	प्रतिरूपण द्वारा छल	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
320	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना	कारावास से जिसकी अवधि 06 माह से कम की नहीं होगी किन्तु जो 02 वर्ष तक की हो	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

		सकेगी या जुर्माना या दोनों			
321	अपराधी का शोध्य ऋण और मांग को उनके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
322	अंतरण के ऐसे लेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
323	सम्पत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
324 (2)	रिष्टि	06 माह के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
324 (3)	कोई संपत्ति जिसमें सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति सम्मिलित है की हानि या	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	नुकसान कारित करने द्वारा रिष्टि				
324 (4)	रिष्टि जिसमें 20 हजार से अधिक किन्तु 01 लाख रूपये से कम की हानि या नुकसान कारित हुआ हो	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
324 (5)	रिष्टि, जिससे 01 लाख रुपए या इससे अधिक की हानि या नुकसान होता है	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
324 (6)	किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि	05 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
325	किसी जीव जन्तु को वध करने, विकलांग करने के द्वारा रिष्टि	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
326 (क)	कृषि प्रयोजनों आदि के लिए जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

326 (ख)	लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या नाव्य जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
326 (ग)	लोक जलनिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि	05 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
326 (घ)	किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने या किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित करने द्वारा रिष्टि	07 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
326 (ङ)	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि	01 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
326 (च)	नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	07 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

326 (छ)	गृह, आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
327 (1)	तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या अक्षेमकर बनाने के आश्य से रिष्टि	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
327 (2)	पिछली धारा में वर्णित रिष्टि जब अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई हो	आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
328	चोरी आदि करने के आशय से जलयान को चलाना	10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
329 (3)	आपराधिक अतिचार	03 माह के लिए कारावास या 5,000 रूपये जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

329 (4)	गृह – अतिचार	01 वर्ष के लिए कारावास या 5000 रूपये तका जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
331 (1)	प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन	02 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
331 (2)	रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन	03 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
331 (3)	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन	03 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है	10 वर्ष के लिए कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
331 (4)	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रौ गृह - भेदन	05 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है।	14 वर्ष के कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

		जुर्माना			
331 (5)	उपहति कारित करने, हमला आदि की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन	10 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
331 (6)	उपहति कारित करने, हमला आदि की तैयारी के पश्चात रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन	14 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
331 (7)	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय कारित घोर उपहति	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
331 (8)	रात्रौ गृहभेदन- आदि में संयुक्ततः सम्पृक्तः समस्त व्यक्तियों में से एक द्वारा कारित मृत्यु या घोर उपहति	आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
332 (क)	मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह – अतिचार	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

		जुर्माना			
332 (ख)	आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार	10 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
332 (ग)	कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार	02 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है	07 वर्ष का कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
333	उपहति कारित करने, हमला करने, आदि की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार	07 वर्ष के कारावास या जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
334 (1)	ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, बेईमानी से तोड़ कर खोलना या उपबंधित करना	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
334 (2)	ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, न्यस्त किए जाने पर कपटपूर्वक खोलना	03 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

336 (2)	कूटरचना	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
336 (3)	छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना	07 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
336 (4)	किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाएगा, की गई कूटरचना	03 वर्ष के कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
337	न्यायालय के अभिलेख या जन्मों के रजिस्टर आदि को, जो लोक सेवक द्वारा रखा जाता है, कूटरचना	07 वर्ष के कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
338	मूल्यवान प्रतिभूति, बिल या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण के प्राधिकार या किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की	आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	कूटरचना				
	जब मूल्यवान प्रतिभूति केन्द्रीय सरकार का वचनपत्र है	आजीवन कारावास या वर्ष के लिए 10 कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
339	किसी दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए इस आशय से कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जाए अपने कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज धारा में वर्णित 337 भांति का हो	07 वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि वह धारा में वर्णित 338 भांति का हो	आजीवन कारावास या 07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
340 (2)	कूटरचित दस्तावेज को यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, असली के रूप में उपयोग में लाना	ऐसे दस्तावेज की कूटरचना के लिए दंड	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

341 (1)	धारा के अधीन दंडनीय 338 कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना या किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना	आजीवन कारावास या 07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
341 (2)	धारा के अधीन अन्यथा 338 दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी आदि बनाना या उनकी कूटकृति करना या किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
341 (3)	किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य लिखत को कूटकृत जानते हुये कब्जे में रखना	03 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
341 (4)	किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य लिखत को जानते हुए या	उसी प्रकार दंडित होगा, मानों उसने	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाना	ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य लिखत को कूटकृत किया है			
342 (1)	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली चिह्न की अभिलक्ष्णा या कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना	आजीवन कारावास या 07 वर्ष कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
342 (2)	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रामणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली चिह्न की अभिलक्ष्णा या कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना	07 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

343	विल, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या विरूपित करना या उसे नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करना, या छिपाना	आजीवन कारावास, या 07 वर्ष कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
344	लेखों का मिथ्याकरण	07 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
345 (3)	मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करे या क्षति करे	01 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
346	क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिह्न को मिटाना, नष्ट करना या विरूपित करना	01 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
347 (1)	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो	02 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
347 (2)	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का या	03 वर्ष का कारावास या	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	किसी सम्पत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का द्योतन करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण	जुर्माना			
348	किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना	03 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
349	कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का जानते हुए विक्रय	01 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
350 (1)	किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है, जो उसमें नहीं है, आदि	03 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

350 (2)	किसी ऐसी मिथ्या चिह्न का उपयोग करना	03 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
351 (2)	आपराधिक अभित्रास	02 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
351 (3)	यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने, आदि की हो	07 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
351 (4)	अनाम संसूचना द्वारा या वह धमकी कहां से आती है उसके छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास	धारा 351 (1) के अधीन दण्डादेश के अतिरिक्त 02 वर्ष के लिए कारावास	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
352	लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान	02 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
353 (1)	मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो या लोकशान्ति के विरुद्ध अपराध	02 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	हो				
353 (2)	मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो	03 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
353 (3)	पूजा के स्थान, आदि में किया गया मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो	05 वर्ष का कारावास या जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
354	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य	01 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
355	मत्तता की हालत में लोक स्थान, आदि में प्रवेश करना, और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना।	घण्टे के लिए 24 सदा कारावास, या 1000 रूपये जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
356 (2)	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री	02 वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों या	असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय

	के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो	सामुदायिक सेवा			
	किसी अन्य मामले में मानहानि	02 वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
356 (3)	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो	02 वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी अन्य मामले में मानहानिकारक जानते हुए,	02 वर्ष के लिए सादा कारावास या	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

	किसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना	जुर्माना या दोनों			
356 (4)	मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह जानते हुए विक्रय कि उसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को - अंतर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते कि उसमें ऐसा हुए विक्रय विषय अंतर्विष्ट है	02 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

357	किशोरावस्था या चितविकृति या रोग के कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आबद्ध होते हुए उसे करने का स्वेच्छया लोप	03 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रूपये जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

नोटः- भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354 A लैंगिक उत्पीड़न, धारा 354 B विवस्त्रीकरण, धारा 354 C दृश्यरतिकता, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय था जबकि BNS 2023 की धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न, धारा 76 विवस्त्रीकरण, धारा 77 दृश्यरतिकता, सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया गया है।

II.-अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण

अपराध	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	न्यायालय द्वारा विचारणीय है
यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के लिए कारावास से दण्डनीय है	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
यदि तीन वर्ष और उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से अनधिक के लिए कारावास से दण्डनीय है	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि तीन वर्ष से कम के लिए कारावास या केवल जुर्माने से दण्डनीय है	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

द्वितीय अनुसूची

[धारा 522 देखिए]

प्रारूप सं० 1

पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिए नोटिस

[धारा 35(3) देखिए]

पुलिस स्टेशन ....

क्रम सं० ....

सेवा में,

....

(अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम)

....

(अंतिम ज्ञात पता)

....

[(दूरभाष सं० ई मेल पता (यदि कोई हो)]

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैं आपको सूचित करता हूं .... पुलिस स्टेशन पर रजिस्ट्रीकृत .... धारा के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट/मामला सं० .... तारीख .... के अन्वेषण के दौरान, यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के संबंध में आपसे राज्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए युक्तियुक्त आधार है। अतः आपको .... पूर्वाह्न/अपराह्न तारीख .... को .... पर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

पुलिस स्टेशन

भार साधक अधिकारी का नाम और पदनाम

(मुद्रा)

प्रारूप सं० 2
अभियुक्त व्यक्ति को समन
[धारा 63 देखिए]

प्रेषिती.. (अभियुक्त का नाम) .... (पता) .... (आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या, यथास्थिति, अधिवक्ता द्वारा) .... के .... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष तारीख .... को हाजिर हों। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 3

गिरफ्तारी का वारण्ट

[धारा 72 देखिए]

प्रेषिती .... (उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

.... (पता) के .... (अभियुक्त का नाम) पर .... अपराध लिखिए के अपराध का आरोप है; इसलिए आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त .... को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें । इसमें चूक नहीं होनी चाहिए ।

20.......... के....... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

[धारा 73 देखिए]

यह वारण्ट निम्नलिखित रूप से पृष्ठांकित किया जा सकेगा:-

यदि उक्त .... तारीख .... को मेरे समक्ष हाजिर होने के लिए और जब तक मेरे द्वारा अन्यथा निदिष्ट न किया जाए ऐसे हाजिर होते रहने के लिए स्वयं .... रुपए की राशि की जमानत .... एक प्रतिभू सहित (या दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक .... रुपए की राशि का होगा) दे दे तो उसे छोड़ा जा सकता है ।

20........... के.......... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 4

वारण्ट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात् बंधपत्र और जमानतपत्र

[धारा 83 देखिए]

मैं.............. (नाम) जो कि................ (पता) का हूं .... के आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर होने के लिए मुझे विवश करने के लिए जारी किए गए वारण्ट के अधीन .... के जिला मजिस्ट्रेट (या यथास्थिति) के समक्ष लाए जाने पर इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए मैं अगली तारीख ....को .... के न्यायालय में हाजिर होऊंगा, और जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निदिष्ट न किया जाए तब तक ऐसे हाजिर होता रहूंगा; तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20.......... के...... मास के............. दिन

(हस्ताक्षर)

.... (पता) के उक्त .... (नाम) के लिए मैं अपने को इसके द्वारा इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं कि वह उस आरोप का उत्तर देने के लिए, जिसके लिए कि वह गिरफ्तार किया गया है, अगली तारीख .... को .... के न्यायालय में .... के समक्ष हाजिर होगा, और जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदिष्ट न किया जाए, ऐसे हाजिर होता रहेगा, और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20.......... के........... मास के.............. दिन

(हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 5

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्‍घोषणा

[धारा 84 देखिए]

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .... , (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा .... के आधीन दण्डनीय, ... का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .... (नाम) मिल नहीं रहा है और मुझे, समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त .... (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है);

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि .... के उक्त .... से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए .... (स्थान) में तारीख .... को हाजिर हो।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 6

साक्षी की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

[धारा 84, धारा 90 और धारा 93 देखिए]

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .... (नाम, वर्णन और पता) ने .... (अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) का अपराध किया है, (या सन्देह है कि उसने किया है) और उक्त परिवाद के विषय के बारे में परीक्षा की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए .... (साक्षी का नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जा चुका है, तथा उक्त वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .... (साक्षी का नाम) पर उसकी तामील नहीं की जा सकती, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है);

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त .... (नाम) से अपेक्षा की जाती है कि वह .... के उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए तारीख .... को............ बजे .... (स्थान) में .... न्यायालय के समक्ष हाजिर हो ।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 7

साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश

[धारा 85 देखिए]

प्रेषिती .... के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी

इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन परिवाद के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए .... (नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारण्ट सम्यक् रूप से निकाला जा चुका है और उक्त वारण्ट यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उसकी तामील नहीं की जा सकती: और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त .... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर हो और साक्ष्य देः

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि .... जिले के अन्दर उक्त .... की .... रुपए तक की कीमत की जो जंगम सम्पत्ति आपको मिले उसे आप अभिग्रहण द्वारा कुर्क कर लें और उक्त सम्पत्ति को इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 8
अभियुक्त व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश
[धारा 85 देखिए]

प्रेषिती................. (उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)।

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .... (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा .... के अधीन दण्डनीय .... का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .... (नाम) मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त .... (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त .... से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह .... दिन के अन्दर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो; तथा .... जिले में .... ग्राम (या नगर) में सरकार को राजस्वदायी भूमि से भिन्न निम्नलिखित सम्पत्ति अर्थात् .... उक्त .... के कब्जे में है और उसकी कुर्की के लिए आदेश दिया जा चुका है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सम्पत्ति को धारा 85 की उपधारा (3) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) या दोनों में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क कर लें और उसे इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करके इसे लौटा दें।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं0 9
जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना प्राधिकृत करने के लिए, आदेश
[धारा 85 देखिए]

प्रेषिती ....जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .... (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा .... के अधीन दण्डनीय .... का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त .... (नाम) मिल नहीं रहा है। तथा मुझे समाधानप्रद रूप कर दर्शित कर दिया गया है कि उक्त .... (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त .... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह .... दिन के अन्दर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो; तथा .... जिले में .... ग्राम (या नगर) में सरकार को राजस्वदायी कुछ भूमि उक्त ....के कब्जे में है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त भूमि को धारा 85 की उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) या दोनों में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क करा लें और इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक उसे कुर्क रखें और इस आदेश के अनुसरण में जो कुछ आपने किया हो उसे अविलम्ब प्रमाणित करें।

20.......... के........... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 10

साक्षी को लाने के लिए प्रथम बार वारण्ट

[धारा 90 देखिए]

प्रेषिती .... (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .... (पता) के .... (अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने .... (अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है), और यह सम्भाव्य प्रतीत होता है कि .... (साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं, तथा मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि जब तक ऐसा करने के लिए विवश न किए जाएं वह उक्त परिवाद की सुनवाई में साक्षी के रूप में हाजिर नहीं होंगे;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार करें और उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए उसे तारीख .... को इस न्यायालय के समक्ष लाएं।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 11

विशिष्ट अपराध की इत्तिला के पश्चात तलाशी के लिए वारण्ट

[धारा 96 देखिए]

प्रेषिती .... (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

.... (अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) के अपराध के किए जाने (या किए जाने के संदेह) की मेरे समक्ष सूचना दी गई है (या परिवाद किया गया है), और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त अपराध (या संदिग्ध अपराध) की जांच के लिए, जो अब की जा रही है (या की जाने वाली है) .... (चीज को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कीजिए) का पेश किया जाना आवश्यक है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... (उस गृह या स्थान का या उसके उस भाग का वर्णन कीजिए, जिस तक तलाशी सीमित रहेगी) में उक्त .... (विनिर्दिष्ट चीज) के लिए तलाशी लें और यदि यह पाई जाए तो उसे तुरन्त इस न्यायालय के समक्ष पेश करें, और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया है उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें।

20........... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 12

संदिग्ध निक्षेप-स्थान की तलाशी के लिए वारण्ट

[धारा 97 देखिए]

प्रेषिती ....

(कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम)

मेरे समक्ष यह इत्तिला दी गई है कि उस पर की गई सम्यक जांच के पश्चात मुझे यह विश्वास हो गया है कि .... (गृह या अन्य स्थान का वर्णन कीजिए) का चुराई हुई सम्पत्ति के निक्षेप (या विक्रय) (या यदि धारा में अभिव्यक्त किए गए अन्य प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग में लाया जाता है तो धारा के शब्दों में उस प्रयोजन को लिखिए) के लिए स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त गृह (या अन्य स्थान) में ऐसी सहायता के साथ प्रवेश करें, जैसी अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए उचित बल का प्रयोग करें और उक्त गृह (या अन्य स्थान) के प्रत्येक भाग (या यदि तलाशी किसी भाग तक ही सीमित रहती है तो उस भाग को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट कीजिए) की तलाशी लें और किसी सम्पत्ति (या यथास्थिति दस्तावेजों या स्टाम्पों या मुद्राओं या सिक्कों या अश्लील वस्तुओं) को (जब मामले में ऐसा अपेक्षित हो तो जोड़िए) और किन्हीं उपकरणों और सामग्रियों को भी जिनके बारे में आपको उचित रूप से विश्वास हो सके कि वे (यथास्थिति) कूटरचित दस्तावेजों या कूटकृत स्टाम्पों, मिथ्या मुद्राओं, या कूटकृत सिक्कों या कूटकृत करेन्सी नोटों के विनिर्माण के लिए रखी गई हैं, अगृहीत करें और अपने कब्जे में लें और उक्त चीजों में से अपने कब्जे में ली गई चीजों को तत्काल इस न्यायालय के समक्ष लाएं और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादित हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप स० 13

परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र

[धारा 125 और धारा 126 देखिए]

मैं (नाम) .... नाम .... (स्थान) का निवासी हूं, मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं .... की अवधि के लिए या जब तक .... के न्यायालय में .... के मामले में इस समय लम्बित जांच समाप्त न हो जाए, परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र लिखूं, इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि उक्त अवधि के दौरान, या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए, परिशान्ति भंग नहीं करूंगा अथवा कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य हो, और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20.......... के .... मास के .... दिन

(हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 14

सदाचार के लिए बंधपत्र

[धारा 127, धारा 128 और धारा 129 देखिए]

मैं .... (नाम) .... (स्थान) का निवासी हूं; मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं .... (अवधि लिखिए) की अवधि के लिए या जब तक .... के न्यायालय में .... के मामले में इस समय लम्बित जांच समाप्त न हो जाए, सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतने के लिए, बंधपत्र लिखूं; इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि उक्त अवधि के दौरान, या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतूंगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

(जहां प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित किया जाना है वहां यह जोड़िए)

हम उक्त .... के लिए अपने को इसके द्वारा इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा, और हम अपने को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो हमारी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 15

परिशान्ति भंग की सम्भावना की सूचना पर समन

[धारा 132 देखिए]

प्रेषितों (नाम) .... (पता) ....

इस विश्वसनीय इत्तिला द्वारा कि .... (सूचना का सार लिखिए) मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि यह सम्भाव्य है कि आप परिशान्ति भंग करेंगे (या ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि सम्भवतः परिशान्ति भंग होगी), इसलिए इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (अथवा अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा) तारीख .... 20.......... को .... के मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिन में दस बजे इस बात का कारण दर्शित करने के लिए हाजिर हों कि आपसे यह अपेक्षा क्यों न की जाए कि इस बात के लिए कि आप .... अवधि के लिए परिशान्ति कायम रखेंगे आप .... रूपये के लिए एक बंधपत्र लिखें [जब प्रतिभू अपेक्षित हों तब यह जोड़िए और एक प्रतिभू, (या, यथास्थिति, दो प्रतिभुओं), के (यदि एक से अधिक प्रतिभू हों तो)] उनमें से प्रत्येक के .... रुपए की राशि के लिए बंधपत्र द्वारा भी प्रतिभूति दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 16
परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में
असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट
[धारा 141 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

.... (नाम और पता), उस समन के अनुपालन में, जिससे कि उनसे अपेक्षा की गई थी कि वह इस बात का कारण दर्शित करें कि क्यों न वह एक प्रतिभू सहित (या दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक .... रुपए के लिए प्रतिभू हो) .... रुपए के लिए इस बाबत बंधपत्र लिखें कि वह अर्थात उक्त .... (नाम) .... मास की अवधि के लिए परिशान्ति कायम रखेंगे .... मेरे समक्ष तारीख .... को स्वयं (या अपने प्राधिकृत, अभिकर्ता द्वारा) हाजिर हुए थे; तथा तब उक्त .... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया गया था कि वह ऐसी प्रतिभूति (जब आदिष्ट प्रतिभूति समन में उल्लिखित प्रतिभूति से भिन्न है, तब आदिष्ट प्रतिभूति लिखिए) दें और जुटाएं और वह उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहे हैं;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में .... (कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, जब तक इस बीच उनके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रोति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 17

सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट

[धारा 141 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) को जेल का भारसाधक अधिकारी

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि .... (नाम और वर्णन) .... जिले के भीतर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए ऐसा कर रहा है;

अथवा

.... (नाम और वर्णन) के साधारण चरित्र के बारे में मेरे समक्ष साक्ष्य दिया गया है और अभिलिखित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि का आभ्यासिक लुटेरा (या, यथास्थिति, गृहभेदक आदि) है:

तथा ऐसा कथन करने वाला और उक्त .... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश अभिलिखित किया गया है कि एक प्रतिभू सहित (या, यथास्थिति, दो या अधिक प्रतिभुओं के सहित) वह स्वयं .... रूपये के लिए और उक्त प्रतिभू (या उक्त प्रतिभुओं में से प्रत्येक) .... रुपए के लिए बंधपत्र लिखकर .... (अवधि लिखिए) अवधि के लिए अपने सदाचार के लिए प्रतिभूत्ति दें, और उक्त .... (नाम) उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है और ऐसी चूक के लिए उसकी बाबत .... (अवधि लिखिए) के लिए, जब तक उससे पूर्व हो उक्त प्रतिभूति न दे दी जाए, कारावास का न्याय-निर्णयन किया गया है; इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त …………… (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में .... (कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, सुरक्षित रखें या यदि वे पहले ही कारागार में है तो उसमें निरुद्ध रखें जब तक इस बीच उसके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए, और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 18
प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित करने के लिए वारण्ट
[धारा 141 और धारा 142 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी (या अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है) .... (बन्दी का नाम और वर्णन) को तारीख .... 20 .... के न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा .... के अधीन प्रतिभूति सम्यक रूप से दे दी है;

अथवा

20 .... के..........मास के .... दिन के न्यायालय के वारण्ट के अधीन .... (बन्दी का नाम और वर्णन) को आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और मुझे इस राय के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसे समाज को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है। इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरूद्ध करना आवश्यक न हो तत्काल उन्मोचित कर दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 19

भरणपोषण देने में असफल रहने पर कारावास का वारण्ट

[धारा 144 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

.... (नाम, वर्णन और पता) के बारे में मेरे समक्ष यह साबित कर दिया गया है कि वह अपनी पत्नी .... (नाम) [या अपने बालक …………. (नाम) या

अपने पिता या माता .... (नाम) का, जो .... (कारण लिखिए) के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है], भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन रखता है और उसने उनका भरणपोषण करने में उपेक्षा की है (या ऐसा करने से इन्कार किया है) और उक्त .... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (या अपने बालक या पिता या माता) को भरण-पोषण के लिए .... रुपए की मासिक राशि दे, तथा यह भी साबित कर दिया है कि उक्त .... (नाम) उक्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके .... रुपए, जो .... मास (या मासों) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है;

और उस पर यह न्यायनिर्णीत करने वाला आदेश किया गया कि वह उक्त जेल में .... अवधि के लिए कारावास भोगे;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और वहां उक्त आदेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 20

कुर्की और विक्रय द्वारा भरण-पोषण का संदाय कराने के लिए वारण्ट

[धारा 144 देखिए]

प्रेषिती ....

(उस पुलिस अधिकारी का या अन्य व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसे वारण्ट का निष्पादन करना है)

.... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक् रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (या अपने बालक या पिता या माता) को भरण-पोषण के लिए .... रुपए की मासिक राशि दे, तथा उक्त .... (नाम) उक्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके .... रूपये जो .... के मास (या मासों) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... जिले के अन्दर उक्त .... (नाम) की जो कोई जंगम सम्पत्ति मिले उसे कुर्क कर लें और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात .... (अनुज्ञात दिनों या घण्टों की संख्या लिखिए) के अन्दर उक्त राशि नहीं दी जाती है तो (या तत्काल) कुर्क की गई जंगम सम्पत्ति का या उसके इतने भाग का, जितना उक्त राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, तुरन्त लौटा दें।

20......... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 21

न्यूसेंसों को हटाने के लिए आदेश

[धारा 152 देखिए]

प्रेषिती .... (नाम, वर्णन और पता)

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आपने .... (यह लिखिए कि वह क्या है जिससे बाधा या न्यूसेंस कारित होता है) इत्यादि, इत्यादि द्वारा सार्वजनिक सड़क मार्ग (या अन्य लोक स्थान) .... (सड़क या लोक स्थान का वर्णन कीजिए) .... इत्यादि, इत्यादि को उपयोग में लाने वाले व्यक्तियों को बाधा (या न्यूसेंस) की है और वह बाधा (या न्यूसेंस) अब भी वर्तमान है;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप स्वामी की या प्रबन्धक की हैसियत से .... (विशिष्ट व्यापार या उपजीविका लिखिए) का व्यापार या उपजीविका .... में (वह स्थान जहां वह व्यापार या उपजीविका चलाई जा रही है लिखिए) चला रहे हैं और वह .... के (जिस रीति से हानिकारक प्रभाव पैदा हुए हैं वह संक्षेपतः लिखिए) कारण लोक-स्वास्थ्य (या सुख) के लिए हानिकारक है और उसे बन्द कर दिया जाना चाहिए या दूसरे स्थान को हटा दिया जाना चाहिए;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप लोक मार्ग .... (आम रास्ते का वर्णन कीजिए) के पार्श्वस्थ किसी तालाब (या कुएं या उत्खात) के स्वामी हैं (या उस पर आपका कब्जा है या नियन्त्रण है) और उक्त तालाब (या कुएं या उत्खात) पर बाड़ न होने (या असुरक्षित रूप से बाड़ होने) के कारण सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है;

अथवा

.... इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति);

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप .... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अन्दर .... (न्यूसेंस के उपशमन के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है वह लिखिए) या तारीख .... को .... के न्यायालय में हाजिर हों और इस बात का कारण दर्शित करें कि इस आदेश को क्यों प्रवर्तित न कराया जाए;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप .... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अन्दर उक्त व्यापार या उपजीविका को उक्त स्थान में चलाना बन्द कर दें और उसे फिर न चलाएं या उक्त व्यापार को उस स्थान से जहां वह अब चलाया जा रहा है हटा दें, या तारीख .... को हाजिर हों, इत्यादि, इत्यादि;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप .... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अन्दर) .... (बाड़ की किस्म और जिस भाग में पर्याप्त बाड़ लगाई जानी है वह लिखिए) पर्याप्त बाड़ लगाएं या तारीख .... को हाजिर हों, इत्यादिः

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि .... इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति)।

20......... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 22

मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना और अनिवार्य आदेश

[धारा 160 देखिए]

प्रेषिती .... (नाम, वर्णन और पता)

मैं आपको सूचना देता हूं कि यह पाया गया है कि तारीख .... को जारी किया गया और आपसे .... (आदेश में की गई अपेक्षा का सार लिखिए) अपेक्षा करने वाला आदेश युक्तियुक्त और उचित है। वह आदेश अब अन्तिम कर दिया गया है तथा मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि .... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अन्दर उक्त आदेश का अनुपालन करें, नहीं तो उसकी अवज्ञा के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा उपबन्धित शास्ति आपको भोगनी पड़ेगी।

20.......... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 23

जांच होने तक आसन्न खतरे के विरुद्ध उपबन्ध करने के लिए व्यादेश

[धारा 161 देखिए]

प्रेषिती .... (नाम, वर्णन और पता)

तारीख .... 20 ...... को मेरे द्वारा जारी किए गए सशर्त आदेश की जांच अभी तक लम्बित है और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त आदेश में वर्णित न्यूसेंस से जनता को ऐसा खतरा या गम्भीर किस्म की हानि आसन्न है कि उस खतरे या हानि का निवारण करने के लिए अविलम्ब उपाय करना आवश्यक हो गया है; इसलिए मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 161 के उपबन्धों के अधीन आपको निदेश और व्यादेश देता हूं कि आप जांच का परिणाम निकलने तक के लिए तत्काल .... (अस्थायी सुरक्षा के रूप में क्या किया जाना अपेक्षित है यह स्पष्टतया लिखिए) करें।

20.......... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 24

न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आदि का प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश

[धारा 162 देखिए]

प्रेषिती .... (नाम, वर्णन और पता)

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि .... इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति, प्रारूप 21 या 25 के अनुसार यहां उचित वर्णन कीजिए);

इसलिए मैं आपको सख्त आदेश और व्यादेश देता हूं कि आप उक्त न्यूयेंस की पुनरावृनि न करें या उसे चालू न रखें।

20.......... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 25
बाधा, बल्वा आदि का निवारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश
[धारा 163 देखिए]

प्रेषिती .... (नाम, वर्णन और पता)

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप …………….. (सम्पत्ति का स्पष्ट वर्णन कीजिए) का कब्जा रखते हैं (या प्रबन्ध करते हैं) और उक्त भूमि में नाली खोदने में आप खोदी हुई मिट्टी और पत्थरों के कुछ भाग को पार्श्ववर्ती सार्वजनिक सड़क पर फेंकने या रख देने वाले हैं, जिससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा की जोखिम पैदा होगी;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप और कई अन्य व्यक्ति ………………. (व्यक्तियों के वर्ग का वर्णन कीजिए) समवेत होने वाले हैं और सार्वजनिक सड़क पर होकर जुलूस निकालने वाले हैं, इत्यादि (यथास्थिति) और ऐसे जुलूस से बल्वा या दंगा हो जाना सम्भाव्य है;

अथवा

…………………. इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति);

इसलिए मैं इसके द्वारा आपको आदेश देता हूँ कि आप भूमि में से खोदी हुई किसी भी मिट्टी या पत्थर को उक्त सड़क के किसी भी भाग पर न रखें और न रखने की अनुज्ञा दें;

अथवा

इसलिए मैं इसके द्वारा उक्त सड़क पर होकर जुलूस के जाने का प्रतिषेध करता हूं और आपको सख्त चेतावनी और आदेश देता हूं कि आप ऐसे जुलूस में कोई भाग न लें (या जैसा वर्णित मामले में अपेक्षित हो)।

20.......... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 26

विवादग्रस्त भूमि आदि का कब्जा रखने के हकदार पक्षकार की घोषणा करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश

[धारा 164 देखिए]

सम्यक् रूप से अभिलिखित आधारों पर मुझे यह प्रतीत होने पर कि मेरी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित................ (विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए) से सम्बद्ध विवाद जिससे परिशान्ति भंग हो जाना सम्भाव्य है .... (पक्षकारों के नाम और निवास अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का वर्णन कीजिए) के बीच है, सब उक्त पक्षकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त (विवाद-वस्तु) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावों का लिखित कथन दें और तब उक्त पक्षकारों में से किसी के कब्जे के वैध अधिकार के दावे के गुणागुण के प्रति कोई निदेश किए बिना सम्यक् जांच करने पर मेरा समाधान हो जाने पर कि उक्त .... (नाम या वर्णन) का उस पर वास्तविक कब्जे का दावा सही है; मैं यह विनिश्चय करता हूं और घोषित करता हूं कि उक्त....... (विवाद-वस्तु) पर उसका (या उनका) कब्जा है और, जब तक कि विधि के सम्यक् अनुक्रम में वह (या वे) निकाल न दिया जाए (या दिए जाएं) जब तक वह (या वे) ऐसा कब्जा रखने का हकदार है (या के हकदार हैं) और इस बीच में उसके (या उनके) कब्जे में किसी प्रकार का विघ्न डालने का मैं सख्त निषेध करता हूं।

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 27

भूमि आदि के कब्जे के बारे में विवाद के मामले में कुर्की का वारण्ट

[धारा 165 देखिए]

प्रेषिती........ (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी [या...........(स्थान) का कलेक्टर] ।

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि मेरी अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर स्थित ...... (विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए) सम्बद्ध विवाद, जिससे परिशान्ति भंग हो जाना सम्भाव्य है, ...(सम्बद्ध पक्षकारों के नाम और निवास, अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का वर्णन कीजिए) के बीच है और तब उक्त पक्षकारों से सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त............... (विवाद-वस्तु) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावे का लिखित कथन दें, और उक्त दावों की सम्यक् जांच करने पर मैंने यह विनिश्चय किया है कि उक्त..... (विवाद-वस्तु) पर कब्जा उक्त पक्षकारों में से किसी का भी नहीं है (या यथापूर्वोक्त रूप में कब्जा किस पक्षकार का है इस बारे में अपना समाधान करने में मैं असमर्थ हूं)

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (विवाद-वस्तु) को उसका कब्जा लेकर और रख कर कुर्क करें और जब तक पक्षकारों के अधिकारों का या कब्जे के दावे का अवधारण करने वाली सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ली जाए या न कर लिया जाए तब तक उसे कुर्क रखे रहें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20 .... के........... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 28
भूमि या जल पर किसी बात के किए जाने का प्रतिषेध करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश
[धारा 166 देखिए]

मेरी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित ...... (विवाद-वस्तु को थोड़े में लिखिए) के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध, जिस भूमि (या जल) पर या अनन्य कब्जे का दावा ....(व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्णन कीजिए) द्वारा किया गया है, विवाद उठने पर और उसकी सम्यक् जांच से मुझे यह प्रतीत होने पर कि उक्त भूमि (या जल) का जनता (या यदि व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है तो उसका या उनका वर्णन कीजिए) के लिए ऐसे उपयोग का उपभोग करना खुला रहा है और (यदि सारे वर्ष के उपयोग का उपभोग किया जाता है तो) उक्त जांच के संस्थित किए जाने के तीन मास के अन्दर (या यदि उपयोग का विशिष्ट मौसमों में ही उपभोग किया जा सकता है तो कहिए "उन मौसमों में से, जिनमें कि उसका उपभोग किया जा सकता है, अन्तिम मौसम के दौरान") उक्त उपयोग का उपभोग किया गया है;

मैं यह आदेश देता हूं कि उक्त .... (कब्जे का या के दावेदार) या उसके (या उनके) हित में कोई व्यक्ति उक्त भूमि (या जल) का कब्जा, यथापूर्वोक्त उपयोग के अधिकार के उपभोग का अपवर्जन करके, न लेगा (या प्रतिधारित न करेगा) जब तक वह (या वे) सक्षम न्यायालय की उसे (या उन्हें) अनन्य कब्जे का (या के) हकदार न्यायनिर्णीत करने वाली डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ले (या लें) ।

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 29

पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक जांच पर बंधपत्र और जमानतपत्र

[धारा 189 देखिए]

मैं.... (नाम) जो......का हूं .....के अपराध से आरोपित होने पर और जांच के पश्चात्...... मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए अपेक्षित किए जाने पर

अथवा

और जांच के पश्चात् अपना मुचलका इसलिए देने की अपेक्षा की जाने पर कि जब भी मुझसे अपेक्षा की जाएगी, मैं हाजिर होऊंगा; इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं .... (स्थान) में .... के न्यायालय में तारीख .... को (या ऐसे दिन जब हाजिर होने की मुझसे इसके पश्चात् अपेक्षा की जाए) उक्त आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के लिए हाजिर होऊंगा और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें से कोई चूक करूं तो मेरी.......... रुपए की राशि सरकार की समपहृत हो जाएगी।

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्ततः और पृथकतः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपर्युक्त............ (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू (या प्रतिभूओं) घोषित करता हूँ (या करते हैं) कि वह .... (स्थान) में .... के न्यायालय में तारीख .... को (या ऐसे दिन जब हाजिर होने की उससे इसके पश्चात् अपेक्षा की जाए) अपने विरुद्ध लम्बित आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के लिए हाजिर होगा, और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं (या हम इसके द्वारा अपने को आबद्ध करते हैं) कि यदि इसमें वह चूक करे तो मेरी (या हमारी) .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 30

अभियोजन चलाने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र

[धारा 190 देखिए]

मैं......... (नाम), जो......... (स्थान) का हूं अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं तारीख .... को.... बजे के न्यायालय में हाजिर होउंगा और वहीं और उसी समय क, ख, के विरुद्ध......आरोप के मामले में अभियोजन चलाऊंगा (या अभियोजन चलाऊंगा और साक्ष्य दूंगा) (या साक्ष्य दूंगा), और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी ......रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 31
छोटे अपराध के अभियुक्त को विशेष समन
[धारा 229 देखिए]

प्रेषिती,
............(अभियुक्त का नाम)
............(पता)

.... के छोटे अपराध (आरोपित अपराध का संक्षिप्त विवरण) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपकी हाजिरी आवश्यक है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या अधिवक्ता द्वारा) .... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष 20...... के...... मास के.......... दिन हाजिर हों या यदि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहें तो आप दोषी होने का लिखित रूप में अभिवचन और जुर्माने के रूप में .... रुपए की राशि उपरोक्त तारीख के पूर्व भेज दें, या यदि आप अधिवक्ता द्वारा हाजिर होना चाहें और दोषी होने का अभिवचन ऐसे अधिवक्ता की मार्फत करना चाहें तो अपनी ओर से इस प्रकार दोषी होने का अभिवचन करने के लिए आप ऐसे अधिवक्ता को लिखित रूप में प्राधिकृत करें और ऐसे अधिवक्ता की मार्फत जुर्माने का संदाय करें। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

(टिप्पणी. - इस समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम पांच हजार रुपए से अधिक न होगी।)

प्रारूप सं० 32

मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को सुपुर्दगी की सूचना

[धारा 232 देखिए]

...............का मजिस्ट्रेट सूचना देता है कि उसने.......... की अगले सेशन में विचारण के लिए सुपुर्द किया है: और मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को उक्त मामले में अभियोजन संचालन करने का अनुदेश देता है।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि .... इत्यादि (आरोप में दिया गया अपराध लिखिए)

20 .... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 33

आरोप

[धारा 234, धारा 235 और धारा 236 देखिए]

1.- एक शीर्ष वाले आरोप

(1) (क) मैं........... (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि)

आप......अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं:-

(ख) **धारा 147 पर**.- आपने तारीख को .... या, उसके लगभग .... में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 147 के अधीन दण्डनीय अपराध है, और इस न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए।

(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए]:—

(2) **धारा 151 पर. -** आपने तारीख .... को या उसके लगभग...... भारत के राष्ट्रपति [या यथास्थिति................. (राज्य का नाम) के राज्यपाल] को ऐसे राष्ट्रपति (या यथास्थिति, राज्यपाल) के रूप में अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति (या यथास्थिति, राज्यपाल) पर हमला किया, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 151 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(3) **धारा 198 पर. -** आपने तारीख .... को या उसके लगभग............... में ऐसा आचरण किया (या यथास्थिति, करने का लोप किया) जो .... अधिनियम की धारा .... के उपबंधों के प्रतिकूल है और जिसके बारे में आपको ज्ञात था कि वह .... पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(4) **धारा 229 पर.---** आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में .... के समक्ष .... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि "........................" जिस कथन के मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था या, जिसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था; और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(5) **धारा 105 पर. --** आपने तारीख ...... को या उसके लगभग......... में हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध किया जिससे ...... • की मृत्यु कारित हुई और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(6) **धारा 108 पर.----** आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में क, ख. द्वारा जो कि मत्त अवस्था में था, आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(7) **धारा 117(2) पर.----** आपने तारीख........को या उसके लगभग .... में........को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 117 (2) के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के संज्ञान के अंतर्गत है।

(8) **धारा 309(2) पर.** आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में .... (नाम लिखिए) को लूटा और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309 (2) के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(9) **धारा 310 (2) पर.** आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में .... डकैती डाली जो अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 310(2) के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

II.-दो या अधिक शीर्ष वाले आरोप

(1) (क) मैं.. .... (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि) आप .... (अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं:-

(ख) **धारा 179 पर. -** पहला- आपने तारीख ...... को या उसके लगभग...... में एक सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, क, ख नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली के रूप में परिदत्त किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 179 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

दूसरा-आपने तारीख .... को या उसके लगभग.......... में एक सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, क, ख नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 179 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए।

(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए]:-

(2) **धारा 103 और 105 पर.---** पहला- आपने तारीख .... को या उसके लगभग.........में .... की मृत्यु कारित करके हत्या की और उसके द्वारा आपने ऐसा

अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

दूसरा-आपने तारीख ……. को या उसके लगभग …….. में ………… की मृत्यु कारित करके हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(3) **धारा 303(2) और 307 पर.** पहला- आपने तारीख ……… को या उसके लगभग ……….. में चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

दूसरा---आपने तारीख .... को या उसके लगभग........... में चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

तीसरा-- आपने तारीख...... को या उसके लगभग ……… में, चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए किसी व्यक्ति का अवरोध कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

चौथा --- आपने तारीख …….. को या उसके लगभग .... में, चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति को प्रतिधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को उपहति का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(4) **धारा 229 पर अनुकल्पी आरोप.** - आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में…………के समक्ष............ की जांच के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि "……….." और आपने तारीख ……….. को या उसके लगभग ……….. में .... के समक्ष .... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि "........." जिन दो कथनों में से एक के मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था या उसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है।

(*मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारित किए जाने वाले मामलों में* "सेशन न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है" *के स्थान पर* "मेरे संज्ञान के अन्तर्गत है" *लिखिए*)।

III.-पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् चोरी का आरोप

मैं .... (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि) आप .... (अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं:-

यह कि आपने तारीख .... को या उसके लगभग.......... में चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) के अधीन दण्डनीय है और सेशन न्यायालय (या, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट) के संज्ञान के अन्तर्गत है।

और आप, उक्त .... (अभियुक्त का नाम) पर यह भी आरोप है कि आप उक्त अपराध करने के पूर्व अर्थात् तारीख .... को .... के .... (वह न्यायालय लिखिए जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी) द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए, अर्थात् रात्रौ गृहभेदन के अपराध .... (*उस धारा के शब्दों में अपराध का वर्णन कीजिए जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया था*) के लिए दोषसिद्ध किए गए थे जो दोषसिद्धि अब तक पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील है और आप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 13 के अधीन परिवर्धित दण्ड से दण्डनीय हैं।

और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका विचारण किया जाए, इत्यादि।

प्रारूप सं० 34
साक्षी को समन
[धारा 63 और धारा 267 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) का.................. (नाम)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि........ (पता) के .... (अभियुक्त का नाम) ने .... (समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि सम्भाव्य है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें:
इसलिए आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषय से सम्बद्ध आप जो कुछ जानते हों उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख .... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना वहां से न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इन्कार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जाएगा।

20...... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 35
यदि कारावास या जुर्माने का दण्डादेश न्यायालय द्वारा दिया गया है तो उस पर सुपुर्दगी का वारण्ट
[धारा 258, धारा 271 और धारा 278 देखिए]

प्रेषिती..........(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

सन् .... के कलेण्डर के मामले संख्यांक .... में बन्दी (या यथास्थिति पहले दूसरे, तीसरे बन्दी) .... (बन्दी का नाम) .... को मेरे द्वारा............... (नाम और शासकीय पदाभिधान) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की (या ....अधिनियम की) धारा (या धाराओं)............. के अधीन .... (अपराधों का थोड़े में वर्णन कीजिए) के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और .... (दण्ड पूर्णतया और स्पष्टतया लिखिए) के लिए तारीख .... को दण्डादिष्ट किया गया।

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (बन्दी का नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लेकर पूर्वोक्त दण्ड को विधि के अनुसार निष्पादित करें।

20...... के .... मास के ...... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 36

प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहने पर कारावास का वारण्ट

[धारा 273 देखिए]

प्रेषिती, ... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

.... (नाम और वर्णन) ने .... (अभियुक्त का नाम और वर्णन) के विरुद्ध यह परिवाद किया है कि .... (इसे थोड़े में वर्णन कीजिए) और वह इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उक्त (नाम) .... के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए उचित आधार नहीं है और खारिज करने का आदेश यह अधिनिर्णीत करता है कि उक्त .... (परिवादी का नाम) द्वारा प्रतिकर के रूप में .... रुपए की राशि का संदाय किया जाए: और उक्त राशि अभी तक दी नहीं गई हैं और यह आदेश कर दिया गया है कि उसे .... दिन की अवधि के लिए, यदि पूर्वोक्त राशि उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है तो जेल में सादा कारावास में रखा जाए:

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8(6) (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उससे उक्त जेल में उक्त अवधि .... कारावास की अवधि) के लिए, यदि उक्त राशि उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है तो सुरक्षित रखें और उक्त राशि के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतन्त्र कर दें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 37

कारागार में बन्द व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा करने वाला आदेश

[धारा 302 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध .... (बन्दी का नाम) की इस न्यायालय में हाजिरी .... (आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए) के आरोप का उत्तर देने के लिए या .... (कार्यवाही की संक्षिप्त विशिष्टियां दीजिए) कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए या उक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ तारीख .... 20........ को दिन में .... बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं।

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... को इस आदेश की अन्तर्वस्तु की सूचना दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें।

20 .... के .... मास के............. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 38

कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा करने वाला आदेश

[धारा 302 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

इस न्यायालय के समक्ष परिवाद किया गया है कि .... (स्थान) के .... (अभियुक्त का नाम) ने............. (समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है और यह प्रतीत होता है कि उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध .... (बन्दी का नाम) अभियोजन/प्रतिरक्षा के लिए तात्त्विक साक्ष्य दे सकता है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त............... को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर इस न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले में साक्ष्य देने के लिए तारीख.......... को दिन में .... बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं;

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.............. को इस आदेश की अन्तर्वस्तु की सूचना दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 39

अवमान के ऐसे मामलों में सुपुर्दगी का वारण्ट जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया है

[धारा 384 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

आज मेरे समक्ष हुए न्यायालय में .... (अपराधी का नाम और वर्णन) ने न्यायालय की उपस्थिति में (या दृष्टिगोचरता में) जानबूझकर अवमान किया है;

और मेरे अवमान के लिए उक्त .... (अपराधी का नाम) को ....रुपए का जुर्माना देने के लिए या उसमें चूक करने पर .... (मास या दिनों की संख्या लिखिए) अवधि के लिए सादा कारावास भुगतने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (अपराधी का नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और, उक्त जेल में .... (कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, जब तक उक्त जुर्माना उससे पूर्व न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और उक्त जुर्माने के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतन्त्र कर दें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20......... के.......... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 40
उत्तर देने से या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले साक्षी की सुपुर्दगी के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का वारण्ट
[धारा 388 देखिए]

प्रेषिती ....
(न्यायालय के अधिकारी का नाम और पदाभिधान)

.... (नाम और वर्णन) ने साक्षी के रूप में समन किए जाने पर (या इस न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) और अभिकथित अपराध की जांच में साक्ष्य देने की आज अपेक्षा की जाने पर उक्त अभिकथित अपराध के बारे में उससे पूछे गए और सम्यक् रूप से अभिलिखित प्रश्न (या प्रश्नों) का उत्तर देने से या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इन्कार किया है और इन्कार करने के लिए किसी न्याय-संगत प्रतिहेतु का अभिकथन नहीं किया है और इस इन्कार के लिए उसको .... (न्याय-निर्णीत निरोध की अवधि) के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के लिए आदिष्ट किया गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और उसे अपनी अभिरक्षा में .... दिनों की अवधि के लिए, जब तक कि इस बीच में ही वह अपनी ऐसी परीक्षा किए जाने और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या उससे अपेक्षित दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, सुरक्षित रखें और उसे इन दिनों में से अन्तिम दिन, या ऐसी सहमति के ज्ञात होने पर तत्काल, विधि के अनुसार कार्यवाही की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष लाएं और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20.......... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 41
मृत्यु दण्डादेश के अधीन सुपुर्दगी का वारण्ट
[धारा 407 देखिए]

प्रेषिती ...... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

तारीख .... को मेरे समक्ष हुए सेशन में .... (बन्दी का नाम), जो कि उक्त सेशन में 20................ के कलेण्डर के मामला संख्यांक .... में बन्दी (या यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा बन्दी) है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा ....के अधीन हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मान-वध के अपराध के लिए सम्यक् रूप से दोषसिद्ध किया गया था और .... के .... न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश की पुष्टि किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, मृत्यु के लिए दण्डादिष्ट हुआ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.............. (*बन्दी का नाम*) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि उक्त .... न्यायालय के आदेश को प्रभावशील करने के लिए इस न्यायालय का आगे वारण्ट या आदेश आपको न मिले।

20.......... के........... मास के................. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 42
दण्डादेश के लघुकरण के पश्चात् वारण्ट
[(धारा 427, धारा 453 और धारा 456 देखिए]

प्रेषिती........... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

तारीख.......... को हुए सेशन में..............(*बन्दी का नाम*), जो उक्त सेशन में 20.......के कलेण्डर के मामला संख्यांक............में बन्दी (या, यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा बन्दी) है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा .... के अधीन दण्डनीय .... के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और .... के लिए दण्डादिष्ट किया गया था और तब आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था तथा .... के .... न्यायालय के आदेश द्वारा (जिसकी दूसरी प्रति इसके साथ संलग्न हैं) उक्त दण्डादेश द्वारा न्याय – निर्णीत दण्ड का आजीवन कारावास .... के दण्ड के रूप में लघुकरण किया गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... *(बन्दी का नाम)* को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में, विधि द्वारा अपेक्षित रूप में, तब तक सुरक्षित रखें जब तक वह उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दण्ड भुगतने के प्रयोजन के लिए आपके द्वारा समुचित प्राधिकारी को और अभिरक्षा में परिदत्त न कर दिया जाए,

अथवा

यदि कम किया गया दण्डादेश कारावास का है तो "उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में" शब्दों के पश्चात् लिखिए "सुरक्षित रखें और वहाँ उक्त आदेश के अधीन कारावास के दण्ड को विधि के अनुसार निष्पादित करें।"

20.......... के........... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 43
मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का वारण्ट
[धारा 453 और धारा 454 देखिए]

प्रेषिती............ (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

तारीख ....को मेरे समक्ष हुए सेशन में 20 .... के कलेण्डर के मामला संख्यांक .... में बन्दी .... (*या, यथास्थिति*, पहला, दूसरा, तीसरा बन्दी) .... *(बन्दी का नाम)* इस न्यायालय के तारीख .... के वारण्ट द्वारा मृत्यु का दण्डादेश देकर आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था; तथा उक्त दण्डादेश को पुष्ट करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय को प्राप्त हो गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... को .... *(निष्पादन का समय और स्थान)* में जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवाकर उक्त दण्डादेश का निष्पादन करें और यह वारण्ट इस न्यायालय को पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करते हुए लौटा दें कि दण्डादेश का निष्पादन कर दिया गया है।

20..........के........... मास के..........दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 44
कुर्की और विक्रय द्वारा जुर्माने का उद्ग्रहण करने के लिए वारण्ट
[धारा 461 देखिए]

प्रेषिती.................

(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदाभिधान जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है) ।

....................*(अपराधी का नाम और वर्णन)* तारीख .... 20 .... को .... (अपराध का थोड़े में वर्णन कीजिए) के अपराध के लिए मेरे समक्ष दोषसिद्ध किया गया था और .... रुपए का जुर्माना देने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था तथा उक्त .... (नाम) ने उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा को जाने पर भी वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... जिले के अन्दर पाई जाने वाली उक्त .... *(नाम)* की किसी भी जंगम सम्पत्ति को कुर्क करें; और यदि ऐसी कुर्की के ठीक पश्चात् .... *(अनुज्ञात दिनों या घण्टों की संख्या)* के अन्दर *(या तत्काल)* उक्त राशि न दी जाए तो कुर्क की गई जंगम सम्पत्ति का या उसके इतने भाग का जितना उक्त जुर्माने की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, पृष्ठांकन करके तुरन्त लौटा दें।

20......... के .... मास के...............दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 45

जुर्माने की वसूली के लिए वारण्ट

[धारा 461 देखिए]

प्रेषिती................. जिले का कलेक्टर

.... *(अपराधी का नाम, पता और वर्णन)* को 20 .... के .... मास के .... दिन .... *(अपराध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए)* के अपराध के लिए मेरे समक्ष सिद्धदोष किया गया था और .... रुपए का जुर्माना देने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था;

और

उक्त .... *(नाम)* से यद्यपि जुर्माना देने की अपेक्षा की गई थी किन्तु उसने वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त .... *(नाम)* की जंगम या स्थावर सम्पत्ति या दोनों से उक्त जुर्माने की रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कीजिए और अविलम्ब यह प्रमाणित कीजिए कि आपने इस आदेश के अनुसरण में क्या किया है।

20............. के .... मास के........ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 46

जुर्माने के वसूल होने तक छोड़े गए अपराधी के हाजिर होने के लिए बंधपत्र

[धारा 464 (1) (ख) देखिए]

मैं .... *(नाम)* .... *(स्थान)* का निवासी हूँ। मुझे .... रुपये का जुर्माना देने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर .... *(अवधि)* के लिए कारावास का दण्डादेश दिया गया है; और न्यायालय ने इस शर्त पर मेरे छोड़े जाने का आदेश किया है कि मैं निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को हाजिर होने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करूं, अर्थात् :-

मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं .... न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को, अर्थात् .... को .... बजे हाजिर होऊंगा –

और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि मैं इसमें व्यतिक्रम करूं तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20 .... के ....मास के .... दिन

(हस्ताक्षर)

जहां बंधपत्र प्रतिभुओं के साथ निष्पादित किया जाना है वहां यह जोड़ें-

हम इसके द्वारा अपने को उपर्युक्त .... (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह .... न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख *(या तारीखों)* अर्थात् .... को हाजिर होगा-

और हम इसके द्वारा अपने को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं कि इसमें उसके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर हमारी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 47

थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र और जमानतपत्र

[धारा 478, धारा 479, धारा 480, धारा 481, धारा 482(3) और धारा 485 देखिए]

मैं .... *(नाम)* .... *(स्थान)* का निवासी हूं; .... थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने पर (या............. न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) .... अपराध से आरोपित किया गया हूं तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है; मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूं कि मैं ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, हाजिर होऊंगा, जिसमें ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी.................. रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

20......... के .... मास के....... दिन

(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्ततः और पृथकत: अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपरोक्त .... (*नाम*) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू *(या प्रतिभूओं)* घोषित करता हूं (या करते हैं) कि वह .... थाने के भारसाधक अधिकारी या .... न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, हाजिर होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चुक किए जाने की दशा में मेरी/हमारी .... रुपए की राशि सरकार को समहृत हो जाएगी।

20............. के .... मास के............. दिन

(हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 48

प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति के उन्मोचन के लिए वारण्ट

[धारा 487 देखिए]

प्रेषिती........... (*स्थान*) की जेल का भारसाधक अधिकारी

(या वह अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में उक्त व्यक्ति है)

.... (बन्दी का नाम और वर्णन) तारीख .... के इस न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् अपने प्रतिभू (*या प्रतिभूओं*) के सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 485 के अधीन बंधपत्र सम्यक् रूप से निष्पादित कर दिया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... *(नाम)* को अपनी अभिरक्षा से, जब तक कि किसी दूसरी बात के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 49

बंधपत्र प्रवर्तित कराने के लिए कुर्की का वारण्ट

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती.................. *(स्थान)* के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी

.........................*(व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता)* अपने मुचलके के अनुसरण में .... *(अवसर का उल्लेख करें)* पर हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण उसकी .... *(बंधपत्र में वर्णित शास्ति)* रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है और उक्त .... *(व्यक्ति का नाम)*, को सम्यक् सूचना दिए जाने पर, उक्त राशि देने में या इस बात का कि उक्त राशि की वसूली उससे क्यों न की जाए, पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त *(नाम)* .... की .... जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि............... दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है, तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को, जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरन्त यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

20...........के.........मास के.......... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 50

बंधपत्र का भंग होने पर प्रतिभू को सूचना

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती .... (नाम)......... (पता)

आप 20 .... के मास के .... दिन को .... (नाम) .... (स्थान) के इसलिए प्रतिभू बने थे कि वह इस न्यायालय के समक्ष........... के..........दिन को हाजिर होगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि यदि इसमें व्यतिक्रम होता है तो आपकी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी; और उक्त .... (नाम) इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण आपकी .... रुपए की उपर्युक्त राशि समपहृत हो गई है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप आज की तारीख से .... दिन के भीतर उक्त शास्ति का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 51

सदाचार के लिए बंधपत्र के समपहरण की प्रतिभू को सूचना

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती.................. (*नाम*)................... (*पता*)

आप 20 .... के .... मास के .... दिन को .... *(नाम)* .... *(स्थान)* के लिए इस बंधपत्र द्वारा प्रतिभू बने थे कि वह............ अवधि के लिए सदाचारी रहेगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि इसमें व्यतिक्रम होने पर आपकी .... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी; और आपके ऐसे प्रतिभू बनने के बाद से उक्त .... (*नाम*) को .... *(यहां पर संक्षेप में अपराध का उल्लेख करें)* के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, इस कारण आपका प्रतिभूति बंधपत्र समपहृत हो गया है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... दिन के भीतर उक्त .... रुपए की शास्ति दे दें या यह कारण बताएं कि उसका संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 52
प्रतिभू के विरुद्ध कुर्की का वारण्ट
[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती .... *(नाम)* .... *(पता)*

...................................*(नाम, वर्णन और पता)* ने अपने को .... की हाजिरी के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि *(बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए)* और उक्त .... *(नाम)* ने व्यतिक्रम किया है और इस कारण उसकी .... *(बंधपत्र में वर्णित शास्ति)* रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... *(नाम)* की .... जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें; और यदि उक्त राशि .... दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरन्त यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

20.......... के.......... मास के............ दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 53

जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त व्यक्ति के प्रतिभू की सुपुर्दगी का वारण्ट

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती................ *(स्थान)* की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक)।

.... *(प्रतिभू का नाम और वर्णन)* ने अपने को .... की हाजिरी के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि .... *(बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए)*

और उक्त .... *(नाम)* को इसमें व्यतिक्रम किया है, इसलिए उक्त बंधपत्र में वर्णित शास्ति सरकार को समपहृत हो गई है; और उक्त .... *(प्रतिभू का नाम)*, को सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त राशि का संदाय करने में या ऐसा पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है कि उससे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए तथा वह राशि उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की और उसे बेचकर वसूल नहीं की जा सकेगी, और सिविल जेल में, ... *(अवधि का उल्लेख कीजिए)* के लिए उसके कारावास का आदेश किया गया है;

इसलिए आप अर्थात् उक्त अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... *(नाम)* को अपनी अभिरक्षा में के इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त .... *(कारावास की अवधि)* के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20.............. के मास........... के........... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) *(हस्ताक्षर)*

प्रारूप सं० 54

परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र के समपहरण की कर्ता को सूचना

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती............ *(नाम, वर्णन और पता)*

आपने 20 .... के .... मास के .... दिन को यह बंधपत्र निष्पादित किया था कि आप .... *(जैसा बंधपत्र में हो)* नहीं करेंगे और उस बंधपत्र के समपहरण का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... दिन के भीतर .... रुपए की उक्त शास्ति का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए।

20.............. के.............. मास के................. दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 55
परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट
[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती .... *(स्थान)* के पुलिस थाने का .... *(पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम)*

.... *(नाम और वर्णन)* ने 20 .... के .... मास के .... दिन को .... रुपए की राशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने अपने को आबद्ध किया था कि वह परिशान्ति का भंग आदि (जैसा बंधपत्र में हो) नहीं करेगा और उक्त बंधपत्र के समपहरण का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है, और उक्त *(नाम)*.............. को सूचना देकर उससे अपेक्षा की गई है कि वह कारण बताए की उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है।

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त *(नाम)* की .... जिले में पाई जाने वाली, ... रुपए के मूल्य को जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि .... के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरन्त यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

20 .... के ....मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 56

परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कारावास का वारन्ट

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती .... *(स्थान)* की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक)।

मेरे समक्ष इस बात का सबूत दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि .... *(नाम और वर्णन)* ने उस बंधपत्र का भंग किया है जो उसने परिशान्ति कायम रखने के लिए निष्पादित किया था और इसलिए उसकी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है, और उक्त.......... *(नाम)* ऊपर बताई गई राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी तथा उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की करके नहीं की जा सकती है और .... (कारावास की अवधि) की अवधि के लिए सिविल जेल में उक्त .... (नाम) के कारावास के लिए आदेश किया गया है;

इसलिए आपको अर्थात् उक्त सिविल जेल के अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... *(नाम)* को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त अवधि .... *(कारावास की अवधि)* के लिए उक्त जेल में सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20 .... के .... मास के ....दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 57

सदाचार के बंधपत्र के समपहरण पर कुर्की और विक्रय का वारण्ट

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती .... *(स्थान)* के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी।

.... (नाम, वर्णन और पता) ने 20 .... के .... मास के .... दिन को .... *(कर्ता का नाम आदि)* के सदाचार के लिए .... रुपए की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और मेरे समक्ष यह सबूत दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त .... (नाम) ने .... का अपराध किया है और इसलिए उक्त बंधपत्र समपहृत हो गया है, और उक्त.............. (नाम) को यह अपेक्षा करते हुए सूचना दी गई थी कि वह कारण बताएं कि उक्त रकम का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) की, ... जिले में पाई जाने वाली .... रुपए के मूल्य की जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण के भीतर नहीं वाली करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि .... के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरन्त यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

20..... के............ मास के ... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 58

सदाचार के लिए बंधपत्र के समपहरण पर कारावास का वारण्ट

[धारा 491 देखिए]

प्रेषिती .... (स्थान) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक)

.... (नाम, वर्णन और पता) ने 20 .... के .... मास के .... दिन को, ... (कर्ता का नाम आदि) के सदाचार के लिए .... रुपए की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और उक्त बंधपत्र के भंग किए जाने का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है और इसलिए उक्त .... (नाम) को .... की रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है; और वह उक्त राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की अपेक्षा सम्यक् रूप से की गई थी और उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की द्वारा नहीं की जा सकती है, और सिविल जेल में .... (कारावास की अवधि) अवधि के लिए उक्त .... (नाम) के कारावास के लिए आदेश कर दिया गया है,

इसलिए आप अर्थात् अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.....(नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त अवधि .... (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

20 .... के .... मास के .... दिन

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का तुलनात्मक अध्ययन

भाग – क

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

भाग – ख

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के वह प्रावधान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

भाग – ग

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

भाग – घ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

भाग – क

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 61	इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड – इस अधिनियम में कुछ भी इस आधार पर साक्ष्य में इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड की ग्राह्यता से इन्कार करने के लिए लागू नहीं होगा कि यह एक इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड है और ऐसे रिकार्ड का धारा 63 के अधीन समान कानूनी प्रभाव, वैधता और अन्य दस्तावेज के रूप में प्रवर्त्तनीय है।
2	धारा 63 (4) (ग)	जो इलैक्ट्रानिक दस्तावेज के बावत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दिये गये प्रिन्ट आउट आदि के सही होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 65 (ख) प्रमाण पत्र) प्रारूप। इस सम्बन्ध में नई अनुसूची भी जोड़ी गयी है।
3	धारा 170	निरसन और व्यावृत्ति

भाग – ख

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के वह प्रावधान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा।
2	धारा 88	तार संदेशों के बारे में उपधारणा।
3	धारा 113	राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत।
4	धारा 166	जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति।

भाग – ग

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 2 (1) (घ)	दस्तावेज- इलैक्ट्रानिक / डिजिटल रिकार्ड को भी दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है।
2	धारा 2 (1) (ङ)	साक्ष्य- खण्ड (2) जोड़ी गयी है । वें सभी कथन, जिसमें इलैक्ट्रानिक रूप में दिये गये कथन सम्मिलित हैं, जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।
3	धारा 22	उत्प्रेरणा, धमकी, **प्रपीड़न** या वचन द्वारा करायी गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है- इस संहिता में प्रपीड़न शब्द को जोड़ा गया है।
4	धारा 24	**सहअभियुक्त की संस्वीकृति**- साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रुप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। इस धारा में स्पष्टीकरण 2 जोड़ी गयी है जिसके अनुसार- एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो भगोड़ा है या जो BNSS 2023 की धारा 84 के अधीन जारी उदघोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जायेगा।
5	धारा 39	**विशेषज्ञों की राय**- पूर्व में विज्ञान, विदेशी विधि व कला के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय सुसंगत थी BSA 2023 में संशोधन कर **अन्य क्षेत्रों** में भी विशेषज्ञों की राय सुसंगत बनायी गयी है विशेषज्ञों की राय को विस्तृत किया गया है।
6	धारा 57	**प्राथमिक साक्ष्य**- इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख के सम्बन्ध में 4 नये स्पष्टीकरण जोड़े गये हैं जिनके द्वारा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख से सम्बन्धित प्राथमिक साक्ष्य को विस्तृत रुप प्रदान किया गया है जो निम्नवत है- **स्पष्टीकरण 4**- जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख

		सृजित या भंडारित किया जाता है और ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रुप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है। **स्पष्टीकरण 5-** जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है। **स्पष्टीकरण 6-** जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्रारुप में एक साथ भंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो हर एक भंडारित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। **स्पष्टीकरण 7-** जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कम्प्यूटर संसाधन में एक से अधिक भंडारण स्थान में भंडारित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें हैं, प्राथमिक साक्ष्य है।

भाग – घ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

भारतीय साक्ष्य अधीनियम 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
भाग – 1 तथ्यों की सुसंगति अध्याय – 01 प्रारम्भिक		**भाग – 1 तथ्यों की सुसंगति अध्याय – 01 प्रारम्भिक**	
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	अधिनियमितियों का निरसन	**अधिनियम में प्रावधान नहीं हैं।**	
3	निर्वचन खण्ड	2	परिभाषाऐं **(संशोधन)*****
4	उपधारणा कर सकेगा	2 (1) (ज)	उपधारणा कर सकेगा
	उपधारणा करेगा	2 (1) (ठ)	उपधारणा करेगा
	निश्चायक सबूत	2 (1) (ख)	निश्चायक सबूत
अध्याय – 02 तथ्यों की सुसंगति के विषय में		**भाग – 02 अध्याय – 02 तथ्यों की सुसंगति के विषय में**	
5	विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा	3	विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा
6	एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति	4	एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति
7	वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम हैं	5	वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम हैं
8	हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण	6	हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण
9	सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुर्नस्थापना के लिए आवश्यक तथ्य	7	सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुर्नस्थापना के लिए आवश्यक तथ्य
10	सामान्य परिकल्पना के बारे में षडयंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें	8	सामान्य परिकल्पना के बारे में षडयंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें

11	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत है	9	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत है
12	नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं	10	नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं
13	जब कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य	11	जब कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य
14	मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य	12	मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य
15	कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य	13	कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य
16	कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है	14	कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है
17	स्वीकृति की परिभाषा	15	स्वीकृति की परिभाषा
18	स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा	16	स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा
19	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिये	17	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिये
20	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां	18	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां
21	स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना	19	स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना
22	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु, के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	20	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु, के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं
22 क	इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है		
23	सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब	21	सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब

	सुसंगत होती हैं		सुसंगत होती हैं
24	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है.	22	उत्प्रेरणा, धमकी, **प्रपीड़न** या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है. **(संशोधन)*****
25	पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना	23 (1)	पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना
26	पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना	23 (2)	पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना
27	अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी	23 (2) परन्तुक	अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी
28	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है	22 परन्तुक (1)	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है
29	अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना	22 परन्तुक (2)	अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना
30	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना	24	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना **(संशोधन)*****
31	स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबंध कर सकती हैं	25	स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबंध कर सकती हैं
32	वे दशायें जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादिं है सुसंगत तथ्य है	26	वे दशायें जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादिं है सुसंगत तथ्य है
33	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों, की सत्यता को पश्चात्वर्ती कार्यवाही में	27	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों, की सत्यता को पश्चात्वर्ती कार्यवाही में

	साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति		साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति
विशेष परिस्थितियों में किये गये कथन		**विशेष परिस्थितियों में किये गये कथन**	
34	लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई हैं कब सुसंगत है	28	लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई हैं कब सुसंगत है
35	कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति	29	कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति
36	मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति	30	मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति
37	किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति	31	किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति
38	विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति	32	विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति
किसी कथन में से कितना साबित किया जा सकेगा		**किसी कथन में से कितना साबित किया जा सकेगा**	
39	जब कि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाय	33	जब कि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाय
न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं		**न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं**	
40	द्वितीय वाद या विचारण के न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं	34	द्वितीय वाद या विचारण के न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं
41	प्रोबेट, इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति	35	प्रोबेट, इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति
42	धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों,	36	धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों,

	आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव		आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव
43	धारा 40 से 42 तक में वर्णित से भिन्न निर्णय यदि कब सुसंगत हैं	37	धारा 34 से 36 तक में वर्णित से भिन्न निर्णय यदि कब सुसंगत हैं
44	निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुरसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी	38	निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुरसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी
अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है		**अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है**	
45	विशेषज्ञों की राय	39 (1)	विशेषज्ञों की राय **(संशोधन)***
45 क	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय	39 (2)	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय
46	विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य	40	विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य
47	हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है	41 (1)	हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है
47 क	इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय कहां सुसंगत है.	41 (2)	इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय कहां सुसंगत है
48	अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं	42	अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं
49	प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं	43	प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं
50	नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है	44	नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है
51	राय के आधार कब सुसंगत हैं	45	राय के आधार कब सुसंगत हैं
शील कब सुसंगत है		**शील कब सुसंगत है**	
52	सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है	46	सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है
53	दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है	47	दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है
53 क	कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत नहीं	48	कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत नहीं

54	उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है	49	उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है
55	नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील	50	नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील
भाग 2 सबूत के विषय में अध्याय 3 तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है		**भाग – 3 सबूत के विषय में अध्याय 3 तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है**	
56	न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है	51	न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है
57	वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी	52	वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी
58	स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है	53	स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है
अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य के विषय में		**अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य के विषय में**	
59	मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना	54	मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना
60	मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए	55	मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए
अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में		**अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में**	
61	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत	56	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत
62	प्राथमिक साक्ष्य	57	प्राथमिक साक्ष्य **(संशोधन)*****
63	द्वितीयिक साक्ष्य	58	द्वितीयिक साक्ष्य
64	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	59	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना
65	अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा	60	अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा
65 क	इलेक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध	62	इलेक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध
65 ख	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता	63	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता
66	पेश करने की सूचना के बारे में नियम	64	पेश करने की सूचना के बारे में नियम

67	जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना	65	जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना
67 क	इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत	66	इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत
68	ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है	67	ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है
69	जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत	68	जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत
70	अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति	69	अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति
71	जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत	70	जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत
72	उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है	71	उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है
73	हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं	72	हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं
73 क	डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत	73	डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत
लोक दस्तावेज		**लोक दस्तावेज**	
74	लोक दस्तावेजें	74 (1)	लोक दस्तावेजें
75	प्राइवेट दस्तावेजें	74 (2)	प्राइवेट दस्तावेजें
76	लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां	75	लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां
77	प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत	76	प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत
78	अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत	77	अन्य शासकीय दस्तावेजों का

			सबूत
दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं		**दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं**	
79	प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा	78	प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
80	साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	79	साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
81	राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लमेंट, प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं	80	राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लमेंट, प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं
81 क	इलेक्ट्रानिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा	81	इलेक्ट्रानिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा
82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा	**अधिनियम में प्रावधान नहीं हैं।**	
83	सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा	82	सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा
84	विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा	83	विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा
85	मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा	84	मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा
85 क	इलेक्ट्रानिक करार के बारे में उपधारणा	85	इलेक्ट्रानिक करार के बारे में उपधारणा
85 ख	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा	86	इलेक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा
85 ग	इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के बारे में उपधारणा	87	इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के बारे में उपधारणा
86	विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा	88	विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा
87	पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा	89	पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा

88	तार संदेशों के बारे में उपधारणा	**अधिनियम में प्रावधान नहीं हैं।**	
88 क	इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा	90	इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा
89	पेश न की गयी दस्तवेजों के सम्यक निषपादन आदि के बारे में उपधारणा	91	पेश न की गयी दस्तवेजों के सम्यक निषपादन आदि के बारे में उपधारणा
90	30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	92	30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
90 क	5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा	93	5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा
अध्याय 6 **दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में**		**अध्याय 6** **दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में**	
91	दस्तावेजो के रुप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य	94	दस्तावेजो के रुप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य
92	मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन	95	मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन
93	संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन	96	संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन
94	विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन	97	विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन
95	विद्यमान तथ्यों के सन्दर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य	98	विद्यमान तथ्यों के सन्दर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य
96	उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है	99	उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है
97	तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी व भाषा पूरी की पूरी ठीक ठाक लागू नहीं होती, उसमें से एक को	100	तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी व भाषा पूरी की पूरी ठीक ठाक लागू नहीं होती,

	भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य		उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य
98	न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य	101	न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य
99	दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा ?	102	दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा ?
100	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति	103	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति
भाग – 3 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में		**भाग – 4 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में**	
101	सबूत का भार	104	सबूत का भार
102	सबूत का भार किस पर होता है	105	सबूत का भार किस पर होता है
103	विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार	106	विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार
104	साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार	107	साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार
105	यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है	108	यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है
106	विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार	109	विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार
107	उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है	110	उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है
108	यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में 07 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है	111	यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में 07 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है
109	भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में	112	भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता

	सबूत का भार		के मामलों में सबूत का भार
110	स्वामित्व के बारे में सबूत का भार	113	स्वामित्व के बारे में सबूत का भार
111	उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है	114	उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है
111 क	कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा	115	कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा
112	विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है	116	विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है
113	राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत	**अधिनियम में प्रावधान नहीं हैं।**	
113 क	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा	117	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा
113 ख	दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा	118	दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा
114	न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा	119	न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा
114 क	बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मत्ति के न होने के बारे में उपधारणा	120	बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मत्ति के न होने के बारे में उपधारणा
अध्याय 8 विबंध		**अध्याय 8 विबंध**	
115	विबंध	121	विबंध
116	अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध	122	अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध
117	विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध	123	विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध
अध्याय 9 साक्षियों के विषय में		**अध्याय 9 साक्षियों के विषय में**	
118	कौन साक्ष्य दे सकेगा	124	कौन साक्ष्य दे सकेगा
119	साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना	125	साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना

120	सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियाँ या पति, दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी	126	सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियाँ या पति, दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी
121	न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट	127	न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट
122	विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं	128	विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं
123	राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य	129	राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य
124	शासकीय संसूचनाएं	130	शासकीय संसूचनाएं
125	अपराधों के करने के बारे में जानकारी	131	अपराधों के करने के बारे में जानकारी
126	वृत्तिक संसूचनाए	132 (1)	वृत्तिक संसूचनाए
127	धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी	132 (3)	धारा 132 दुभाषियों आदि को लागू होगी
128	साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता	133	साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता
129	विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं	134	विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं
130	जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना	135	जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना
131	ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था	136	ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था
132	इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा	137	इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा
133	सह-अपराधी	138	सह-अपराधी
134	साक्षियों की संख्या	139	साक्षियों की संख्या

अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में		**अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में**	
135	साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम	140	साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम
136	न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा	141	न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा
137	मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा	142	मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा
138	परीक्षाओं का क्रम, पुनः परीक्षा की दिशा	143	परीक्षाओं का क्रम, पुनः परीक्षा की दिशा
139	किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा	144	किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा
140	शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी	145	शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी
141	सूचक प्रश्न	146	सूचक प्रश्न
142	उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए		उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए
143	उन्हें कब पूछा जा सकेगा		उन्हें कब पूछा जा सकेगा
144	लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य	147	लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य
145	पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा	148	पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा
146	प्रतिपरीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न	149	प्रतिपरीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न
147	साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए	150	साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए
148	न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा	151	न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा
149	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा	152	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा
150	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया	153	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया
151	अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न	154	अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न
152	अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए	155	अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए

	आशयित प्रश्न		आशयित प्रश्न
153	सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन	156	सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन
154	पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न	157	पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न
155	साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप	158	साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप
156	सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे	159	सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे
157	उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अधिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्ष्य के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे	160	उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अधिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्ष्य के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे
158	साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत हैं कौन-सी बातें साबित की जा सकेंगी	161	साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या 27 के अधीन सुसंगत हैं कौन-सी बातें साबित की जा सकेंगी
159	स्मृति ताजी करना	162	स्मृति ताजी करना
160	धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य	163	धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य
161	स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार है	164	स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार है
162	दस्तावेजों का पेश किया जाना	165	दस्तावेजों का पेश किया जाना
163	मगायी गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना	166	मगायी गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना
164	सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना	167	सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना

165	प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति	168	प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति
166	जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति	**अधिनियम में प्रावधान नहीं है।**	
अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में		**अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में**	
167	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा	169	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा
अनुसूची (निरसित)		अनुसूची (नई जोड़ी गयी है)	

नोट – जिन मुख्य धाराओं में संशोधन किया गया है उन्हे सूची में *** से चिन्हित किया गया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या **"भाग – ग"** में दिया गया है।

अनुसूची
[धारा 63 (4) (ग) देखिये]

प्रमाणपत्र

भाग क

(पक्षकार द्वारा भरा जाना है)

मैं .... निवासी (नाम), पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी................................ जो .... का निवासी ....में नियोजित हूं, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और हृदय से कथन करता/करती हूं और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूं कि :-

मैंने निम्नलिखित युक्ति/डिजिटल अभिलेख स्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख का इलैक्ट्रानिकी अभिलेख/निर्गम प्रस्तुत किया है (चिह्न लगाएं) :-

कम्प्यूटर/भंडारण मीडिया	डीवीआर	मोबाइल फ्लैश ट्राइव
सीडी/डीवीडी	सर्वर	क्लाउड
अन्य		

अन्य :

....

मेक और मॉडल : .... रंगः ....

क्रम संख्यांक ....

आईएमईआई/यूआईएन/यूआईडी/एमएसी/क्लाऊड आईडी
.... (जैसा लागू हो)

और युक्ति/डिजिटल अभिलेख................................ के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)।

डिजिटल युक्ति या डिजिटल अभिलेख स्रोत नियमित क्रियाकलाप करने के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से सूचना का सृजन करने, भंडारण करने या प्रोसेस करने के लिए विधिपूर्ण नियंत्रणाधीन थे और इस कालावधि के दौरान कंप्यूटर या संचार युक्ति समुचित रूप से कार्य कर रही थी तथा कारबार के साधारण क्रम के दौरान सुसंगत सूचना को कंप्यूटर में नियमित रूप से फीड किया गया था। यदि किसी भी समय कंप्यूटर/डिजिटल युक्ति समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी या प्रचालन में नहीं थी तब इससे इलैक्ट्रानिक डिजिटल अभिलेख या उसकी शुद्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। डिजिटल युक्ति या डिजिटल अभिलेख का स्रोत मेरे द्वारा :-

स्वामित्वाधीन अनुरक्षित प्रबंधित प्रचालित (जो लागू हो उसका चयन करें), है।

मैं, कथन करता/करती हूं कि इलैक्ट्रानिकी/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान .... है।

एसएचए1:

एसएचए 256 :

एमडी5 :

अन्य .....(विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख (दिन/मास/वर्ष) ....

समय (आईएसटी): .... (24 घंटे के रूप में)

स्थान : ....

भाग ख

(विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना है)

मैं .... (नाम), पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी..................................... जो .... का निवासी .... में नियोजित हूं, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध हृदय से कथन करता/करती हूं और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूं कि :-

प्रस्तुत किए गए डिजिटल अभिलेख के इलैक्ट्रानिकी अभिलेख/निर्गम निम्नलिखित युक्ति/डिजिटल अभिलेख स्रोत से अभिप्राप्त किए गए हैं (चिह्न लगाएं) :

कम्प्यूटर भंडारण मीडिया	डीवीआर	मोबाइलफ्लैश ट्राइव
सीडी/डीवीडी	सर्वर	क्लाऊड
अन्य		

अन्य :

....

मेक और मॉडल : .... रंग : ....

क्रम संख्यांक ....

आईएमईआई / यूआईएन / यूआईडी / एमएसी / क्लाऊड आईडी .... (जैसा लागू हो) और युक्ति/डिजिटल अभिलेख.............................. के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)।

मैं, कथन करता/करती हूं कि इलैक्ट्रानिकी/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से अभिप्राप्त हैश मान .... है :-

एसएचए1:

एसएचए 256 :

एसडी5 :

अन्य ....(विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम, पदनाम और हस्ताक्षर)

तारीख (दिन/मास/वर्ष) : ....

समय (आईएसटी) : .... (24 घंटे के रूप में)

स्थान : ....

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड पुलिस

UTTARAKHAND POLICE

मित्रता सेवा सुरक्षा